दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

दिल्ली, दिनांक 18 अप्रैल, 2007

सं. एफ 17(85)/इंजी/डीईआरसी/2005-06/209/सं. 11(115)2006/पावर/985—दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 57, 86 और 181 के साथ पठित धारा 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् : दिल्ली विद्युत प्रदाय संहिता और अनुपालन मानक विनियम ।

अध्याय - 1

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और निर्वचन

(i) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम ''दिल्ली विद्युत प्रदाय संहिता और अनुपालन मानक विनियम, 2007'' है ।

(ii) ये विनियम, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में सभी वितरण और खुदरा प्रदाय लाइसेंस धारकों, जिनके अंतर्गत समझे गए खुदरा लाइसेंस धारक हैं, और उपभोक्ताओं को लागू होंगे ।

(iii) ये विनियम विद्युत के अनधिकृत प्रदाय की घटनाओं, अनधिकृत उपयोग, विचलन और अनधिकृत उपयोग/पृथक्करण को भी लागू होंगे ।

(iv) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

(v) इन विनियमों की व्याख्या और क्रियान्वयन भारतीय विद्युत नियम, 1956 के साथ पठित अधिनियम के उपबंधों और प्राधिकरण द्वारा बनाए गए किन्हीं विनियमों के अनुसरण में की जाएगी न कि उनके विरोध में ।

(vi) इन विनियमों के साथ उपाबद्ध सभी विहित फार्म और फार्मेट (उपाबंध 13 के

अलावा) मार्गदर्शन के लिए हैं । लाइसेंस धारक, आयोग के पूर्व अनुमोदन से फार्म/फार्मेट में समुचित संशोधन कर सकते हैं और इस प्रकार संशोधित फार्म/फार्मेट उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने के लिए संबंधित लाइसेंस की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे ।

2. परिभाषाएं

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) **''अधिनियम''** से अभिप्रेत है विद्युत अधिनियम, 2003 ;

(ख) **''करार''** से व्याकरणीय भिन्नताओं और सजात अभिव्यक्तियों के साथ किसी लाइसेंस धारक और उसके उपभोक्ता के मध्य किया गया करार अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत विद्युत प्रदाय के लिए कोई वाणिज्यिक व्यवस्था खुली पहुंच और व्यापार भी सम्मिलित है ;

(ग) **''उपकरण''** से अभिप्रेत है विद्युत उपकरण और इसके अंतर्गत विद्युत प्रदाय प्रणाली से संबंधित सभी मशीनें, फिटिंग्स, उपसाधन और साधित्र सम्मिलित हैं ;

(घ) **''आवेदक''** से अभिप्रेत है किसी भूमि/परिसर का ऐसा स्वामी या अधिभोगी जो विद्युत के प्रदाय या वितरण तंत्र बिछाने के लिए लाइसेंस धारक को आवेदन प्रस्तुत करे ;

(ङ) **''प्रदाय का क्षेत्र''** से ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है अभिप्रेत है जिसके भीतर विद्युतीय ऊर्जा के प्रदाय के लिए लाइसेंस द्वारा इस समय कोई लाइसेंस धारक अधिकृत है ;

(च) **''निर्धारण अधिकारी''** से अधिनियम की धारा 126 के उपबंधों के अधीन दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा पदाभिहित निर्धारण अधिकारी अभिप्रेत है ;

(छ) **''अधिकृत अधिकारी''** से अधिनियम की धारा 135 के उपबंधों के अधीन दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा पदाभिहित अधिकृत अधिकारी अभिप्रेत हैं ;

(ज) **''प्राधिकरण''** से केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(झ) **''औसत विद्युत गुणक''** से किसी विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान रजिस्ट्रीकृत केडब्ल्यूएच, (किलोवाट घंटा) का केवीएएच (किलोवोल्ट एम्पियर घंटा) से अनुपात अभिप्रेत है ;

(ञ) **''बिलिंग चक्र''** से वह अवधि अभिप्रेत है जिसका बिल बनाया गया है ;

(ट) **''बिलिंग मांग''** से निम्नलिखित का उच्चतम अभिप्रेत है :-

(i) संविदा मांग, या

(ii) बिलिंग चक्र के दौरान मीटर द्वारा दर्शाई गई अधिकतम मांग, या

(iii) स्वीकृत भार जहां प्रदाय करार में संविदा मांग का उपबंध न किया गया हो;

(ठ) **''ब्रेकडाउन''** से अभिप्रेत है लाइसेंस धारक की वितरण प्रणाली के उपस्करों से संबंधित ऐसी घटना, जिसके अंतर्गत उपभोक्ता के मीटर तक विद्युत लाइन भी है, जो इसके सामान्य कार्यकरण को निवारित करें;

(ड) **''आयोग''** से दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत हैं ;

(ढ) **''संबद्ध भार''** से उपभोक्ता के परिसर में साथ-साथ उपयोग किए जा सकने वाले सभी ऊर्जा उपभोग उपस्करों के विनिर्माता के रेटिंग का सकल भार अभिप्रेत है । इसमें अनन्य रूप से अग्निशमन प्रयोजनों के लिए लगाए गए फालतू प्लग, सोकेट, भार सम्मिलित नहीं होंगे । प्रचालित मौसम के अनुसार (शीतलन उपयोग के लिए 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक और ऊष्मन उपयोग के लिए 1 अक्तूबर से 31 मार्च तक) केवल ऊष्मन और शीतलन उपकरण के भार हिसाब में लिए जाएंगे ;

टैरिफ परिवर्तन के मामले में 5% के सहन द्वारा संबद्ध भार की गणना की जाएगी । संबद्ध भार की परिभाषा सामान्य रूप से उपभोग के निर्धारण की गणना करने के लिए है ;

(ण) **''संविदा मांग''** से अभिप्रेत है :-

केवी (किलोवाट एम्पीयर) में मांग जैसा कि प्रदाय करार में उपबंधित है जिसके

लिए शासित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए लाइसेंस धारक, समय-समय पर, प्रदाय के लिए विनिर्दिष्ट रूप से वचन देता है । किसी भी स्थिति में यह स्वीकृत भार के 60% से कम नहीं होगी ।

(त) **''दिन''** से जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, कार्यदिवस के रूप में समझी जाने वाली दिन, (दिनों) में विनिर्दिष्ट कोई अवधि अभिप्रेत है ;

(थ) **''मांग प्रभार''** से केवीए में बिलिंग मांग पर आधारित बिलिंग चक्र या बिलिंग अवधि के लिए प्रभार्य रकम अभिप्रेत है ;

(द) **''विकासकर्ता''** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो लाइसेंसीकृत क्षेत्र के भीतर उपयोग के लिए क्षेत्र का विकास (स्वयं या किसी लाइसेंस धारक के माध्यम से विद्युतीकरण सहित) करता है और इसके अंतर्गत सार्वजनिक भूमि विकास अभिकरण (जैसे दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर परिषद्, दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम आदि) प्राइवेट कालोनाइजर, बिल्डर्स, ग्रुप आवास समितियां, सहकारी संगम आदि सम्मिलित हैं :

(ध) **''वितरण प्रणाली''** से अभिप्रेत है पारेषण लाइनों पर परिदान बिंदुओं या उत्पादन केंद्र कनेक्शन और उपभोक्ताओं के संस्थापन के कनेक्शन के बिंदु के मध्य विद्युत के वितरण/प्रदाय के लिए प्रयुक्त तारों और सहबद्ध सुविधाओं की प्रणाली ;

(न) **''विद्युत निरीक्षक''** से विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 162 की उपधारा (1) के अधीन समुचित सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें मुख्य विद्युत निरीक्षक भी सम्मिलित है ;

(प) **''विद्युत नियम''** से अभिप्रेत है भारतीय विद्युत नियम, 1956 उस सीमा तक जैसा कि अधिनियम या तत्पश्चात् विद्युत अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उपबंधित है अन्यथा नहीं ;

(फ) **''ऊर्जा प्रभार''** से किसी बिलिंग चक्र में, यथास्थिति, केडब्ल्यूएच/ केवीएएच (किलोवाट घंटा/किलोवोल्ट एम्पियर घंटा) में उपभोक्ता द्वारा वास्तव में उपभोग की

गई ऊर्जा के लिए प्रभार अभिप्रेत है । जहां कहीं लागू हो, मांग/नियत प्रभार ऊर्जा प्रभारों के अतिरिक्त होंगे ;

(ब) **''अतिरिक्त हाइटेंशन''** (ईएचटी) से भारतीय विद्युत नियम, 1956 के अधीन अनुज्ञेय प्रतिशतता परिवर्तन के अध्यधीन रहते हुए सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत 33000 वोल्ट या इसके ऊपर वोल्टेज अभिप्रेत है ;

(भ) **''विद्युतीकृत क्षेत्र''** से अविद्युतीकृत क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र अभिप्रेत है ;

(म) **''नियत प्रभार''** से स्वीकृत भार पर आधारित बिलिंग चक्र/बिलिंग अवधि के लिए प्रभार्य रकम अभिप्रेत है ;

(य) **''मेज्योर बल''** से अभिप्रेत है ऐसी घटना/परिस्थिति घटित होना जो लाइसेंस धारक के नियंत्रण से बाहर है और लाइसेंस धारक जिनका युक्तियुक्त रूप से पूर्वाभास नहीं कर सकता और जो लाइसेंस धारक द्वारा किसी बाध्यता के सम्यक् निष्पादन में निवारण/विलंब कारित करती है ;

(यक) **''फोरम''** से अधिनियम की धारा 42(5) के अधीन स्थापित उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम अभिप्रेत है ;

(यख) **''दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की सरकार''** से संविधान के अनुच्छेद 239कक में यथा निर्दिष्ट दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र का उपराज्यपाल अभिप्रेत है ;

(यग) **''हाईटेंशन''** से ± 6% और -9% की अनुज्ञेय प्रतिशतता परिवर्तन या अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों/विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट के अधीन रहते हुए सामान्य परिस्थितियों में 650 वोल्ट और 33000 वोल्ट के बीच वोल्टेज अभिप्रेत है ;

(यघ) **''लाइसेंस विद्युत ठेकेदार (एलईसी)''** से भारतीय विद्युत नियम, 1956 या उसकी पश्चात्वर्ती किसी अन्य पुनः अधिनियमित के अधीन लाइसेंस्ड ठेकेदार अभिप्रेत है ;

(यङ) **''लाइसेंस धारक''** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे अधिनियम की धारा 14 के

अधीन लाइसेंस प्रदान किया गया हो और इसके अंतर्गत समझा गया लाइसेंस धारक सम्मिलित है ;

(यच) **''भार गुणक''** से किसी दी गई अवधि के दौरान उपभोग की गई कुल इकाइयों की संख्या का उन इकाइयों की कुल संख्या से अनुपात अभिप्रेत है जो उपभोग की गई होती यदि उसी पूरी अवधि के दौरान संबद्ध भार रखा गया होता और इसे सामान्यतया निम्नलिखित प्रतिशतता में अभिव्यक्त किया जाएगा :

$$\text{भार गुणक (प्रतिशतता में)} = \frac{\text{दी गई अवधि में वास्तव में उपयोग की गई इकाइंया}}{\text{केडब्ल्यू में संबद्ध भार} \times \text{अवधि में घंटों की संख्या}} \times 100$$

(यछ) **''लो टेंशन (एलटी)''** से अभिप्रेत है ± 6% की अनुज्ञेय प्रतिशतता परिवर्तन या अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम/विनियम में यथा विनिर्दिष्ट के अधीन रहते हुए सामान्य परिस्थितियों में फेस और न्यूट्रल के बीच 230 वोल्ट या किन्हीं दो फेसों के बीच 400 वोल्ट की वोल्टेज;

(यज) **''अधिकतम मांग''** से मास के दौरान 30 मिनट की परिमित अवधि या आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान किसी उपभोक्ता के प्रदाय बिंदु पर केवीए या केडब्ल्यू में मापा गया अधिकतम भार अभिप्रेत है ;

(यझ) **''मीटर''** से एक ऐसी युक्ति अभिप्रेत है जो विद्युत ऊर्जा का उपभोग रिकार्ड करने के लिए समुचित हो और इसमें जहां लागू हो अन्य सहबद्ध उपस्करों जैसे सीटीपीटी सहित केडब्ल्यूएच/केवीएएच में उपभोग मापने वाले या कोई अन्य मापक/घटना जैसे एमडीआई, टाइप-आफ-डे मीटरिंग, रिमोर्ट पठन सम्मिलित है ;

स्पष्टीकरण : इसमें कोई मुद्रा या मुद्रण व्यवस्था और लाइसेंस धारक द्वारा विश्वसनीय सुनिश्चित करने तथा विद्युत की चोरी/अनधिकृत उपयोग रोकने के लिए उपलब्ध कराए गए अन्य उपाय/लक्षण भी सम्मिलित हैं ।

(यञ) **''ओम्बडसमेन''** में अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (6) के अधीन नियुक्त विद्युत ओम्बडसमेन अभिप्रेत है ;

(यट) **''परिसर''** से इन विनियमों के परियोजन के लिए ऐसी भूमि या भवन या भाग या उनका संयोजन अभिप्रेत है जिसके संबंध में विद्युत के प्रदाय के लिए एक पृथक मीटर या मीटरिंग व्यवस्था लाइसेंस धारक द्वारा उपलब्ध कराई गई है ;

(यठ) **''वृत्तिक''** से वृत्तिक कौशल पर आधारित सेवा संबंधी गतिविधियों में लगे हुए व्यक्ति अभिप्रेत हैं जैसे डाक्टर अधिवक्ता, वास्तुविद, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिव, लागत और कार्य लेखाकर, इंजीनियर, नगर योजनाकार, मीडिया वृत्तिक और वृत्ताचित्र फिल्म मेकर ।

(यड) **''ग्रामीण क्षेत्र''** से बड़ी और छोटी पंचायतों या ग्राम और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र के रूप में अधिसूचित न किए गए क्षेत्र सहित ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र अभिप्रेत हैं ।

(यढ) **''स्वीकृत भार''** से केडब्ल्यू/एचपी (किलोवाट/हार्सपावर) में भार अभिप्रेत है जिसके लिए लाइसेंस धारक ने शासित करने वाली शर्तों/निबंधनों के अधीन, समय-समय पर प्रदाय के लिए करार किया है ।

(यण) **''सेवालाइन''** से ऐसी विद्युत प्रदाय लाइन अभिप्रेत है जिसके माध्यम से लाइसेंस धारक द्वारा वितरण मुख्य बिंदु से एकल उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के समूह को ऊर्जा का प्रदाय किया जाता है या किया जाना आशयित है ।

(यत) **''टैरिफ आदेश''** से समय-समय पर आयोग द्वारा लाइसेंस धारक और उपभोक्ता के लिए वार्षिक राजस्व अपेक्षा और टैरिफ पर जारी किए जाने वाला आदेश अभिप्रेत है ।

(यथ) **''विद्युत की चोरी''** से अधिनियम की धारा 135 में यथापरिभाषित विद्युत की चोरी अभिप्रेत है ।

(यद) ''**शहरी क्षेत्र**'' से ग्रामीण क्षेत्र से विभिन्न क्षेत्र अभिप्रेत है ।

(यध) ''**विद्युत का अनधिकृत उपयोग**'' का अर्थ अधिनियम की धारा 126 के निबंधनों के अनुसार होगा ।

(यन) ''**अविद्युतीकृत क्षेत्र**'' से ऐसे अपेक्षित हैं जहां विकास अपेक्षित है/ किया जा रहा है (बड़े विकसित क्षेत्रों के भीतर छोटे पोकेटों सहित) जहां स्वयं विकास अपेक्षित है/ किया जा रहा है और जहां ऐसे क्षेत्र की मांग/ संभाव्य भारत पूरा करने के लिए विद्यमान वितरण तंत्र/समुचित पारेषण क्षमता नहीं है । इस क्षेत्र को उस समय तक अविद्युतीकृत क्षेत्र माना जाता रहेगा जब तक वहां वितरण तंत्र स्थापित न हो जाए और उसे प्रस्तावित प्लाटीकरण/विकास ले आउट विद्युतीकृत न कर दिया जाए ।

(2) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इन विनियमों में आने वाले शब्दों या पदों के, जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है किंतु अधिनियम/विद्युत नियम/ टैरिफ आदेश में परिभाषित किया गया है, वहीं अर्थ होंगे जो अधिनियम/विद्युत नियम/टैरिफ आदेश में है और इनकी अनुपस्थिति में वे अर्थ होंगे जो सामान्यतः विद्युत प्रदाय आयोग में समझे जाते हैं ।

अध्याय - 2

प्रदाय की प्रणाली और प्रदाय का वर्गीकरण

3. प्रदाय की प्रणाली

(i) प्रत्यावर्ती करेंट (एसी) की घोषित आवर्ती प्रति सेंकड 50 चक्र होगी ।

एसी प्रदाय की घोषित वोल्टेज निम्नानुसार है :

क. लो टेंशन

एकल फेस : फेसों और न्यूट्रल के बीच 230 वोल्ट्स

तीन फेस : फेसों के बीच 400 वोल्ट्स

ख. हाई टेंशन (एचटी) - तीन फेस : फेसों के बीच 11 केवी

ग. अतिरिक्त हाई टेंशन (इएचटी) - तीन फेस : फेसों के बीच 33 केवी या 66 केवी

(ii) लाइसेंस धारक, पारेषण प्रणाली के साथ संयोजन में एक वितरण प्रणाली डिजाइन करेगा, संस्थापित करेगा, बनाए रखेगा और प्रचालित करेगा ।

(iii) प्रदाय बिंदु पर वोल्टेज, पारेषण लाइसेंस धारक से नियमित वोल्टेज की उपलब्धता के अधीन रहते हुए भारतीय विद्युत नियम, 1956 की सीमाओं के भीतर रहेगी जो वर्तमान में निम्नानुसार है :

क. लो टेंशन के मामले में ± 6% या

ख. हाई टेंशन के मामले में ± 6% से -9% या

ग. अतिरिक्त हाई टेंशन के मामले में ± 10% से -12.5% ।

4. प्रदाय का वर्गीकरण

प्रदाय की वोल्टेज और फेसों की संख्या, उपभोक्ता की संविदा मांग/स्वीकृत भार पर निर्भर करते हुए, लाइसेंस धारक द्वारा अवधारित की जाएगी ।

(i) घरेलू कनेक्शन

(क) इस प्रवर्ग के अधीन कनेक्शन, उपभोक्ताओं को निम्नलिखित विनिर्देशों के अनुसार उपलब्ध कराए जाएंगे :

(i) आवासीय उपभोक्ता ।

(ii) दिल्ली नगर निम या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार के मान्यता प्राप्त/सहायता प्राप्त संस्थानों के होस्टल ।

(iii) पृथक् रूप से मीटरीकृत आवासीय फ्लैटों में जीने का प्रकाशकरण ।

(iv) आवासीय काम्प्लेक्सों में संयुक्त लाइटिंग, लिफ्ट और पेयजल के प्रदाय लिए जल पम्प आदि और अग्निशमन उपस्कर ।

(v) दिल्ली नगर निगम या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा संचालित औषधालय/अस्पताल/सार्वजनिक पुस्तकालय/विद्यालय/ कार्यरित महिला होस्टल/अनाथालय/धर्मार्थ गृह ।

(vi) केवल धर्मार्थ सेवाएं प्रदान करने के लिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनुमोदित छोटे स्वास्थ्य केंद्र ।

(vii) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा अनुमोदित और मान्यता प्राप्त केंद्र जो नेत्रहीन, गूंगे बहरे तथा संस्तंभी बालकों और शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए हैं ।

(viii) पूजा स्थल ।

(ix) चैशायर गृह/अनाथालय ।

(x) विद्युतीय दाहगृह ।

(ख) 10 केडब्ल्यू भार तक के सभी कनेक्शन एकल फेस 230 वी. 50 हार्टज प्रदाय के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे और 10 केडब्ल्यू से ऊपर के कनेक्शन तीन फेस 400 वी. 50 हार्टज प्रदाय द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे । ऐसे पूर्व मामलों में जहां 10 केडब्ल्यू से कम भार के लिए तीन फेस कनेक्शन दिए गए हैं, इन विनियमों द्वारा किसी प्रकार के परिवर्तन लाना अपेक्षित नहीं है ।

(ग) वास्तुविद, इंजीनियर, डाक्टर, अधिवक्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे वृत्तिक, उपभोग की जाने वाली विद्युत के गैर घरेलू टैरिफ आकर्षित किए बिना परामर्शी प्रकृति के अपने वृत्तिक कार्य को करने के लिए अधिकतम 50 वर्ग मीटर तक उनके कब्जे वाले आवासीय स्थल के आच्छादित क्षेत्र के 25% क्षेत्र का उपयोग कर सकते हैं परंतु यह तब जब से इन अपेक्षाओं को पूरा करते हों ।

5. गैर घरेलू लो-टेंशन (एनडीएचटी-1)

(i) इस प्रवर्ग के अंतर्गत कनेक्शन ऐसे उपभोक्ताओं को प्रदान किए जाते हैं जिनके पास गैर-घरेलू स्थापनों में, जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है, प्रकाश, पंखों, ऊष्मन/शीतलन विद्युत उपकरणों के लिए 100 केडब्ल्यू तक का भार है :

(क) हास्टल (दिल्ली नगर निगम या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार

के मान्यता प्राप्त/सहायता प्राप्त संस्थानों से भिन्न)

(ख) विद्यालय/महाविद्यालय (दिल्ली नगर निगम या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा संचालित से भिनन)

(ग) सभा भवन

(घ) दिल्ली नगर निगम या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा संचालित से भिन्न अस्पताल/नर्सिंग होम/निदान केंद्र ।

(ङ) रेलवे (संकर्षण से भिन्न)

(च) होटल और रेस्तारां

(छ) सिनेमाघर

(ज) बैंक

(झ) पेट्रोल पंप

(ञ) अन्य सभी स्थापन जैसे दुकानें, कैमिस्ट, दर्जी, धुलाई, रंगाई आदि की दुकानें जो कारखाना अधिनियम के अधीन नहीं आती हैं

(ट) पशु फार्म, मत्स्य, सुअर पालन, मुर्गी पालन फार्म, पुष्प कृषि, बागवानी प्लांट नर्सरी

(ठ) वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए उपयोग किए जा रहे फार्म हाउस

(ड) संकर्षण से भिन्न वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए डीएमआरसी

(ढ) आइसक्रीम पार्लर

(ण) इस धारा के किसी अन्य प्रवर्ग के अंतर्गत न आने वाले/में विनिर्दिष्ट नहीं किए गए वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के अन्य प्रवर्ग ।

(ii) 10 केडब्ल्यू के भार तक के सभी कनेक्शन एकल फेस 230वी 50 हार्टज प्रदाय के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे और 10 केडब्ल्यू से 100 केडब्ल्यू तक के कनेक्शन

तीन फेस 400वी 50 हार्टज प्रदाय द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे । जहां पर 10 केडब्ल्यू से कम भार के लिए तीन फेस का प्रदाय अपेक्षित हो, वहां ऐसे प्रदाय को विस्तारित करने के लिए आवश्यक औचित्य अभिव्यक्त करते हुए लाइसेंस धारक को एक प्रार्थना पत्र उसके द्वारा विचार किए जाने के लिए देना चाहिए ।

स्पष्टीकरण : ऐसे पूर्व मामलों में जहां 10 केडब्ल्यू से कम भार के लिए तीन फेस कनेक्शन दिए गए हैं, इन विनियमों द्वारा किसी प्रकार के परिवर्तन लाना अपेक्षित नहीं है ।

6. मिश्रित भार हाई टेंशन (एमएलएचटी)

(i) एमएलएचटी कनेक्शन ऐसे उपभोक्ताओं को दिए जाते हैं जिनके पास घरेलू/ गैर-घरेलू संस्थापनों, जिनके अंतर्गत दिल्ली जल बोर्ड/दिल्ली विकास प्राधिकरण/ दिल्ली नगर निगम के पम्पिंग भार है, में प्रकाश, पंखों, ऊष्मन/शीतलन और विद्युत उपकरणों के लिए 100 केडब्ल्यू से अधिक भार (औद्योगिक भार से भिन्न) है और संकर्षण से भिन्न दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) लि. की चलती हुई परियोजनाओं और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए प्रदाय हेतु दिए जाते हैं ।

(ii) सभी कनेक्शन 11 केवी 50 हार्टज तीन फेस प्रदाय के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे । अतिरिक्त उच्च वोल्टेज (33केवी या अधिक) या 400 वोल्ट पर प्रदाय भी उपलब्ध कराया जाएगा ।

7. लघु औद्योगिक शक्ति (एसआईपी)

(i) ऐसे कनेक्शन 100 केडब्ल्यू तक भार वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्रदान किए जाते हैं और इसमें प्रकाश, ऊष्मन और शीतलन के लिए भार भी शामिल है ।

(ii) सभी कनेक्शन एकल फेस 230वी, 50 हार्टज प्रदाय या तीन फेस 400वी, 50 हार्टज प्रदाय के माध्यम से दिए जाएंगे ।

8. बड़ी औद्योगिक शक्ति

(i) ऐसे कनेक्शन 100 केडब्ल्यू तक भार वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्रदान

किए जाते हैं और इसमें प्रकाश, ऊष्मन और शीतलन के लिए भार भी शामिल है ।

(ii) सभी कनेक्शन 11 केवी 50 हार्टज तीन फेस प्रदाय के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे/अतिरिक्त उच्च वोल्टेज (33 केवी या अधिक) या एलटी भी उपलब्ध कराई जा सकती है ।

9. कृषि कनेक्शन

(i) कृषि प्रवर्ग के अधीन कनेक्शन, सिंचाई प्रयोजनों के लिए पम्पिंग भार और कोठरे में सद्भावी उपयोग के लिए लाइटिंग भार के साथ संयोजन में सिंचाई के लिए ट्यूबवेलों और गाहने तथा कुट्टी काटने के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं ।

(ii) सभी कनेक्शन एकल फेस 230वी 50 हार्टज प्रदाय या तीन फेस 400वी 50 हार्टज प्रदाय के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे ।

10. मशरूम की खेती

(i) मशरूम उत्पादन/की खेती के लिए इस प्रवर्ग के अधीन 100 केडब्ल्यू तक भार के कनेक्शन दिए जाते हैं ।

(ii) सभी कनेक्शन तीन फेस 400वी 50 हार्टज प्रदाय के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे ।

11. स्ट्रीट लाइटिंग

(i) इस प्रवर्ग के अधीन कनेक्शन दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग/दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम/सेना इंजनीयरी सेवा/सहकारी समूह आवास समितियों और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार के स्लम विभाग सहित स्ट्रीट लाइटिंग के सभी उपभोक्ताओं को प्रदान किए जाते हैं ।

(ii) सभी कनेक्शन भार पर निर्भर करते हुए 400वी 50 हार्टज तीन फेस प्रदाय या 230वी 50 हार्टज एकल फेस प्रदाय के माध्यम से दिए जाएंगे ।

12. सिगनल और बिलिंकर्स

(i) ये कनेक्शन यातायात पुलिस के यातायात सिगनलों और बिलिंकरों के लिए प्रदान किए जाएंगे ।

(ii) सभी कनेक्शन 230वी 50 हार्टज एकल फेस प्रदाय के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे ।

13. रेलवे ट्रेक्शन

(i) इस प्रवर्ग के अधीन 100 केडब्ल्यू से अधिक कनेक्टेड भार के लिए कनेक्शन दिल्ली मेट्रो रेल निगम से भिन्न रेलवे ट्रेक्शन के लिए प्रदान किए जाएंगे ।

(ii) सभी कनेक्शन 220केवी, 66 केवी या 33 केवी, 50 हार्टज तीन फेस प्रदाय के माध्यम से दिए जाएंगे ।

14. दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड

(i) इस प्रवर्ग के अधीन कनेक्शन दिल्ली मेट्रो रेल निगम को इसकी संकर्षण और प्रचालनात्मक अपेक्षाओं के लिए प्रदान किए जाएंगे ।

(ii) सभी कनेक्शन 220 केवी, 66 केवी या 33 केवी 50 हार्टज तीन फेस प्रदाय के माध्यम से दिए जाएंगे ।

अध्याय - 3

नए और विद्यमान कनेक्शन

नए कनेक्शन

15. सामान्य

(i) लाइसेंस धारक ऐसे कार्यालयों पर, जहां नए कनेक्शनों के लिए आवेदन स्वीकार किए जाते हैं, सहज रूप से नए कनेक्शनों के लिए विस्तृत प्रक्रिया और आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाली दस्तावेजों की पूर्ण सूची प्रदर्शित करेगा । आवेदक को कोई ऐसी अन्य दस्तावेज, जो सूचीबद्ध नहीं किया गया है, प्रस्तुत

करने के लिए नहीं कहा जाएगा । विनियमों में अनुबंध के अनुसार आवेदक द्वारा जमा की जाने वाली प्रतिभूति की दर/रकम और सर्विस लाइन की लागत भी प्रदर्शित की जाएगी ।

(ii) जहां आवेदक ने विद्यमान संपत्ति क्रय की हो और कनेक्शन कटा हुआ पड़ा है तो यह आवेदक का कर्तव्य होगा कि वह यह प्रमाणित करे कि पूर्व मालिक ने सभी बकाया का लाइसेंस धारक को भुगतान कर दिया है तथा लाइसेंस धारक से ''अनादेय प्रमाणपत्र'' प्रापत कर लिया है । पूर्व मालिक द्वारा ''अनादेय प्रमाणपत्र'' प्राप्त न किए जाने की दशा में, आवेदक संपत्ति क्रय करने के पूर्व लाइसेंस धारक के कारबार प्रबंधक से ''अनादेय प्रमाणपत्र'' के लिए संपर्क कर सकता है । कारबार प्रबंधक ऐसे अनुरोध को अभिस्वीत करेगा और या तो लिखित में परिसर पर बकाया रकम, यदि कोई है, की सूचना देगा अथवा आवेदन पत्र की तारीख से एक मास के भीतर ''अनादेय प्रमाणपत्र'' जारी करेगा। यदि लाइसेंस धारक, विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान बकाया रकम की सूचना नहीं देता या ''अनादेय प्रमाणपत्र'' जारी करेगा । यदि लाइसेंस धारक, विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान बकाया रकम की सूचना नहीं देता या ''अनादेय प्रमाणपत्र'' जारी करेगा । यदि लाइसेंस धारक, विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान बकाया रकम की सूचना नहीं देता या ''अनादेय प्रमाणपत्र'' जारी नहीं करता है तो पूर्व उपभोक्ता पर बकाया रकम के आधार पर नए कनेक्शन से इनकार नहीं किया जाएगा ।

(iii) जहां कोई संपत्ति/परिसर उपविभाजित किए गए हैं, वहां उस परिसर पर ऊर्जा के उपभोग की बकाया को, यदि कोई है, उपखंड के क्षेत्र के आधार पर आनुपातिक रूप में विभाजित किया जाएगा ।

(iv) आवेदक द्वारा ऐसे उपखंड भाग में आने वाले बकाया का भुगतान करने के पश्चात् ही नया कनेक्शन दिया जाएगा । लाइसेंस धारक केवल इस आधार पर आवेदक को कनेक्शन देने से इनकार नहीं करेगा कि उस परिसर के किसी अन्य भाग की बकाया का भुगतान नहीं किया गया है और न ही लाइसेंस धारक ऐसे आवेदक से

अन्य भागों के संदत्त अंतिम बिल का रिकार्ड मांगेगा ।

(v) परिसर या भवन के पूर्णतया गिराए जाने और पुनः निर्माण के मामले में, विद्यमान संस्थापन अभ्यर्पित और करार समाप्त किया जाएगा । मीटर और सर्विस लाइन हटा ली जाएंगी और इसे नया परिसर मानते हुए उपभोक्ता(ओं) द्वारा परिसर के पुराने बकाया के भुगतान के पश्चात् पुनः निर्मित परिसर या भवन के लिए नए कनेक्शनों की व्यवस्था की जाएगी ।

16. विद्युतीकृत कालोनी/क्षेत्र में विद्युत कनेक्शन

लाइसेंस धारक आवश्यक दस्तावेजों के साथ नए कनेक्शन के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र पर नीचे दी गई समय सीमा के भीतर कार्रवाई करेगा :

(i) आवेदक, नए कनेक्शन के लिए आवेदन इन नियमों के **उपबंध 1** में विहित या आयोग द्वारा समय-समय पर यथा अनुमोदित फार्म में करेगा । यदि आवेदक मीटर स्वयं उपलब्ध करना चाहता है तो वह इस संबंध में आवेदन करते समय लाइसेंस धारक को स्पष्ट रूप से लिखित में सूचित करेगा ।

(ii) लाइसेंस धारक, आवेदक को दिनांकित रसीद जारी करेगा और आवेदन पत्र में पाई गई किसी कमी की सूचना आवेदन पत्र प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर लिखित में देगा । इन कमियों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र स्वीकृत समझा जाएगा । यदि आवेदन पत्र में पाई गई किसी कमी के संबंध में आवेदक को अनुमोदित तीन दन में सूचित नहीं किया जाता है तो आवेदन पत्र लाइसेंस धारक द्वारा स्वीकृत समझा जाएगा ।

(iii) लाइसेंस धारक आवेदक या इसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में आवेदन स्वीकर किए जाने के पांच दिन के भीतर परिसर का निरीक्षण करेगा । यदि निरीक्षण पर लाइसेंस धारक को पता चलता है कि :

(क) आवेदन पत्र में दी गई सूचना मिथ्या है ; या

(ख) संस्थापन दोषपूर्ण है ; या

(ग) ऊर्जित करना अधिनियम/विद्युत नियम/टैरिफ आदेश के किसी उपबंध के उल्लंघन में होगा,

तो लाइसेंस धारक भार मंजूर नहीं करेगा और आवेदक को लिखित में इसके कारणों से सूचित करेगा ।

(iv) अन्य सभी मामलों में, अधिनियम या इन विनियमों में यथाउपबंधित के सिवाय, लाइसेंस धारक भार मंजूर करेगा और ऐसे कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रतिभूति जमा सहित लागू प्रभारों का अलग-अलग आकलन देते हुए इन विनियमों के उपबंधों के अनुसरण में आवेदक को समुचित रसीद के विरुद्ध मांग पत्र तैयार करेगा । इलसेंस धारक, आवेदक की प्रार्थना पर भुगतान, आवेदन करते समय प्राप्त कर सकेगा जिसे सभी वाणिज्यिक औपचारिकताएं पूरी करने के अधीन स्वीकार किया जाएगा ।

(v) मांग पत्र दिए जाने के बाद लाइसेंस धारक कनेक्शन ऊर्जित करने के लिए नीचे खंड (vii) के अधीन रहते हुए बाध्य होगा ।

(vi) प्रतिभूति निक्षेप की रकम विनिमय 29 के अनुसार या आयोग द्वारा समय-समय पर यथा अनुमोदित रकम होगी । अधिसूचना की तारीख के पश्चात् नए कनेक्शनों के संबंध में, लाइसेंस धारक उपभोक्ता को प्रतिभूति निक्षेप पर निक्षेप की तारीख से 6% वार्षिक दर से या आयोग द्वारा विहित किसी अन्य दर से ब्याज का भुगतान वार्षिक आधार पर करेगा या अन्य मामलों में इन विनियमों के अधिसूचित किए जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान उपाप्त ब्याज आगामी वित्तीय वर्ष के प्रथम बिलिंग चक्र के लिए बिल में समायोजित कर दिया जाएगा।

(vii) आवेदक मांग पत्र प्रापत होने के सात दिनों के भीतर भुगतान करेगा । पूर्ण भुगतान किए जाने पर ही लाइसेंस धारक कनेक्शन को ऊर्जित करने के लिए बाध्य होगा किंतु कुल समय अवधि अधिनियम की धारा 43 में अनुबंधित के अनुसार होगी ।

यदि आवेदक को सात दिनों के भीतर भुगतान करने में कोई कठिनाई है तो वह लाइसेंस धारक से समय विस्तार के लिए लिखित में आवेदन करेगा । इस प्रकार विस्तारित समय को लाइसेंस धारक द्वारा कनेक्शन ऊर्जित करने में लिए गए समय की गणना करने में हिसाब में नहीं लिया जाएगा और उक्त अवधि के लिए अधिनियम की धारा 43 के अधीन कनेक्शन में विलंब के लिए संदेय प्रतिकर नहीं दिया जाएगा ।

(viii) लाइसेंस धारक, यदि कनेक्शन विद्यमान तंत्र से प्रदान किया जाना है तो भुगतान प्राप्त होने के बारह दिनों के भीतर कनेक्शन को, अधिनियम की धारा 55 के अधीन प्राधिकरण द्वारा यथा अधिसूचित एक सही मीटर के माध्यम से ऊर्जित करेगा ।

(ix) यदि लाइसेंस धारक उपरोक्त उपधारा (i) से उपधारा (viii) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आवेदक को कनेक्शन देने में असफल रहता है तो वह समुचित प्राधिकारी द्वारा युक्तियुक्त रूप से सुने जाने के पश्चात् इन विनियमों की अनुसूची 3 के अनुसार आवेदक को प्रतिकर देने का दायी होगा । यह प्रतिकर आवेदक के प्रथम बिल में और यदि आवश्यक हो तो पश्चात्वर्ती बिलों में समयोजित किया जाएगा ।

(x) तथापि, लाइसेंस धारक, कनेक्शन प्रदान करने में विलंब के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा यदि वह पथ अधिकार, भूमि अर्जन, सड़क काटने के लिए अनुमति में विलंब जैसे कारणों से हो, जिन पर लाइसेंस धारक का नियंत्रण नहीं है परंतु यह तब जब कि विलंब के लिए कारण लाइसेंस धारक द्वारा आवेदक को ऊर्जित करने के लिए विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संसूचित कर दिए गए हों ।

(xi) लाइसेंस धारक प्रथम बिल, कनेक्शन ऊर्जित करने के दो बिलिंग चक्रों के भीतर जारी करेगा । यदि उपभोक्ता को प्रथम बिल कनेक्शन ऊर्जित किए जाने की तारीख से दो बिलिंग चक्रों के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो वह लाइसेंस धारक के संबंधित जिला कार्यालय के कारबार प्रबंधक को इसकी लिखित शिकायत करेगा और लाइसेंस धारक अगले चौदह दिनों में बिल जारी करेगा । किसी भी स्थिति में,

यदि कनेक्शन ऊर्जित किए जाने के चार बिलिंग चक्रों में बिल जारी नहीं किया जाता है तो लाइसेंस धारक विनियमों की अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिकर का भुगतान करेगा ।

17. कनेक्शन जहां प्रणाली विस्तार अपेक्षित है

(i) जहां विद्यमान परिणामन क्षमता की 80% क्षमता भारित होती हो वहां लाइसेंस धारक क्षमता के विस्तार के लिए समुचित कार्रवाई करेगा । तथापि, ऐसे मामलों में, नए कनेक्शन से इनकार नहीं किया जाएगा ।

(ii) ऐसे कनेक्शनों के संबंध में जहां वितरण प्रणाली का विस्तारण अपेक्षित है, लाइसेंस धारक ऐसी संभावित समय-सीमा से आवेदक को सूचित करेगा जिस तक आवेदित भार ऊर्जित किया जाए और यह नीचे सारणी 1 में दी गई समय-सीमा से अधिक नहीं होगी :

सारणी - 1

1.	5 खंबों तक एलटी लाइन का विस्तार	पंद्रह दिन
2.	विद्युतीकृत क्षेत्र जहां लाइनों का विस्तार या वितरण ट्रांसफामरमर का विस्तार अपेक्षित है	साठ दिन
3.	विद्युतीकृत क्षेत्र जहां नया वितरण ट्रांसफारमर अपेक्षित है	एक सौ बीस दिन
4.	विद्युतीकृत क्षेत्र जहां विद्यमान 11 केवी तंत्र को सशक्त बनाना आवश्यक है	एक सौ अस्सी दिन
5.	विद्युतीकृत क्षेत्र जहां विद्यमान 66/33 केवी ग्रिड उपकेंद्र का विस्तार अपेक्षित है	दो सौ चालीस दिन

उपरोक्त समय-सूची सभी औपचारिकताएं पूरी होने पर प्रारंभ होगी जिसमें ऐसा विस्तार करने के लिए मांग पत्र में उल्लिखित रकम सहित सभी बकाया का भुगतान लाइसेंस धारक द्वारा प्राप्त किया जाना सम्मिलित है । अनुबंधित तारीख के पश्चात् कनेक्शन जारी करने में विलंब के लिए प्रतिकर अनुसूची 3 में यथाविनिर्दिष्ट के अनुसार होगा और यह समुचित प्राधिकारी द्वारा आवश्यक सुनवाई के पश्चात्

संदेय होगा ।

18. अविद्युतीकृत क्षेत्रों में कनेक्शन

(i) लाइसेंस धारक, इन विनियमों की अधिसूचना के तीन मास के भीतर अपने प्रदाय क्षेत्र के अधीन अविद्युतीकृत कालोनी/क्षेत्रों के ब्यौरों से आयोग को सूचित करेगा। उसके पश्चात् लाइसेंस धारक अपने प्रदाय क्षेत्र की समीक्षा करेगा और दो वर्षों में एक बार अविद्युतीकृत कालोनियों/क्षेत्रों की पुनरीक्षित सूची आयोग में फाइल करेगा।

(ii) इन विनियमों की अधिसूचना से तीन मास के भीतर लाइसेंस धारक सर्विस कनेक्शनों के लिए लंबित आवेदन पत्रों, भार वृद्धि के लिए संभाव्यता आदि पर सम्यक् विचार करने के पश्चात् इन क्षेत्रों के विद्युतीकरण के लिए एक विस्तृत योजना प्रस्तुत करेगा । विद्युतीकरण के लिए योजना प्रस्तुत करते समय लाइसेंस धारक यह सुनिश्चित करेगा कि देश की सभी सुसंगत विधियों का पालन किया गया है ।

(iii) लाइसेंस धारक ऐसे क्षेत्रों का विद्युतीकरण नीचे सारणी 2 में दी गई समय-सूची के अनुसार करेगा और आवेदकों को नए कनेक्शन जारी करेगा :

1.	अविद्युतीकृत क्षेत्र जहां पास में विद्यमान तंत्र से विस्तार संभव है	छह मास इन विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट उपभोक्ताओं के भाग के आवश्यक विकास प्रभार के निक्षेप की प्राप्ति के पश्चात् जिससे कि संभावित उपभोक्ता आधार को 50% को विद्युत प्रदाय के लिए विद्युतीकरण की अपेक्षा पूरी हो सके ।
2.	अविद्युतीकृत क्षेत्र/हरित पट्टी परियोजनाएं जहां नया तंत्र बिछाया जाना है या ग्रिड केंद्र स्थापित	संभावित उपभोक्ता आधार के 50% को विद्युत प्रदाय के लिए विद्युतीकरण अपेक्षा के अंतर्गत प्रकीर्ण प्रभारों के अधीन आयोग द्वारा यथा अनुमोदित उपभोक्ता के

	किया जाना आवश्यक है	भाग के आवश्यक विकास प्रभार के निक्षेप की प्राप्त के पश्चात् और पथ अधिकार तथा राजस्व प्राधिकारियों, भूमि स्वामित्व वाले अभिकरणों से ग्रिड के लिए भूमि उपलब्ध होने पर 12 मास के लाइसेंस धारक, ऐसी अपेक्षित भूमि का पता लगाकर 30 से अनधिक दिनों में राजस्व प्राधिकारियों को आवेदन करेगा और इसकी एक प्रति आयोग को भेजेगा ।

जहां क्षेत्र का विकास किसी विकासकर्ता द्वारा किया जा रहा हो, वहां प्रभार विनियम 30 के निबंधनों के अनुसार उद्ग्रहीत और वसूल किए जाएंगे । अनुबंधित तारीख के पश्चात् कनेक्शन जारी करने में विलंब के लिए प्रतिकर अनुसूची 3 यथानिर्दिष्ट रीति से दिया जाएगा ।

19. अस्थायी प्रदाय

अस्थायी प्रदाय लघु अवधि आवश्यकताओं जैसे विवाहों, धार्मिक समारोह, निर्माण गतिविधियों, प्रदर्शनियों, सांस्कृतिक समारोह आदि के लिए प्रदान किया जाएगा । लाइसेंस धारक, अस्थायी प्रदाय के आवेदनों पर निम्नानुसार कार्रवाई करेगा :-

(i) आवेदक, अस्थायी प्रदाय के लिए अनुरोध इन विनियमों के साथ संलग्न **उपबंध 2** में विहित फार्मेट या समय-समय पर आयोग द्वारा अनुमोदित फामेर्ट में करेगा ।

(ii) लाइसेंस धारक आवेदक को, अनुरोध के लिए दिनांकित रसीद जारी करेगा । आवेदन पत्र में किसी तरह की कमी को तुरंत, आवेदन प्रस्तुत करते समय ही दूर कराया जाएगा । इन कमियों के दूर हो जाने पर आवेदन पत्र स्वीकृत समझा जाएगा ।

(iii) लाइसेंस धारक अनुरोध किए गए कनेक्शन की तकनीकी साध्यता की जांच करेगा और यदि साध्य पायाजाए तो वह भार को मंजूरी देगा और आवेदन स्वीकार किए

जाने को दो दिनों के भीतर विनियमों के उपबंधों के अनुसार मांग पत्र जारी करेगा। यदि कनेक्शन तकनीकी तौर पर साध्य नहीं पाया जाए तो वह उसकी सूचना आवेदक को लिखित में कारण दर्शाते हुए आवेदन स्वीकार किए जाने के तीन दिनों के भीतर देगा । 10 केडब्ल्यू तक का कोई भी कनेक्शन तकनीकी आधार पर रद्द नहीं किया जाएगा ।

(iv) आवेदक, मांगपत्र के अनुसार, मांगपत्र के प्राप्त होने के दो दिनों के भीतर संदाय करेगा, जिसमें असफल होने पर स्वीकृति व्यपगत हो जाएगी । लाइसेंस धारक आवेदक के अनुरोध पर, आवेदन प्रस्तुत करेते समय ही भुगतान भी स्वीकार कर सकेगा जिसे सभी वाणिज्यिक औपचारिकताएं पूरी करने के अधीन रहते हुए स्वीकार किया जाएगा ।

(v) लागू प्रभारों का भुगतान किए जाने के बाद लाइसेंस धारक आवेदन पत्र में उपदर्शित तारीख के अनुसार कनेक्शन ऊर्जित करेगा ।

(vi) यदि परिसर पर कुछ बकाया देय है तो जब तक बकाया का भुगतान न किया जाए अस्थायी, कनेक्शन से इनकार किया जा सकता है ।

(vii) अस्थायी कनेक्शन एक समय पर तीन मास की अवधि तक के लिए प्रदान किया जा सकता है जिसे आवश्यकता के आधार पर और विस्तारित किया जा सकता है ।

(viii) अस्थायी कनेक्शन प्रदान किए जाने से आवेदक के पक्ष में स्थायी कनेक्शन लेने के लिए कोई अधिकार सृजित नहीं होता है । यह नया कनेक्शन प्रदान किए जाने के लिए विनियम 15 और 16 से शासित होगा ।

विद्यमान कनेक्शन

20. कनेक्शन का अंतरण

लाइसेंस धारक, अंतरण से संबंधित आवेदन पत्र पर निम्नलिखित विहित रीति में कार्रवाई करेगा :-

(1) संपत्ति के स्वामित्व/अधिभोग में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन

(i) आवेदक, उपभोक्ता का नाम बदलने के लिए इन विनियमों के **उपबंध 3** में विहित फार्मेट या समय-समय पर आयोग द्वारा अनुमोदित फार्मेट में सम्यक्तः संदत्त अंतिम बिल की प्रति के साथ आवेदन करेगा । आवेदन पत्र, संपत्ति के विधिपूर्ण स्वामित्व/अधिभोग का सबूत दिखाने पर स्वीकार कर लियाजाएगा ; आवेदक के नाम में प्रतिभूति निक्षेप अंतरित किए जाने के लिए परिसर के रजिस्ट्रीकृत उपभोक्ता/अधिकृत व्यक्ति/पूर्व अधिभोगी से एनओसी (अनापत्ति प्रमाणपत्र) प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा । लाइसेंस धारक आवेदक के आवेदन पत्र की दिनांकित रसीद जारी करेगा । आवेदन पत्र में पाई गई किसी कमी से, आवेदन प्राप्त किए जाने के सात दिनों के भीतर आवेदक को सूचित किया जाएगा । इन दोषों को सुधारने के पश्चात् ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा ।

(ii) उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन, आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने के पश्चात् दो बिलिंग चक्रों के भीतर किया जाएगा । तथापि, यदि उक्त दो बिलिंग चक्रों के भीतर उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन नहीं होता है तो लाइसेंस धारक द्वारा प्रतिकर जैसा कि अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट है, दिया जाएगा ।

(iii) रजिस्ट्रीकृत उपभोक्ता/अधिकृत व्यक्ति/पूर्व अधिभोगी से एनओसी (अनापत्ति प्रमाणपत्र) प्रस्तुत न किए जाने के मामले में, नाम में परिवर्तन के लिए आवेदन पर केवल तब विचार किया जाएगा । जब नए सिरे से विनियम में अनुबंधित प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान कर दिया जाए । तथापि, मूल प्रतिभूति निक्षेप दावाकर्ता को संबंधित व्यक्ति द्वारा दावा प्रस्तुत करने पर वापिस कर दिया जाएगा ।

(2) विधिक वारिस के नाम में उपभोक्ता के नाम का अंतरण :

(i) आवेदक, उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन के लिए इन विनियमों के **उपबंध 4**

में विहित फार्मेट या समय-समय पर आयोग द्वारा अनुमोदित फार्मेट में सम्यकतः संदत्त अंतिम बिल की प्रति के साथ आवेदन करेगा । भूमि अभिकरण द्वारा जारी दाखिल-खारिज पत्र या विधिक विरासत का कोई अन्य सबूत प्रस्तुत करने पर आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा । आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने के दो बिलिंग चक्रों के भीतर उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन हो जाएगा । लाइसेंस धारक आवेदक के अनुरोध पर दिनांकित रसीद जारी करेगा । आवेदन पत्र में किसी कमी के संबंध में आवेदक को आवेदन पत्र प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर सूचित किया जाएगा । ऐसे दोष सुधारे जाने के पश्चात् ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा ।

(ii) तथापि, यदि उक्त दो बिलिंग चक्रों के भीतर उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन नहीं होता है तो लाइसेंस धारक द्वारा प्रतिकर जैसा कि अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट है दिया जाएगा ।

(iii) विद्युत का कोई प्रभार या विद्युत के प्रभार से भिन्न कोई अन्य देय राशि जो लाइसेंस धारक को संदेय है और मृतक उपभोक्ता या भूमि/परिसर के तत्कालीन स्वामी/अधिभोगी, विधिक प्रतिनिधि, विधिक उत्तरावर्ती को अंतरित परिसर पर प्रभार होगी या परिसर के नए स्वामी को अंतरित हो जाएगी और यह लाइसेंस धारक द्वारा यथास्थिति, विधिक प्रतिनिधि और विधि उत्तरावर्ती या परिसर के नए मालिक/अधिभोगी से बकाया के रूप में वसूलनीय होगी ।

21. भार में कमी

(i) भार में कमी के लिए आवेदन पत्र, 100 केडब्ल्यू तक के कनेक्शनों के लिए मूलतः अर्जित किए जाने के लिए एक वर्ष बाद और 100 केडब्ल्यू से अधिक के कनेक्शनों के लिए मूलतः ऊर्जित किए जाने के दो वर्ष पश्चात् स्वीकार किए जाएंगे । आवेदक, भार में कमी के लिए आवेदन पत्र लाइसेंस धारक को विनियमों के **उपबंध**

4 में विहित फार्मेट में या आयोग द्वारा समय-समय पर, अनुमोदित फार्मेट में, भार में कमी के लिए कारणों के साथ, प्रस्तुत करेगा ।

(ii) लाइसेंस धारक, सत्यापन के पश्चात् ऐसा ओवदन स्वीकार किए जाने की तारीख से दस दिन के भीतर कम किए गए भार को स्वीकृति प्रदान करेगा ।

(iii) ऐसे भार में कमी अगले बिलिंग चक्र से प्रभावी होगी ।

(iv) भार में कमी के कारण मूल निक्षिप्त दर पर उत्पन्न प्रतिभूति निक्षेप का अंतर 60 दिनों के भीतर बिलों में समायोजित कर दिया जाएगा ।

(v) नया भार विद्यमान भार में 75% से कम हो जाने की स्थिति में, मीटर या सर्विस लाइन बदले जाएंगे और सर्विस लाइन की लागत आवेदक से वसूल की जाएगी।

(vi) भार में कमी में मूलतः ऊर्जित किए जाने के समय के भार की अधिकतम 50% तक सीमित होगी ।

(vii) यदि उक्त अवधि के दौरान भार में कमी स्वीकृत नहीं की जाती है तो प्रतिकर जैसा कि अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट है, दिया जाएगा ।

22. प्रवर्ग में परिवर्तन

(i) आवेदक, प्रवर्ग में परिवर्तन के लिए आवेदन विनियमों के **उपबंध 4** में विहित या आयोग द्वारा समय-समय पर अनुमोदित फार्मेट में करेगा । लाइसेंस धारक आवेदक के अनुरोध की दिनांकित रसीद जारी करेगा । आवेदन पत्रों में पाई गई कमियों से आवेदक को लिखित में आवेदन पत्र स्वीकार किया गया समझा जाएगा ।

(ii) किसी प्रवृत्त विधि के अधीन ऐसे प्रवर्ग में परिवर्तन अनुज्ञात न होने के मामले में लाइसेंस धारक आवेदन पत्र की तारीख से 10 दिनों के भीतर आवेदक को सूचित करेगा ।

(iii) लाइसेंस धारक सत्यापन के लिए परिसर का निरीक्षण करेगा और आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 10 दिनों के भीतर प्रवर्ग में परिवर्तन करेगा ।

(iv) प्रवर्ग में परिवर्तन, परिवर्तन के बिलिंग चक्र के पश्चात्वर्ती बिलिंग चक्र या 30 दिन बीत जाने पर, इनमें जो भी पूर्ववर्ती हो, से प्रभावी होगा । यदि उक्त अवधि के दौरान प्रवर्ग में परिवर्तन नहीं किया जाता है तो लाइसेंस धारक द्वारा, प्रतिकर जैसा कि अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट है, दिया जाएगा ।

23. भार में वृद्धि

24. 1 फेस से 3 फेस एलटी में संपरिवर्तन और इसके विलोमतः

25. एलटी से एचटी में संपरिवर्तन और इसके विलोमतः

विनियम 23 से 25 के लिए, जहां लागू हो, विनियम 16, 22 और 34 में अधिकथित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा । भार में वृद्धि के लिए प्रतिभूति निक्षेप प्रचालित दरों पर लिया जाएगा ।

अध्याय - 4

करार और प्रकीर्ण प्रभार

26. करार

(i) नया कनेक्शन लेने और संविदा मांग जैसे करार पाए गए मापदंडों में परिवर्तन के लिए आवेदक द्वारा **उपाबंध 1** में विहित या समय-समय पर आयोग द्वारा अनुमोदित फार्मेट में विहित मूल्य के स्टांप पेपर पर दो प्रतियों में (थोक उपभोक्ता की स्थिति में) एक करार निष्पादित किया जाएगा । किन्हीं विशेष परिस्थितियों के मामले में, यदि आवेदक और लाइसेंस धारक राजी हों तो करार में विशेष खंड जोड़े जा सकते हैं परंतु यह तब जब कि इस खंडों से विद्युत अधिनियम, 2003 और प्रवर्तन में अन्य नियमों और विनियमों का उल्लंघन न होता हो । ये विशेष खंड करार का भाग रूप होंगे । निष्पादन के पश्चात् करार की एक प्रति उपभोक्ता को दी जाएगी ।

27. करार समाप्त करना

(i) यदि प्रभारों अथवा बकाया का भुगतान न किए जाने या इन नियमों के अधीन जारी

किसी निर्देश का पालन न करने के कारण किसी उपभोक्ता को विद्युत का प्रदाय एक सौ अस्सी (180) दिन की अवधि के लिए बंद रहता है तो लाइसेंस धारक उपभोक्ता को करार समाप्त करने के लिए कारण बताओ सूचना जारी करेगा । उपभोक्ता, ऐसी सूचना का उत्तर सात दिनों के भीतर दे सकेगा । यदि कनेक्शन बंद रहने के कारण का समाधान करने या विद्युत प्रदाय पुनः चालू करने के लिए उपभोक्ता द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा सकती है तो सूचना की तामील की तारीख से सात दिन की अवधि की समाप्ति पर विद्युत प्रदाय के लिए लाइसेंस धारक द्वारा उपभोक्ता के साथ किया गया करार समाप्त हो जाएगा । अस्थायी रूप से कनेक्शन बंद रहने की अवधि के दौरान, उपभोक्ता, यथास्थिति, मांग प्रभार या नियत प्रभार देने के लिए दायी होगा ।

(ii) घरेलू और एकल फेस गैर-घरेलू प्रवर्ग के उपभोक्ता, एक वर्ष की लाक-इन अवधि की समाप्ति के पश्चात् 15 दिन की सूचना देकर करार समाप्त कर सकेंगे । घरेलू और एकल फेस गैर-घरेलू से भिन्न प्रवर्ग के उपभोक्ता दो वर्ष की लाक-इन अवधि की समाप्ति के पश्चात् एक मास की सूचना देकर करार समाप्त कर सकेंगे । परंतु यह कि यदि करार की प्रारंभिक लाक-इन अवधि की समाप्ति के पूर्व करार समाप्त कियाजाना है तो घरेलू और एकल फेस गैर-घरेलू से भिन्न प्रवर्ग के उपभोक्ता, शेष लाक-इन अवधि के लिए, लागू टैरिफ के अनुसार मांग प्रभार का संदाय करने के लिए दायी होंगे ।

परंतु यह भी कि लाइसेंस धारक आपस में करार पाई गई तारीख को विशेष मीटर रीडिंग की व्यवस्था करेगा और अंतिम बिल तैयार करेगा । ऐसे बिल को अंतिम बिल के रूप में प्रमाणित किया जाएगा । अंतिम बिल का भुगतान किए जाने पर करार समाप्त हो जाएगा । अंतिम बिल के भुगतान की रसीद को ''अनादेय प्रमाणपत्र'' माना जाएगा ।

(iii) करार समाप्त हो जाने पर, लाइसेंस धारक, उपभोक्ता के परिसर से सर्विस लाइन तथा लाइसेंस धारक के अन्य उपस्कर हटाने का अधिकारी होगा । स्थायी रूप से

कनेक्शन कट जाने के पश्चात् यदि उपभोक्ता कनेक्शन को पुनः पुनरुज्जीवित करना चाहे तो इसे नए कनेक्शन का आवेदन माना जाएगा और उस पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब सभी बकाया का भुगतान कर दिया जाएगा ।

28. रजिस्ट्रीकरण-सह-प्रक्रिया फीस

ईएसटी और एचटी के नए कनेक्शन के लिए आवेदन पत्र करते समय दस हजार रुपए की रजिस्ट्रीकरण-सह-प्रक्रिया फीस उद्ग्रहीत की जाएगी । लाइसेंस धारक द्वारा मांग पत्र जारी करते समय यह प्रभार समायोजित किए जाएंगे ।

29. प्रतिभूति निक्षेप

सभी नए उपभोक्ता निम्नलिखित दरों पर प्रतिभूति का भुगतान करेंगे :

तालिका 3

क्र. सं.	प्रवर्ग	रकम (रुपए/केडब्ल्यू)
1.	घरेलू	600
2.	गैर घरेलू	1500
3.	औद्योगिक	1500
4.	कृषि	300
5.	स्ट्रीट लाइट	1500
6.	रेलवे, डीएमआरसी	1500
7.	मशरूम खेती	600
8.	अस्थायी कनेक्शन : तीन दिन के लिए सात दिन के लिए या उसके गुणक में, सात दिन के लिए ब्लाक में नियमित उपयोग/निर्माण कार्य के लिए	 300 प्रति सात दिन के ब्लाक या उसके भाग के लिए 500 रु0 सुसंगत प्रवर्ग का 1.5 गुणा

30. सर्विस लाइन-सह-विकास (एसएलडी) प्रभार

(i) दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम, लोक निर्माण विभाग जैसे विकास अभिकरणों या प्राइवेट विकासकर्ताओं द्वारा विकसित और प्रयोजित क्षेत्र के लिए, लाइसेंस धारक द्वारा विद्युतीकरण, एचटी फीडर्स, सिविल कार्य सहित उपकेंद्र एलटी

फीडर्स की 50% लागत और सर्विस लाइन तथा स्ट्रीट लाइन की 100% लागत प्रभारित करने के पश्चात् किया जाएगा ।

(ii) प्राइवेट विकास अभिकरण के मामले में उपकेंद्र के लिए सिविल निकाय द्वारा सम्यकतः अनुमोदित भूमि या उपकेंद्र के लिए निर्मित स्थल लाइसेंस धारक को विकासकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा । सरकारी अभिकरण द्वारा विकास किए जाने के मामले में, उपकेंद्र के लिए भूमि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी । यदि क्षेत्र के विद्युतीकरण के लिए ग्रिड उपकेंद्र अपेक्षित है तो भूमि अर्जन और लागत उद्ग्रहण के लिए वैसी ही प्रक्रिया लागू होगी ।

(iii) यदि लाइसेंस धारक द्वारा किसी क्षेत्र/कालोनी को विद्युतीकृत किया जाता है तो सभी उपभोक्ताओं द्वारा, इस पर ध्यान दिए बिना की क्षेत्र विद्युतीकृत है या अविद्युतीकृत, एसएलडी प्रभार संदेय होंगे । सारणी 4 में नीचे दिए गए एसएलडी प्रभार उद्ग्रहणीय है :

सारणी 4

सर्विस लाइन-सह-विकास प्रभार

क्र. सं.	स्वीकृत भार (केडब्ल्यू)	रकम (रुपए)
1.	5 तक	3000
2.	5 से अधिक और 10 तक	7000
3.	10 से अधिक और 20 तक	11000
4.	20 से अधिक और 50 तक	16000
5.	50 से अधिक और 100 तक	31000
6.	100 केडब्ल्यू से अधिक (11 केवी पर)	एचटी केबल/लाइन/स्विच गियर की 50% लागत

31 सर्विस लाइन में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

(i) सर्विस लाइन प्रभारों में जीआई पाइप, ईंटों, रेत आदि की लागत सम्मिलित है ।

(ii) सभी नए कनेक्शनों को बसबार का प्रयोग करते हुए ऊर्जित किया जाएगा न कि केवल रोधी 'लूप' कनेक्शन के माध्यम से ।

(iii) सड़क काटने की अनुमति और दूसरे आवश्यक समाशोधन उपभोक्ता की ओर से लाइसेंस धारक द्वारा प्राप्त किए जाएंगे । इसकी लागत उपभोक्ता से प्रभारित होगी और इसे मांगपत्र में अलग से दर्शाया जाएगा ।

(iv) सर्विस लाइन का रखरखाव लाइसेंस धारक द्वारा किया जाएगा और यह उसका अधिकार होगा कि वह उसी सर्विस लाइन का उपयोग, अन्य सभी उपभोक्ता प्रदाय को प्रभावित किए बिना, बसबार के माध्यम से किसी अन्य उपभोक्ता को प्रदाय का विस्तार करने के लिए करे ।

32. संस्थापन निरीक्षण फीस

(i) नया कनेक्शन ऊर्जित किए जाते समय जब प्रथम बार संस्थापन का निरीक्षण किया जाता है तो लाइसेंस धारक कोई संस्थापन निरीक्षण फीस प्रभारित नहीं करेगा ।

(ii) उपभोक्ता के अनुरोध पर पश्चात्वर्ती निरीक्षणों के मामले में, लाइसेंस धारक द्वारा संस्थापन निरीक्षण फीस निम्नलिखित दरों से प्रभावित की जाएगी ।

तालिका 5

क्र. सं.	प्रवर्ग	रकम (रुपए में)
1.	5 केडब्ल्यू तक	60
2.	5 से अधिक और 10 केडब्ल्यू तक	100
3.	10 केडब्ल्यू से अधिक	200
4.	एचटी संस्थापन	500

33. एचटी/ईएचटी प्रदाय के लिए उपकेंद्र स्थान

(i) उच्च वोल्टेज पर प्रदाय प्राप्त करने वाला उपभोक्ता, जहां लाइसेंस धारक द्वारा उपकेंद्र स्थापित किया जाना अपेक्षित है, लाइसेंस धारक के मीटरिंग और अन्य उपस्कर रखने के प्रयोजन के लिए अपने खर्च पर एक तालाबंद मौसम रोधी और जल रोधी स्वीकृत डिजाइन का अहाता प्रदान करेगा और उसका रखरखाव भी करेगा ।

(ii) लाइसेंस धारक को उपभोक्ता के परिसर में स्थित उपकेंद्र का उपयोग, सिवाय एचटी तंत्र के, अन्य उपभोक्ताओं को विद्युत ऊर्जा का प्रदाय करने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

34. अतिरिक्त प्रभार

(i) लाइसेंस धारक द्वारा प्रभारित की जाने वाली मीटर टेस्टिंग फीस निम्नानुसार होगी :-

मीटर का प्रवर्ग	रु0/मीटर
एकल फेस	50
तीन फेस	100
सीटी मीटर	500
एचटी मीटर	2000

(ii) उपभोक्ता द्वारा अनुरोध किए जाने पर विशेष मीटर रीडिंग प्रभार होंगे - लो टेंशन के लिए 25 रुपए और हाई टेंशन के लिए 100 रुपए ।

अध्याय 5

मीटरिंग और बिलिंग

35. सामान्य

(i) आयोग द्वारा विशिष्ट रूप से विमुक्ति के सिवाए किसी भी संस्थापन को मीटर के बिना सेवा प्रदान नहीं की जाएगी । सभी मीटर अधिनियम की धारा 55 के अधीन प्राधिकरण द्वारा जारी विनियमों में अधिकथित अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे ।

(ii) लाइसेंस धारक किसी नए कनेक्शन को ऊर्जित करने या मीटर को प्रतिस्थापित करने या ऊर्जा संपरीक्षा और अंतरापृष्ठ मीटर जैसे अन्य प्रयोजनों के लिए ऊपर उपखंड (i) में निर्दिष्ट विनियमों का पालन करेगा । उपभोक्ता, यदि ऐसी इच्छा व्यक्त करे, अधिनियम की धारा 55 के अधीन प्राधिकरण द्वारा जारी विनियमों के अनुरूप मीटर की व्यवस्था कर सकेगा और लाइसेंस धारक मीटर की जांच,

संस्थापित करेगा और उसे सील कर देगा ।

परंतु यह कि यदि कोई उपभोक्ता किसी चरण पर अपना मीटर लगवाना चाहता है तो उसकी व्यवस्था लाइसेंस धारक द्वारा उपभोक्ता की लागत पर की जाएगी या उपभोक्ता स्वयं क्रय कर सकता है । उपभोक्ता द्वारा या उसकी ओर से क्रय किए गए मीटर की लाइसेंस धारक द्वारा जांच की जाएगी, उसे संस्थापित और सील किया जाएगा । तथापि, उक्त मीटर अधिनियम की धारा 55 के अधीन प्रकाशित सीईए विनियमों के साथ संगत होना चाहिए और उसमें आयोग द्वारा अनुमोदित सभी अतिरिक्त आवश्यकताएं होनी चाहिए । आयोग द्वारा अनुमोदित विशेषताएं लाइसेंस धारक की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगी । मीटर के स्थायी रूप से लाइसेंस धारक की प्रणाली से हटाए जाने के पश्चात् ही उपभोक्ता यह दावा कर सकेगा कि उसके द्वारा क्रय किया गया या जिसके लिए उसने भुगतान किया, वह मीटर उसकी आस्ति है ।

(iii) मीटर को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने की जिम्मेदारी उपभोक्ता की होगी । उपभोक्ता, मीटर संस्थापित किए जाने के लिए ऐसा समुचित और पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराएगा जहां लाइसेंस धारक या उसके प्रतिनिधि आसानी से पहुंच सकें । मीटर में होने वाली किसी दुर्घटना, दोष या कठिनाई की सूचना उपभोक्ता द्वारा तुरंत लाइसेंस धारक को दी जाएगी।

(iv) यह जिम्मेदारी लाइसेंस धारक की होगी कि वह मीटर का रखरखाव रखे और हर समय मीटर चालू अवस्था में हो ।

(v) लाइसेंस धारक मीटर संस्थापन या प्रतिस्थापन के समय मीटर की विशिष्टियां अभिलिखित करने के लिए मीटर विशिष्टि पत्र का एक फार्मेट तैयार करेगा । लाइसेंस धारक के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा सम्यकतः हस्ताक्षरित की एक प्रति समुचित रसीद के विरुद्ध उपभोक्ता को दी जाएगी । मीटर का प्रारंभिक संस्थापन या प्रतिस्थापन, एक सप्ताह की सूचना देने के पश्चात् उपभोक्ता या उसके

अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में लाइसेंस धारक के इंजीनियर द्वारा किया जाएगा । उपभोक्ता या उसका अधिकृत प्रतिनिधि मीटर विशिष्टि पत्र पर हस्ताक्षर करेगा ।

(vi) लाइसेंस धारक ऐसी मीटरिंग प्रणाली की व्यवस्था भी कर सकेगा जहां यूनिटें उपभोक्ता के परिसर में प्रदर्शित होंगी तथा मीटरिंग यूनिट परिसर के बाहर जैसे खंबे आदि पर होगी । ऐसे मामलों में मीटरिंग यूनिट की सुरक्षित अभिरक्षा का दायित्व लाइसेंस धारक का होगा ।

(vii) मीटर सील की अभिक्रिया, प्राधिकरण के विनियमों की धारा 12 के अनुसार होगी ।

36. वायरिंग (तार बिछाना)

(i) उपभोक्ता अपने परिसर के तार बिछाने का कार्य भारतीय विद्युत नियम, 1956 और भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार करेगा ।

(ii) संस्थापन की जांच करते समय लाइसेंस धारक के प्रतिनिधि को यह पता चलता है कि उपभोक्ता की वायरिंग में दोष है तो वह संस्थापन को सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यक परिवर्तन करने हेतु लिखित में सूचना देगा ।

(iii) कनेक्शन तभी ऊर्जित किया जाएगा जब दोषों को सुधार लिया जाए ।

(iv) लाइसेंस धारक, उपभोक्ता के फायदे के लिए तथा परिसर के भीतर प्रति मीटर तंत्र के विभेदी फेस और न्यूट्रल तार के रखरखाव के लिए तभी आतंरिक वायरिंग में भूमि रिसाव की बाबत एक सार्वजनिक सूचना का प्रसारण करेगा ।

37. मीटर की रीडिंग

(i) प्रत्येक बिलिंग चक्र में एक बार मीटर की रीडिंग की जाएगी । लाइसेंस धारक के कर्मचारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह मीटर रीडिंग करे और इलैक्ट्रानिक मीटर पर एलईडी (प्रकाश उत्सर्जन युक्ति) की जांच करे । यदि इलैक्ट्रानिक मीटरों पर उपलब्ध कराया गया ई/एलएलईडी इंडिकेटर (उपदर्शक) 'चालू' पाया जाता है तो

वह उपभोक्ता को यह सूचना देगा कि परिसर में कही पर रिसाव है और उसे सलाह देगा कि उपभोक्ता वायरिंग की जांच कराए और रिसाव दूर करे । यह रिसाव के संबंध में संबंधित जिला प्रबंधक को भी सूचित करेगा ।

(ii) उपभोक्ता, मीटर रीडिंग के लिए लाइसेंस धारक को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा ।

(iii) यदि किसी कारणवश, किसी बिलिंग चक्र में मीटर की रीडिंग नहीं हो पाती है तो लाइसेंस धारक, ऐसे गत तीन बिलिंग चक्रों के औसत उपभोग पर आधारि, जब रीडिंग ली गई हो, एक अनंतिम बिल भेजेगा । इस प्रकार की अनंतिम बिलिंग एक साथ दो से अधिक बिलिंग चक्रों तक जारी नहीं रहेगी । इस प्रकार भुगतान की गई रकम, पश्चात्वर्ती बिलिंग चक्रों के दौरान वास्तविक मीटर रीडिंग पर आधारित जारी बिलों के विरुद्ध समायोजित की जाएगी । विकल्पतः, यदि उपभोक्ता स्वयं मीटर रीडिंग प्रस्तुत करे तो उस बिलिंग चक्र के लिए बिल उस रीडिंग के आधार पर बना दिया जाएगा और यह आगामी बिलिंग चक्र में समयोजन के अधीन होगा ।

(iv) यदि लगातार दो मीटर रीडिंग तारीखों तक मीटर तक पहुंच नहीं हो पाती है तो लाइसेंस धारक उपभोक्ता को उचित रसीद के विरुद्ध 15 दिन की स्पष्ट सूचना देगा कि वह सूचना पत्र में उपदर्शित तारीख और समय पर मीटर रीडिंग के लिए परिसर खुला रखे । यदि उपभोक्ता सूचना का अनुपालन नहीं करता है तो लाइसेंस धारक सूचना अवधि की समाप्ति के पश्चात् उपभोक्ता को विद्युत का प्रदाय ऐसी अवधि तक काट देगा जब तक इनकार या असफलता बनी रहती है ।

(v) यदि अनंतिम बिलिंग, दो या अधिक बिलिंग चक्रों के लिए जारी रहती है तो लाइसेंस धारक द्वारा प्रतिकर, जैसा कि अनुसूची III में विनिर्दिष्ट है, दिया जाएगा ।

(vi) जब घरेलू उपभोक्ता, उसके निवास पर अधिक समय तक उपलब्ध न होने के कारण मीटर तक पहुंच न होने के संबंध में लिखित पूर्व सूचना लाइसेंस धारक को दे देता है तो लाइसेंस धारक उपभोक्ता को कोई सूचना / अनंतिम बिल नहीं

भेजेगा यदि उपभोक्ता ऐसी अवधि के लिए नियत प्रभारों का भुगतान अग्रिम रूप में कर दे । जब उपभोक्ता द्वारा रीडिंग के लिए मीटर उपलब्ध करा दिया जाएगा तो समस्त उपभोग को न पहुंच पाने की सूचित अवधि को छोड़कर अवधि के लिए माना जाएगा। ऐसी सुविधा उन उपभोक्ताओं को उपलब्ध होगी जिन्होंने सारे भुगतान कर दिए हों ।

(vii) यदि उपभोक्ता विशेष रूप से मीटर रीडिंग कराना चाहता है तो लाइसेंस धारक उसकी व्यवस्था करेगा और प्रभार जैसा कि इन विनियमों में विहित है, उपभोक्ता के आगामी बिल में सम्मिलित हो जाएगा ।

38. मीटरों की जांच

(1) लाइसेंस धारक, निम्नलिखित रीति में मीटरों का आवधिक निरीक्षण/जांच और अंशशोधन करेगा, जैसा कि इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट है :

(क) मीटर जांच का आवर्तन

लाइसेंस धारक नियमित मीटर जांच के लिए निम्नलिखित समय-सूची का पालन करेगा :

प्रवर्ग	**जांच का अंतराल**
रेलवे, डीएमआरसी	छह मास
थोक प्रदाय मीअर (एचटी)	एक वर्ष
एलटी मीटर	पांच वर्ष

(ख) यदि उपभोक्ता को मीटर की शुद्धता पर संदेह है तो वह इस आशय की सूचना/शिकायत पर और विहित जांच फीस का भुगतान करके लाइसेंस धारक द्वारा मीटर की जांच करा सकता है ।

(ग) लाइसेंस धारक, शिकायत प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर यहां विहित प्रक्रिया के अनुसार मीटर की जांच कराएगा और उपभोक्ता को सम्यकतः प्रमाणित जांच

परिणाम प्रस्तुत करेगा । उपभोक्ता को जांच की प्रस्तावित तारीख और समय कम से कम दो दिन पूर्व सूचित किए जाएंगे।

(घ) लाइसेंस धारक की मीटर जांच टीम यह सुनिश्चित करेगी कि जांच पर्याप्त क्षमता के प्रतिरोधक भार के साथ की जाए । मीटर की जांच कम से कम 1 केडब्ल्यूएच के उपभोग से की जाए ।

पल्स/चक्र की गणना के लिए आप्टिकल स्केनर का उपयोग किया जाएगा । मीटर जांच रिपोर्ट **उपबंध 7** में दिए गए या आयोग द्वारा समय-समय पर अनुमोदित फोरमेट में दी जाएगी ।

(ङ) जब प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट शुद्धता की सीमाओं के परे मीटर तेज पाया जाए तो, यथास्थिति, लाइसेंस धारक या उपभोक्ता, जांच के पंद्रह दिनों के भीतर दोषयुक्त मीटर प्रतिस्थापि/शोधित करेंगे । लाइसेंस धारक प्रतिशतता की गलती के आधार पर उक्त दोष के कारण ली गई रकम समायोजित/वापस करेगा। यह राशि, उपभोक्ता द्वारा की गई शिकायत की तारीख से पूर्व मीटर संस्थापन से उस तारीख तक की अवधि पर निर्भर करते हुए जब दोषयुक्त मीटर प्रतिस्थापित/शोधित किया गया, अधिकतम छह मास की या कम अवधि तक के लिए हो सकती है ।

(च) जब प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट शुद्धता की समीओं से परे मीटर धीमा पाया जाए और उपभोक्ता जांच की शुद्धता पर विवाद न करे तो, यथास्थिति, लाइसेंस धारक/उपभोक्ता जांच के पंद्रह दिनों के भीतर दोषयुक्त मीटर को प्रतिस्थापित/शोधित करेंगे । उपभोक्ता प्रतिशतता गलती के आधार पर उक्त दोष के कारण अंतर का भुगतान सामान्य दर पर करेगा । यह राशि जांच की तारीख के पूर्व मीटर संस्थापन को उस तारीख तक की अवधि पर निर्भर करते हुए जब दोषयुक्त मीटर प्रतिस्थापित/शोधित किया गया, अधिकतम छह मास की या कम अवधि तक के लिए हो सकती है ।

(छ) यदि उपभोक्ता या उसका प्रतिनिधि, जांच रिपोर्ट से विवाद करता है या उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है तो दोषयुक्त मीटर प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा और लाइसेंस धारक एक मास के भीतर पद नामित विद्युत निरीक्षक या अन्य अधिकृत तीसरे पक्षकार से अनुरोध करेगा और वह मीटर की शुद्धता की जांच करके परिणाम प्रस्तुत करेगा। आयोग तीसरे पक्षकार को राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार अधिसूचित करेगा । निरीक्षक या ऐसे अधिकृत तीसरे पक्षकार का विनिश्चय अंतिम और लाइसेंस धारक तथा उपभोक्ता दोनों पर आबद्धकर होगा ।

(ज) लाइसेंस धारक ऐसी सभी मीटर जांचों का अभिलेख रखेगा, और हर छह मास पर आयोग को निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

39. रिकार्डिंग न करने वाला मीटर

(क) यदि मीटर रिकार्डिंग नहीं कर रहा है/जाम है, जैसा कि उपभोक्ता ने रिपोर्ट की है तो लाइसेंस धारक शिकायत प्राप्त होने के पंद्रह दिन के भीतर मीटर की जांच करेगा और यदि यह पाया जाता है कि वह रीडिंग नहीं कर रहा है/जाम है, तो, यथास्थिति, लाइसेंस धारक/उपभोक्ता द्वारा उसे पश्चात् पंद्रह दिनों के भीतर मीटर प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(ख) जहां लाइसेंस धारक का यह विचार हो कि मीटर, गत दो बिलिंग चक्रों से उपभोग की रिकार्डिंग नहीं कर रहा है तो वह उपभोक्ता को सूचित करेगा । उसके पश्चात् लाइसेंस धारक मीटर की जांच करेगा और यदि मीटर जाम/रुका हुआ पाया जाता है तो इसे सात दिनों के भीतर बदला जाएगा ।

40. जला हुआ मीटर

(क) यदि उपभोक्ता की शिकायत पर या अन्यथा लाइसेंस धारक द्वारा निरीक्षण के दौरान मीटर जला हुआ पाया जाता है तो लाइसेंस धारक, यह सुनिश्चित करने के पश्चात् कि स्थल पर भविष्य में किसी हानि से बचने के लिए आवश्यक संशोधात्मक कार्रवाई कर ली है, शिकायत प्राप्त होने के छह घंटों के भीतर जले हुए मीटर के

बाहर से कनेक्शन पुनः चालू कर देगा । तीन दिनों के भीतर, यथास्थिति, लाइसेंस धारक/उपभोक्ता द्वारा नया मीटर लगा दिया जाएगा ।

(ख) लाइसेंस धारक स्थल/उपभोक्ता के परिसर से जला हुआ मीटर हटवाएगा और उसकी जांच करेगा । यदि, जांच के परिणाम से, यह स्थापित हो जाता है कि मीटर कुछ तकनीकी कारणों से जैसे वोल्टेज में अस्थिरता, प्रणाली की सीमाओं से संबद्ध अनित्यता आदि के कारण जला है तो लाइसेंस धारक मीटर की लागत वहन करेगा।

यदि उपभोक्ता के संस्थापन के निरीक्षण और मीटर की पश्चात्वर्ती जांच से यह स्थापित हो जाता है कि मीटर उपभोक्ता से संबद्ध कारणों से जला है जैसे छेड़छाड़, उपभोक्ता के संस्थापन में दोष, पानी गिरने से मीटर गीला हो जाना, उपभोक्ता द्वारा अनधिकृत भार का कनेक्शन आदि तो उपभोक्ता नया मीटर लाने और संस्थापित करने की लागत वहन करेगा । उपभोक्ता लाइसेंस धारक को, संस्थापन की तारीख से 6% प्रतिवर्ष की दर से अवक्षयण कम करके मीटर के मूल्य का (समय-समय पर एआरआर के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित दर) भुगतान भी करेगा ।

(ग) यदि मीटर जला हुआ पाया जाता है और यह विश्वास करने का कारण है कि लाइसेंस धारक के कर्मचारी ने, मीटर बदले जाने को लंबित रखते हुए, सीधा कनेक्शन दिया था तो विद्युत की चोरी का मामला नहीं बनेगा। इस प्रयोजन के लिए उपभोक्ता द्वारा जले हुए मीटर को प्रतिस्थापित करने की शिकायत या विद्युत प्रदाय में रुकावट की शिकायत पर्याप्त मानी जाएगी । यदि कोई उपभोक्ता जले हुए मीटर को प्रतिस्थापित करने में बाधा डालता है या लाइसेंस धारक को सूचित नहीं करता है तो ऐसी परिस्थिति में ऊर्जा की प्राप्ति अधिनियम के भाग 14 के अनुसार समझी जाएगी ।

बिलिंग

41. सामान्य

(i) लाइसेंस धारक, क्षेत्रवार, जिलावार, या मंडलवार बिलिंग और भुगतान की समय-सूची, जैसा उसके द्वारा विनिश्चित किया जाए, अधिसूचित करेगा ।

(ii) वास्तविक मीटर रीडिंग पर आधारित प्रत्येक बिलिंग चक्र के लिए बिल, लाइसेंस धारक द्वारा जारी किए जाएंगे । लाइसेंस धारक द्वारा उपभोक्ताओं को भेजे गए बिलों में वर्तमान और पिछली मीटर रीडिंग, स्वीकृत भार, नियत भार चक्र के दौरान उपभोग की गई विद्युत मात्रा, दर, उपभोग के लिए दी जाने वाली कुल रकम, लाइसेंस धारक के पास वर्तमान प्रतिभूति निक्षेप और भूतपूर्व बकाया, यदि कोई हो, के ब्यौरे, भुगतान के लिए अंतिम तारीख, विलंबित भुगतान के लिए अधिभार, सरकारी सहायकी, यदि कोई हो, आदि के ब्यौरे दिए जाएंगे ।

(iii) प्रत्येक बिल का उपभोक्ता को परिदान, बिल के भुगतान के लिए अंतिम तारीख से कम से कम पंद्रह दिन पूर्व किया जाएगा ।

(iv) अनंतिम बिलिंग (औसत उपभोग पर आधारित) दो बिलिंग चक्रों से अधिक के लिए नहीं होगी । यदि दो लगातार बिलिंग चक्रों तक मीटर तक पहुंच न हुई हो तो पैरा 37(iv) के अनुसार कार्रवाई की जाएगी ।

(v) लाइसेंस धारक, अंतिम बिल का भुगतान न किए जाने से बकाया के अलावा सभी बकाया के पूर्ण ब्यौरे बिल में देगा । ऐसी बकाया की वसूली एलपीएससी के साथ निम्नानुसार किस्तों में की जाएगी :

अवधि के बकाया	प्रत्येक किस्त में वसूल की जाने वाली रकम
बाहर मास तक	50% पहली किस्त में तथा शेष दो समान किस्तों में
बारह मास के अधिक और चौबीस मास तक	चार समान किस्तों में

42. बिल विवरण

बिल में निम्नलिखित विशिष्टियां उपदर्शित होंगी :-

1. के.सं.-यह अनूठी उपभोक्ता पहचान संख्या है जिसका हवाला किसी भी पत्राचार में

दियाजा सकेगा ।

2. बही संख्या/डीटी सं./रीडिंग पात्र/बाइंडर ब्यौरे- मीटर बही संख्या वह बही है जिसमें मीटर रीडिंग चक्र के दौरान उपभोक्ता मीटर रीडिंग के ब्यौरे साफ्ट फार्म में लिखे जाते हैं/संकलित किए जाते हैं ।

3. बिल संख्या

4. बिल मास

5. बिल प्रकार - अनंतिम या नियमित

6. मीटर संख्या

7. मीटर प्रकार

8. प्रदाय प्रकार

9. लागू टैरिफ

10. लाइसेंस धारक के पास प्रतिभूति निक्षेप

11. स्वीकृत भार

12. नियत भार

13. पूर्व बिलिंग चक्र की मीटर रीडिंग और रीडिंग की तारीख

14. वर्तमान मीटर रीडिंग और रीडिंग की तारीख

15. बिलकृत यूनिट - यह किसी विशिष्ट बिलिंग चक्र के लिए उपभोग की गई कुल यूनिटें दर्शाता है ।

16. स्लेब गणना (यूनिट, दर, रकम) - यह टैरिफ के प्रत्येक स्लेब के लिए बिलकृत यूनिट के प्रभारों को अलग-अलग दर्शाता है ।

17. ऊर्जा प्रभार

18. बकाया रकम

19. बकाया ब्यौरे - उस अवधि को दर्शाता है जिसके लिए बकाया देय हैं, ऊर्जा प्रभार, नियत/मांग प्रभार, एलपीएससी, विद्युत कर आदि ।

20. देय तारीख के पश्चात् संदेय रकम (पूर्णांक में) - देय तारीख के पश्चात् भुगतान की जाने वाली शुद्ध रकम ।

21. अंतिम तारीख सहित देय तारीख जिसके पूर्व बिल का भुगतान किया जाना है ।

22. विलंब से भुगतान पर अधिकार - फीस जो देय तिथि के भीतर भुगतान न किए जाने/देय तारीख के पश्चात् देय तारीख से एक मास के भीतर भुगतान न किए जाने पर प्रभारित की जाती है ।

23. देय तारीख के भीतर संदेय रकम (पूर्णांक में) - देय तारीख के पूर्व भुगतान की जाने वाली शुद्ध रकम ।

24. देय तारीख के पश्चात् संदेय रकम

25. सरकारी सहायकी, यदि कोई हो

26. उपभोक्ता को प्रतिकर, यदि कोई हो ।

27. पूर्व उपभोग पैटर्न (बिल मास, यूनिट, स्तर) - यह गत छह मास का उपभोग पैटर्न दर्शाता है ।

28. केवीएएच बिलिंग और एचटी उपभोक्ताओं को यथा लागू अन्य जानकारी समुचित रूप से जोड़ी जाएगी और असंबद्ध मदों को हटाया जाएगा ।

29. कोई अन्य जानकारी जो लाइसेंस धारक उचित समझे ।

30. मीटर टिप्पणी - यह मीटर का स्तर दर्शाता है ।

43. दोषयुक्त/जाम/रुके हुए/जले मीटर स्थल पर रहने की दौरान बिलिंग

(i) मीटर के दोषयुक्त रहने की अवधि के पूर्व बारह मास के उपभोग पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आकलित ऊर्जा उपभोग पर आधारित, छह मास की अधिकतम अवधि के अधीन रहते हुए उस अवधि के लिए उपभोक्ता को बिल जारी किया जाएगा जिसके दौरान मीटर स्थल पर दोषयुक्त/जाम/रुका हुआ/जला हुआ रहा । उस अवधि के लिए जब मीटर दोषयुक्त था या कार्य नहीं कर रहा था उपभोक्ता द्वारा पहले ही किया जा चुका भुगतान इस बिल में समयोजित किया जाएगा । निर्धारण बिल मीटर

परिवर्तन की तारीख से दो बिलिंग चक्रों के भीतर जारी किया जाएगा ।

(ii) ऐसे मामले में जहां मीटर खराब हो जाने की तारीख के पूर्व गत बारह मास का उपभोग रिकार्ड न किया गया हो या भागतः उपलब्ध हो, वहां बिल प्रयोजनों के लिए नया मीटर संस्थापित होने के बाद आगामी बारह मास के उपभोग पैटर्न का उपयोग किया जाएगा ।

(iii) ऐसे मामले में जहां उपभोक्ता के संस्थापन में मीटर का अधिकतम मांग उपदर्शक (एमडीआई) दोषयुक्त पाया जाए और कुछ भी रिकार्ड नहीं कर रहा हो (जब तक छेड़छाड़ न की गई हो) वहां मांग प्रभारों की गणना पूर्व वर्ष के, जब मीटर कार्य कर रहा था और शुद्ध रीडिंग ले रहा था, तत्स्थानी मासों/बिलिंग चक्रों के दौरान अधिकतम मांग पर निर्भर करते हुए की जाएगी । यदि पूर्व वर्ष के तत्स्थानी मास/बिलिंग चक्र के रिकार्ड किए गए एमडीआई भी उपलब्ध नहीं है तो मीटर परिवर्तन के पश्चात् अगले छह बिलिंग चक्रों के लिए रिकार्ड की गई औसत अधिकतम मांग को हिसाब में लिया जाएगा ।

44. उपभोक्ता बिलों से संबंधित शिकायत

(i) कोई शिकायत फाइल किए जाने के मामले में, लाइसेंस धारक उपभोक्ता की शिकायत तुरंत अभिस्वीकृत करेगा, यदि व्यक्तिगत रूप में की जाए या डाक से प्राप्त होने की तारीख से तीन दिनों के भीतर अभिस्वीकृत करेगा ।

(ii) यदि उपभोक्ता से कोई अतिरिक्त जानकारी अपेक्षित न हो तो लाइसेंस धारक उपभोक्ता की शिकायत का निवारण करेगा और शिकायत प्राप्त होने के पंद्रह दिन के भीतर उपभोक्ता को परिणाम से सूचित करेगा । कोई अतिरिक्त जानकारी अपेक्षित होने के मामले में, उसे प्राप्त किया जाएगा, मामले का समाधान होगा और परिणाम से उपभोक्ता को शिकायत प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर अवगत कराया जाएगा । जब तक बिल के संबंध में शिकायत का समाधान नहीं होता है, उपभोक्ता गत तीन लगातार अविवादित बिलों के औसत उपभोग के आधार पर

राशि का भुगतान करेगा । इस प्रकार वसूल की गई राशि शिकायत के समाधान पर अंतिम समायोजन के अधीन होगी ।

(iii) यदि बिल देर से प्राप्त होता है और भुगतान के लिए उपलब्ध समय पंद्रह दिन से कम है तो उपभोक्ता ऐसे बिल प्राप्ति के दो दिनों के भीतर देय तिथि के विस्तार के लिए आवेदन कर सकेगा और लाइसेंस धारक देय तिथि का विस्तार इस प्रकार करेगा कि ऐसा विस्तार प्रदान किए जाने की सूचना दिए जाने की तारीख से उसे स्पष्ट पंद्रह दिन प्राप्त हो ।

(iv) उपभोक्ता द्वारा बिल प्राप्त न होने के मामले में, उपभोक्ता लाइसेंस धारक से संपर्क करेगा जो तुरंत उसे बिल की दूसरी प्रति उपलब्ध कराएगा और इसमें देय तारीख उपरोक्तानुसार होगी और यदि शिकायत सही है तो विलंब भुगतान अधिभार नहीं लगाया जाएगा ।

45. बिलों में स्पष्ट बकाया

(i) यदि बिलों में बकाया प्रथम बार दिखाया गया है, जिसकी बाबत भुगतान देय तारीख के भीतर ही किया जा चुका है या जो लाइसेंस धारक को देय नहीं है तो लाइसेंस धारक 500/- रु. की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए बकाया राशि के 10% की दर से प्रतिकर उपभोक्ता को देगा ।

(ii) यदि ऐसी बकाया पुनः दिखाई जाती है तो लाइसेंस धारक 750/- रुपए की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए बकाया राशि के 15 प्रतिशत की दर से प्रतिकर उपभोक्ता को देगा ।

(iii) यदि बिल में दर्शाई जाने वाली बकाया के संबंध में भुगतान देय तारीख के बाद किया गया है तो कोई प्रतिकर नहीं दिया जाएगा । यदि ऐसी बकाया, जिनका भुगतान देय तारीख के बाद किया गया है किसी पश्चात्वर्ती बिल में पुनः दिखाई जाती है तो इस मामले में उपरोक्त (i) और (ii) के अनुसार कार्रवाई होगी ।

(iv) खंड (i) और (ii) में उल्लिखित प्रतिकर ऐसे बिल का भुगतान करते समय

समायोजित कर दिया जाएगा जिसमें उसे दिखाया गया है । इस प्रभाव की सूचना लाइसेंस धारक के सभी बिल संग्रहण केंद्रों पर सहज रूप से पदर्शित की जाएगी ।

(v) खंड (i) और (ii) में उल्लिखित बकाया, यदि किसी बिल में तीसरी बार या बाद में दिखाई जाती है तो उपभोक्ता को फोरम में याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार होगा और फोरम उपभोक्ता को दिए जाने वाला प्रतिकर हर एक मामले के तथ्यों के आधार पर विनिश्चित करेगा । इस पैरा के उपबंध लाइसेंस धारक द्वारा जारी किए गए गलत बिलों के संबंध में भी लागू होंगे ।

46. परिसर खाली होने/अधिभोग में परिवर्तन

(i) अधिभोग में परिवर्तन या परिसर खाली होने के समय यह उपभोक्ता की जिम्मेदारी होगी कि लाइसेंस धारक द्वारा विशेष रीडिंग कराए और लाइसेंस धारक से 'अनादेय प्रमाणपत्र' प्राप्त करे ।

(ii) विद्यमान उपयोकर्ता द्वारा परिसर की उक्त रिक्ति या, यथास्थिति, अधिभोग में परिवर्तन की दशा में उपभोक्ता कम से कम सात दिन पूर्व लाइसेंस धारक को विशेष रीडिंग लेने के लिए लिखित अनुरोध करेगा ।

(iii) लाइसेंस धारक विशेष रीडिंग लिए जाने की व्यवस्था करेगा और बिलिंग की तारीख तक सभी बकाया सममिलित करते हुए परिसर रिक्त किए जाने के कम से कम तीन दिन पूर्व अंतिम बिल देगा । इस प्रकार जारी किए गए बिल में यह उल्लेख होगा कि परिसर पर अन्य कुछ भी देय नहीं है और यह अंतिम बिल है । अंतिम बिल में, विशेष रीडिंग की तारीख और परिसर रिक्त किए जाने की तारीख के मध्य की अवधि के लिए आनुपातिक आधार पर भुगतान भी सम्मिलित होगा ।

(iv) अंतिम बिल जारी करने के बाद लाइसेंस धारक को, ऐसे बिल की तारीख से पूर्व किसी अवधि के लिए, अंतिम बिल में उल्लेखित से भिन्न कोई अन्य प्रभार वसूल करने का कोई अधिकार नहीं होगा । लाइसेंस धारक परिसर के खाली होने पर प्रदाय बंद कर देगा । उपभोक्ता की यह जिम्मेदारी होगी कि परिसर के खाली होने

पर यह भुगतान करे और ऐसा भुगतान प्राप्त होने पर लाइसेंस धारक ''अनादेय प्रमाणपत्र'' जारी करेगा। तथापि, अधिभोग परिवर्तन के मामलों में कनेक्शन काटा नहीं जाएगा और नाम परिवर्तन की वाणिज्यिक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसे चालू रखा जाएगा ।

47. उपभोक्ता द्वारा स्वयं निर्धारण पर भुगतान

(i) बिल प्राप्त न होने की दशा में, उपभोक्ता विनियमों के **उपबंध 8** में विहित या समय-समय पर आयोग द्वारा अनुमोदित फोरमेट में स्वयं निर्धारित बिल उस अवधि के लिए जिसमें बिल प्राप्त नहीं हुआ है, प्रस्तुत कर सकेगा परंतु यह कि यह बिल गत छह मास के औसत उपभोग से कम नहीं होना चाहिए । उपभोक्ता द्वारा किए गए इस मामले को आगामी बिल में समायोजित कर दिया जाएगा ।

(ii) अधिभार लगाए जाने की बाबत कोई विवाद होने पर, उपभोक्ता द्वारा आक्षेप किए जाने की तारीख से एक बिलिंग चक्र के भीतर लाइसेंस धारक उसे उत्तर प्रस्तुत करने और व्यक्तगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् विवाद का निपटारा करेगा ।

48. उपभोक्ता द्वारा पूर्वानुमानित बिलों का अग्रिम भुगतान

(i) यदि उपभोक्ता बिलों का अग्रिम भुगतान करना चाहता है तो लाइसेंस धारक विनियमों के **उपाबंध 9** में विहित या समय-समय पर आयोग द्वारा अनुमोदित फोरमे समय-समय पर आयोग द्वारा अनुमोदित फोरमेट में इसे स्वीकार करेगा और इस प्रकार भुगतान की गई रकम को अगले बिल में ऊर्जा और अन्य प्रभारों के विरुद्ध समायोजित कर दिया जाएगा । लाइसेंस धारक के पास असमायोजित शेष रकम पर केलेंडर वर्ष की प्रथम जनवरी और प्रथम जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक में बचत खाते को यथा लागू ब्याज दर से 0.5% अधिक दर पर अर्द्धवार्षिक रूप में संदेय ब्याज दिया जाएगा । ब्याज की यह रकम उपभोक्ता के भविष्य के बिलों में समायोजित की जाएगी ।

(ii) भुगतान की जाने वाली न्यूनतम रकम 5000/- रु0 और इसके पश्चात् 1000/- रु0

का गुणक या उपभोक्ता की छह मास की बिलिंग, इनमें से जो भी अधिक हो, होगी ।

(iii) यदि उपभोक्ता का परिसर कुछ अवधि के लिए खाली रहता है और वह नियत प्रभारों का भुगतान अग्रिम में करना चाहता है तो उपरोक्त उपखंड (ii) लागू होगा ।

अध्याय 6

कनेक्शन काटना और पुनः जोड़ना

49. लाइसेंस धारक की देय रकम का भुगतान न करने पर कनेक्शन काटना

(i) लाइसेंस धारक ऐसे उपभोक्ता को, जो भुगतान करने में चूक करता है, देय रकम का भुगतान करने के लिए पंद्रह दिनों की स्पष्ट सूचना देकर अधिनियम की धारा 56 के अनुसार लिखित सूचना देगा । तत्पश्चात्, उस सूचना अवधि के समाप्त होने पर लाइसेंस धारक सर्विस लाइन/मीटर या जो लाइसेंस धारक उचित समझे, हटाकर उपभोक्ता के संस्थापना का कनेक्शन काट सकेगा । यदि उपभोक्ता कनेक्शन काटे जाने के छह मास के भीतर भुगतान नहीं करता है तो ऐसे कनेक्शन डोरमेंट कनेक्शन समझे जाएंगे ।

(ii) लाइसेंस धारक ऊपर उल्लिखित रीति में उपभोक्ता के काटे गए कनेक्शनों को अनधिकृत रूप में पुनः जोड़ने को निवारित करने के लिए कार्रवाई कर सकेगा । जहां कहीं लाइसेंस धारक को यह पता चलता है कि कनेक्शन अनधिकृत रूप से पुनः जोड़ लिया गया है, वहां लाइसेंस धारक अधिनियम की धारा 138 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई प्रारंभ कर सकेगा । इसके अलावा, यदि लाइसेंस धारक को यह पता लगता है कि ऐसे परिसर में विद्युत प्रदाय किसी अन्य चालू कनेक्शन से पुनः स्थापित कर दी गई है तो ऐसे चालू कनेक्शन के रजिस्ट्रीकृत उपभोक्ता/उपयोगकर्ता को ऐसा अनधिकृत प्रदाय तुरंत रोकने की सूचना दी जाएगी, जिसमें असफल रहने पर काटे गए कनेक्शन की लंबित देय राशि उसके खाते में अंतरित कर दी जाएगी और इस प्रकार अंतरित राशि का भुगतान न करने

पर उप विनियम (i) के अनुसार कार्रवाई की जाएगी ।

50. उपभोक्ता के अनुरोध पर कनेक्शन काटना

(i) यदि उपभोक्ता अपना मीटर कटवाना चाहता है तो उसके लिए वह विनियमों के **उपाबंध 10** में विहित या समय-समय पर आयोग द्वारा अनुमोदित फोरमेट में आवेदन करेगा ।

(ii) लाइसेंस धारक विशेष रीडिंग कराएगा और ऐसे अनुरोध से पांच दिनों के भीतर इस बिल की तारीख तक सभी बकाया सम्मिलित करते हुए अंतिम बिल बनाएगा । भुगतान किए जाने पर लाइसेंस धारक इस पर ''अंतिम बिल'' की मुद्रा लगाकर रसीद जारी करेगा । इस रसीद को ''अनादेय प्रमाणपत्र'' समझा जाएगा ।

(iii) इसके पश्चात् लाइसेंस धारक को बिल की तारीख से पूर्व की अवधि में किसी भी प्रकार का प्रभार वसूल करने का अधिकार नहीं होगा ।

(iv) कनेक्शन काटे जाने के बाद लाइसेंस धारक कोई बिल जारी नहीं करेगा। कनेक्शन काटे जाने के बाद यदि बिल जारी किए जाते हैं तो प्रति बिल 500 रुपए की दर से शास्ति संदेय होगी ।

51. पुनः कनेक्शन जोड़ना

पिछली बकाया राशि पुनः कनेक्शन जोड़ने के प्रभारों और उपभोक्ता के उस प्रवर्ग के लिए लागू सर्विस लाइन प्रभारों, यदि कनेक्शन काटते समय उससे हटा लिया गया था, का भुगतान दिए जाने के दो दिनों के भीतर लाइसेंस धारक उपभोक्ता के संस्थापक का कनेक्शन पुनः जोड़ देगा । तथापि, डोरमेंट कनेक्शन पुनः तभी जोड़ा जाएगा जब उपभोक्ता द्वारा सभी औपचारिकताएं, जो एक नए कनेक्शन के लिए अपेक्षित हैं, पूरी कर ली जाती हैं।

अध्या 7

चोरी और विद्युत का अनधिकृत उपयोग

विद्युत की चोरी

52. विद्युत की चोरी का मामला दर्ज करवाने की प्रक्रिया

(i) लाइसेंस धारक विभिन्न जिलों के अधिकृत अधिकारियों की सूची सभी जिला कार्यालयों में सहज रूप से प्रदर्शित करेगा और ऐसे अधिकारियों को जारी किए गए फोटो पहचान पत्रों से भी यह उपदर्शित होगा ।

(ii) कोई अधिकृत अधिकारी स्वतः या विद्युत चोरी के संबंध में प्राप्त विश्वसनीय जानकारी पर ऐसे परिसर का तुरंत निरीक्षण करेगा ।

(iii) ऐसे अधिकृत अधिकारी के नेतृत्व में लाइसेंस धारक का निरीक्षण दल अपने साथ विजिटिंग कार्ड और फोटो पहचान पत्र रखेगा । परिसर में प्रवेश करने के पूर्व उपभोक्ता को फोटो पहचान पत्र दिखाए जाएंगे और विजिटिंग कार्ड दिए जाएंगे । अधिकृत अधिकारी के फोटो पहचान पत्र पर स्पष्ट रूप से उपदर्शित होगा कि उसे अधिनियम की धारा 135 के उपबंधों के अनुसार अधिकृत अधिकारी के रूप में नामनिर्देशिष्ट किया गया है ।

(iv) अधिकृत अधिकारी, **उपाबंध 11** में विहित या आयोग द्वारा समय-समय पर अनुमोदित फोरमेट में कनेक्टेड भार, मीटर सीलों की स्थिति, मीटर के कार्यकरण के ब्यौरे और पाई गई किसी अनियमितता (जैसे छेड़ा गया मीटर करंट उलटने वाला ट्रांसफार्मर, ऊर्जा की चोरी के लिए अपनाए गए नकली उपाय) का उल्लेख करेगा ।

(v) रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उपदर्शित किया जाएगा कि क्या इस तथ्य के प्रमाण में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है कि ऊर्जा चोरी की गई है या नहीं । ऐसे साक्ष्य के ब्यौरे रिपोर्ट में अभिलिखित होंगे ।

(vi) केवल इस आधार पर चोरी का मामला दर्ज नहीं होगा कि मीटर की सील गायब है, या उसके साथ छेड़छाड़ की गई है या कांच की खिड़की टूटी हुई है जब तक उपभोक्ता के खपत पैटर्न से या उपलब्ध किसी अन्य साक्ष्य से चोरी की पुष्टि नहीं हो जाती ।

(vii) यदि विद्युत की प्रत्यक्ष चोरी स्थापित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मिल जाता है तो लाइसेंस धारक प्रदाय काट देगा और परिसर से तार/केबल/मीटर, सर्विस लाइन आदि सहित सभी तात्विक साक्ष्य जब्त करेगा और निरीक्षण की तारीख से दो दिनों के भीतर अधिनियम की धारा 135 के उपबंधों के अनुसार नामित विशेष न्यायालय उपभोक्ता के विरुद्ध मामला फाइल करेगा । ऐसी फाइलिंग के दो दिनों के भीतर फाइल किए गए मामले की प्रति की तामील समुचित रसीद के विरुद्ध उपभोक्ता पर की जाएगी । लाइसेंस धारक **उपाबंध 13** में विहित निर्धारण फार्मूले के अनुसार गत बारह (12) मास में ऊर्जा खपत का निर्धारण भी करेगा तथा लागू टैरिफ की दोगुनी दर पर अंतिम निर्धारण बिल तैयार करेगा तथा इसकी तामील समुचित रसीद के विरुद्ध उपभोक्ता पर करेगा ।

(viii) संदिग्ध चोरी के मामले में, अधिकृत अधिकारी जब्ती ज्ञापन के अधीन पुराना मीटर हटाकर उसे उपभोक्ता/उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में मुहरबंद कर देगा । लाइसेंस धारक नए मीटर से उपभोक्ता को प्रदाय देना जारी रखेगा । पुराने मीटर की एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशाला में जांच की जाएगी तथा प्रयोगशाला लिखित में इसकी रिपोर्ट देगी जो फोटो/वीडियोग्राफ के साथ इसके साक्ष्य बनेंगे । एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशालाओं की सूची आयोग द्वारा प्रकाशित की जाएगी । अधिकृत अधिकारी परिसर में चोरी के कारण अपनी रिपोर्ट में अभिलिखित करेगा ।

(ix) रिपोर्ट, अधिकृत अधिकारी तथा निरीक्षण दल के प्रत्येक सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित होगी तथा उसे स्थल पर तुरंत उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि को समुचित रसीद के विरुद्ध दिया जाएगा । उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि द्वारा इसे प्राप्त करने या रसीद देने से इनकार करने की स्थिति में निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति परिसर के अंदर या बाहर सहज स्थान पर चिपकाई जाएगी और उसका फोटो लिया जाएगा । साथ ही साथ रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत डाक से उपभोक्ता को भेजी जाएगी ।

परंतु यह कि संदिग्ध चोरी के मामले में, यदि गत एक वर्ष का उपयोग पैटर्न युक्तियुक्त रूप से एक समान है और निर्धारित उपभोग के 75% से कम नहीं है तो

आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और इस विनिश्चय से उपभोक्ता को तीन दिनों के भीतर सूचित कर दिया जाएगा और कनेक्शन मूल मीटर से पुनः चालू कर दिया जाएगा ।

(x) साक्ष्य और उपभोक्ता के उपभोग पैटर्न की विस्तृत परीक्षा के पश्चात् यदि लाइसेंस धारक का यह समाधान हो जाता है कि उपभोक्ता के विरुद्ध चोरी का मामला दर्ज क्यों न कराया जाए । इसमें इस विनिश्चय पर पहुंचने के लिए विस्तृत ब्यौरे तथा वे बिन्दु होंगे जिन पर उत्तर अपेक्षित है । सूचना में स्पष्ट रूप से समग्र, तारीख और स्थान का उल्लेख होना चाहिए जहां उत्तर दिया जाएगा तथा उस व्यक्ति का पदनाम जिसे उत्तर संबोधित हो, होगा ।

(xi) यदि निरीक्षण की तारीख से तीस दिन के पश्चात् भी कारण बताओ नोटिस की तामील नहीं कराई जाती है तो संदिग्ध चोरी का मामला रद्द हुआ माना जाएगा और उपभोक्ता के विरुद्ध आगे कार्रवाई नहीं की जा सकेगी ।

(xii) चोरी, भौतिक निरीक्षण में पाए गए मीटर के साथ भौतिक हस्तक्षेप तक ही सीमित नहीं होगी । इसमें बाह्य साधनों, जैसे रिमोट कंट्रोल/उच्च वोल्टेज इंजेक्शन आदि, जो उपभोग की गई ऊर्जा को सही रीडिंग को प्रभावित करें, के माध्यम से की गई चोरी सम्मिलित है । विद्युत की चोरी तीसरा पक्ष अधिकृत प्रयोगशाला द्वारा डाउन लोड किए गए मीटरिंग आंकड़ों के विश्लेषण से भी स्थापित की जा सकती है । यदि ऊर्जा की चोरी मीटर डाउन लोड द्वारा अवधारित किए जाने के मामले में कारण बताओ सूचना उपभोक्ता/उपयोगकर्ता को भेजी जाएगी ।

53. संदिग्ध चोरी के मामले में व्यक्तिगत सुनवाई

(i) उपभोक्ता द्वारा उत्तर प्रस्तुत करने की तारीख से चार दिनों के भीतर लाइसेंस धारक उपभोक्ता के साथ व्यक्तिगत सुनवाई की व्यवस्था करेगा । सुनवाई के लिए उपस्थित होने में असफल रहने पर उपभोक्ता को दूसरा अवसर दिया जा सकता है । यदि दूसरी बार भी उपभोक्ता हाजिर होने में असफल रहता है तो लाइसेंस

धारक एक पक्षीय कार्रवाई कर सकता है ।

(ii) व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान, लाइसेंस धारक, उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर सम्यक् रूप से विचार करेगा और तीन दिनों के भीतर आख्यापक आदेश पारित करेगा कि क्या चोरी का मामला स्थापित है अथवा नहीं । आख्यापक आदेश में निरीक्षण रिपोर्ट का सार, उपभोक्ता द्वारा लिखित उत्तर में प्रस्तुत निवेदन तथा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक निवेदन तथा उनके स्वीकार करने अथवा रद्द करने के कारण हा सकते हैं ।

(iii) ऐसे विनिश्चय के मामले में कि चोरी स्थापित नहीं हुई है, आगे और कार्यवाहियां अपेक्षित नहीं होगी तथा मूल मीटर से कनेक्शन पुनः स्थापित कर दिया जाएगा ।

(iv) जहां यह स्थापित हो जाए कि ऊर्जा की चोरी का मामला बनता है, वहां लाइसेंस धारक **उपाबंध 13** में दिए गए निर्धारण फार्मूले के अनुसार गत की दोगुनी दर से अंतिम निर्धारण बिल तैयार करेगा तथा लागू टैरिफ की दोगुनी दर से अंतिम निर्धारण बिल तैयार करेगा तथा समुचित रसीद के विरुद्ध इसकी उपभोक्ता पर तामील कराएगा । उपभोक्ता द्वारा इसकी समुचित रसीद से सात दिनों के अंदर भुगतान कियाजाना अपेक्षित होगा । लाइसेंस धारक, उपभोक्ता की वित्तीय स्थिति और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भुगतान की अंतिम तारीख का विस्तार कर सकेगा या भुगतान किस्तों में किया जाना अनुमोदित कर सकेगा । आख्यापक आदेश में रकम, विस्तारित अंतिम तारीख और/या भुगतान की समय-सूची/किस्तों का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए ।

54. निर्धारित रकम या उसकी किस्तों के भुगतान में व्यतिक्रम

(i) निर्धारित रकम के भुगतान के व्यक्तिक्रम होने पर, लाइसेंस धारक, लिखित में पंद्रह दिन की सूचना देने के पश्चात् अधिनियम की धारा 135 के उपबंधों के अधीन नामित विशेष न्यायालय में उपभोक्ता के विरुद्ध मुकदमा फाइल करेगा । तथापि, प्रदाय के कनेक्शन को काटने की कार्रवाई विशेष न्यायालय से आदेश प्राप्त करने

के पश्चात् ही की जा सकेगी ।

55. छेड़छाड़ किए गए मीटरों की स्वैच्छिक घोषणा

यदि उपभोक्ता सामने आकर स्वैच्छिक रूप से मीटर और/या सील के साथ छेड़छाड़ की घोषाणा करे तो -

(क) यथास्थिति, लाइसेंस धारक/उपभोक्ता द्वारा छेड़छाड़ किए गए मीटर को ए नए मीटर से तुरंत प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा और लाइसेंस धारक घोषणा की तारीख से गत छह मास की अवधि के लिए सामान्य टैरिफ की दोगुनी दर पर निर्धारण बिल तैयार करेगा ।

(ख) उस अवधि के लिए जब मीटर प्रतिस्थापित नहीं किया गया हो, ऊर्जा बिल दोषयुक्त मीटरों की प्रक्रिया के लिए के अनुसार जारी किया जाएगा ।

(ग) यदि उपभोक्ता स्वैच्छिक रूप से घोषणा करता है और समय पर आवश्यक प्रभारों का भुगतान कर देता है तो लाइसेंस धारक विशेष न्यायालय में मामला फाइल नहीं करेगा ।

(घ) भुगतान में व्यक्तिक्रम होने पर, चोरी का मामला दर्ज करने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है ।

56. सामान्य

निर्धारण बिल तैयार करते समय, लाइसेंस धारक, उपभोक्ता द्वारा इस अवधि के लिए पहले से भुगतान कर दी गई राशि को, जिसके लिए निर्धारण बिल बनाया गया है, कम कर देगा। बिल में स्पष्टतः इसे जमा करने का समय और स्थान दिया जाएगा । ऐसे सभी भुगतान डिमांड ड्राफ्ट/बैंक संदाय आदेशों द्वारा किए जाएंगे ।

57. अनधिकृत तौर पर विद्युत उपयोग करने में मामला दर्ज करने की प्रक्रिया

(i) लाइसेंस धारक विभिन्न जिलों में अधिकृत अधिकारियों की सूची सभी बिल कार्यालयों में सहज रूप से प्रदर्शित करेगा और ऐसे अधिकारियों को जारी किए गए

फोटो पहचान पत्रों से भी यह उपदर्शित होगा ।

(ii) कोई अधिकृत अधिकारी स्वतः या विद्युत के अनधिकृत उपयोग के संबंध प्राप्त विश्वसनीय जानकारी पर ऐसे परिसर का तुरंत निरीक्षण करेगा ।

(iii) लाइसेंस धारक का निरीक्षण दल अपने साथ विजिटिंग कार्ड और फोटो पहचान पत्र रखेगा । परिसर में प्रवेश करने के पूर्व उपभोक्ता को फोटो पहचान पत्र दिए जाएंगे और विजिटिंग कार्ड दिए जाएंगे ।

(iv) अधिकृत अधिकारी, **उपाबंध 11** में विहित या आयोग द्वारा समय-समय पर अनुमोदित फोरमेट में कनेक्टेड भार, सीलों की स्थिति, मीटर के कार्यकरण के ब्यौरे और पाई गई अनियमितता (जैसे विद्युत के अनधिकृत उपयोग के लिए अपनाए गए कृत्रिम उपाय) का उल्लेख करेगा ।

(v) रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उपदर्शित किया जाएगा कि क्या इस तथ्य के प्रमाण में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है कि विद्युत का अनधिकृत उपयोग पाया गया या नहीं । ऐसे साक्ष्य के ब्यौरे रिपोर्ट में अभिलिखित होंगे ।

(vi) दो या अधिक कनेक्शनों को इकट्ठा नहीं किया जाएगा जब तक कि यह प्रमाणित न हो जाए कि कनेक्शनों का उपयोग एक ही स्थापन में सेवा/प्रदाय के लिए किया जा रहा है ।

(vii) रिपोर्ट, निर्धारण अधिकारी और निरीक्षण दल के प्रत्येक सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित होगी और उसे स्थल पर तुरंत उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि समुचित रसीद के विरुद्ध दिया जाएगा । उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि द्वारा इसे प्राप्त करने या रसीद देने से इनकार करने की स्थिति में निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति परिसर के अंदर या बाहर सहज स्थान पर चिपकाई जाएगी और उसका फोटो लिया जाएगा । साथ ही साथ रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत डाक से उपभोक्ता को भेजी जाएगी ।

(viii) लाइसेंस धारक, निरीक्षण के सात दिनों के भीतर कारण दर्शाते हुए उपभोक्ता को सात दिन की एक कारण बताओ सूचना देगा कि ऐसे उपभोक्ता के विरुद्ध विद्युत

के अनधिकृत उपयोग (यूयूई) का मामला दर्ज क्यों न कराया जाए । सूचना में स्पष्ट रूप से समय, तारीख और उस स्थान का उल्लेख होना चाहिए जहां उत्तर दिया जाएगा तथा उस व्यक्ति का पदनाम जिसे उत्तर संबोधित होगा ।

58. उपभोक्ता के उत्तर की प्रस्तुति

(i) निरीक्षण रिपोर्ट/कारण बताओ सूचना प्राप्त होने की तारीख से सात दिनों के भीतर, उपभोक्ता उसका उत्तर प्रस्तुत कर सकेगा या विहित निरीक्षण फीस जमा कर सकेगा और लाइसेंस धारक से पुनः स्थल का सत्यापन करने का अनुरोध करेगा ।

(ii) ऐसे अनुरोध की तारीख से सात दिनों के भीतर, लाइसेंस धारक उपभोक्ता के परिसर के निरीक्षण की व्यवस्था करेगा और स्थल का सत्यापन करेगा ।

(iii) द्वितीय निरीक्षण की तारीख से सात दिनों के भीतर, लाइसेंस धारक, सारे दस्तावेजों, उपभोक्ता के निवेदनों, अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों और उपभोक्ता के अनुरोध पर किए गए दूसरे निरीक्षण की रिपोर्ट पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद मामले का विश्लेषण करेगा । यदि यह निष्कर्ष निकलता है कि विद्युत का अनधिकृत उपयोग नहीं हुआ है तो विद्युत के अनधिकृत उपयोग का मामला तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा और विनिश्चय लेने की तारीख से सात दिनों के भीतर समुचित रसीद के विरुद्ध विनिश्चय की सूचना उपभोक्ता को दी जाएगी ।

(iv) यदि यह निष्कर्ष निकलता है कि विद्युत का अनधिकृत उपयोग हुआ है तो लाइसेंस धारक ऐसे विनिश्चय की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर उपभोक्ता के साथ व्यक्तिगत सुनवाई की व्यवस्था करेगा ।

59. व्यक्तिगत सुनवाई

(i) उपभोक्ता द्वारा उत्तर प्रस्तुत करने की तारीख से चार दिनों के भीतर लाइसेंस धारक उपभोक्ता के साथ व्यक्तिगत सुनवाई की व्यवस्था करेगा ।

(ii) व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान, लाइसेंस धारक उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर

सम्यक् रूप से विचार करेगा और पंद्रह दिनों के भीतर आख्यापक आदेश पारित करेगा कि क्या विद्युत के अनधिकृत उपयोग का मामला स्थापित है अथवा नहीं है । आख्यापक आदेश में, निरीक्षण रिपोर्ट का सार, उपभोक्ता द्वारा लिखित उत्तर में दिए गए निवेदन तथा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक निवेदन और उनके रद्द करने अथवा स्वीकार करने के कारण हो सकते हैं ।

(iii) यदि विद्युत के अनधिकृत उपयोग का मामला स्थापित नहीं होता है तो आगे और कार्रवाई रोक दी जाएगी तथा विद्युत के अनधिकृत उपयोग का मामला तुरंत समाप्त हो जाएगा ।

जहां यह स्थापित हो जाए कि विद्युत के अनधिकृत उपयोग का मामला बनता है तो लाइसेंस धारक घरेलू और कृषि कनेक्शन के लिए गत तीन (3) मास की ऊर्जा खपत का और अन्य प्रवर्गों के लिए गत छह(6) मास की ऊर्जा खपत का निर्धारण **उपाबंध 13** में दिए गए निर्धारण फार्मूले के अनुसार करेगा तथा घरेलू टैरिफ की 1.5 गुणा दर पर अंतिम निर्धारण बिल तैयार करेगा और उसकी उपभोक्ता पर समुचित रसीद के विरुद्ध तामील करेगा । उपभोक्ता द्वारा इसकी समुचित प्राप्ति के सात दिनों के भीतर भुगतान किया जाना अपेक्षित होगा । लाइसेंस धारक, उपभोक्ता की विद्युतीय स्थिति और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भुगतान की अंतिम तारीख विस्तारित कर सकेगा या भुगतान किस्तों में किया जाना अनुमोदित कर सकेगा । आख्यापक आदेश में रकम, विस्तारित अंतिम तारीख/या भुगतान की समय-सूची/किस्तों का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए । आख्यापक आदेश की एक प्रति समुचित रसीद के विरुद्ध उपभोक्ता को भी सौंपी जानी चाहिए ।

60. निर्धारित रकम या उसकी किस्तों के भुगतान में व्यतिक्रम

निर्धारित रकम के, चाहे पूर्ण रूप से या करार पाई गई किस्तों में, जैसी भी स्थिति हो, भुगतान में व्यतिक्रम होने पर लाइसेंस धारक पंद्रह दिन की लिखित सूचना देने के पश्चात् विद्युत प्रदाय काट देगा तथा सर्विस लाइन और मीटर हटा लेगा ।

61. सामान्य

(i) लाइसेंस धारक, विद्युत के अनधिकृत उपयोग पर प्रभारों की वापसी के अनुरोध के लिए एक फोरमेट विकसित करेगा ।

(ii) ऐसे मामलों में, जहां विद्युत के अनधिकृत उपयोग के कारण प्रभार शुरू से ही वापस ले लिए गए हैं, उपभोक्ता द्वारा जमा की गई दूसरे निरीक्षण के लिए निरीक्षण फीस पश्चात्वर्ती विद्युत बिलों में समयोजित करेगा ।

(iii) विद्युत के अप्राधिकृत उपयोग के कारण प्रभारों का उद्ग्रहण तब तक जारी रहेगा जब तक उद्ग्रहण का कारण समाप्त नहीं किया जाता और विनियम 58 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार लाइसेंसधारक द्वारा सत्यापन नहीं किया जाता है ।

अध्याय 8

शिकायत निपटान प्रक्रिया

62. सामान्य

(i) लाइसेंसधारक करंट न होने, विद्युत प्रदाय न होने, वोल्टेज में उतार-चढ़ाव, लोड शेडिंग, क्रमिक कटौती, मीटरिंग, बिलिंग और अन्य वाणिज्यिक शिकायतों को इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार दूर करेगा ।

(ii) विद्युत प्रदाय संबंधी शिकायतें लाइसेंसधारक के केंद्रीयकृत कॉल केंद्रों शिकायत केंद्रों पर दर्ज करवाई जा सकेंगी । मीटरिंग, बिलिंग और अन्य वाणिज्यिक विषय संबंधी शिकायतों को केंद्रीयकृत वाणिज्यिक शिकायत केंद्र/वाणिज्यिक प्रबंधक कार्यालय में दर्ज किया जाएगा ।

इन शिकायत केंद्रों के संपर्क नंबर विद्युत बिलों पर प्रकाशित होंगे, बिल संग्रहण केंद्रों पर प्रदर्शित किए जाएंगे और लाइसेंसधारक की इन वेबसाइट पर मौजूद होंगे। सहायक प्रबंधक पदाभिहित अधिकारियों के संपर्क नंबर भी अधिसूचित किए जाएंगे ताकि किसी शिकायत के निवारण में देरी होने की दशा में उनसे संपर्क कर उन्हें

सूचित किया जा सके ।

(iii) करंट नहीं होने या विद्युत प्रदाय बंद होने पर,

परिसरों में विद्युत प्रदाय बंद होने के कारणों में निम्नलिखित कारण हो सकते हैं जिन्हें लाइसेंसधारक अपने स्तर पर ठीक करेगा :

(क) फ्यूज उड़ने/एमसीबी ट्रिप हो जाने

(ख) मीटर जल जाने

(ग) सर्विस लाइन टूट जाने

(घ) खंभे से सर्विस लाइन कट जाने

(ङ) मुख्य वितरण लाइनों में खराबी होने

(च) वितरण ट्रांसफॉर्मर फेल होने

(छ) एच टी प्रणाली में खराबी होने

(ज) ग्रिड (33 केवी या 66 केवी) सब-स्टेशन में समस्या पैदा होने

(झ) सुनियोजित/कार्यक्रम अनुसार या आपातकाल रखरखाव कार्य

(ञ) लोड शेडिंग

(ट) स्ट्रीट लाइट संबंधी शिकायत

63. शिकायत दर्ज करवाने की प्रक्रिया :

(i) शिकायत लाइसेंसधारक के केंद्रीयकृत शिकायत प्राप्त केंद्र पर फोन के माध्यम से दर्ज करवाई जा सकती है जिसमें, नाम, पता, फोन नंबर, यदि उपलब्ध हो, और शिकायत की प्रवृत्ति सम्मिलित होगी ।

(ii) प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों को तुरंत दर्ज कर शिकायतकर्ता को एक शिकायत संख्या प्रदान की जाएगी । केंद्रीयकृत शिकायत प्राप्ति केंद्र प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों का एक डाटाबेस, रजिस्टर तैयार करेगा ।

(iii) यदि केंद्रीयकृत शिकायत प्राप्ति केंद्र को यह जानकारी है कि शिकायत उपरोक्त पैरा 62(iii) में (ङ)-(ञ) में सूचीबद्ध कारणों में से किसी एक कारण से है तो वह शिकायतकर्ता को वह कारण बताएगा जिस कारण से विद्युत प्रदाय बाधित है और वह विद्युत प्रदाय बहाल होने में लगने वाले अपेक्षित समय के बारे में भी बताएगा । इसके साथ ही, वह प्राप्त होने वाली हर शिकायत को दर्ज करेगा और ऐसे सभी शिकायतों के लिए एक विलक्षण शिकायत नंबर भी प्रदान करेगा ।

(iv) केंद्रीयकृत शिकायत प्राप्ति केंद्र सभी शिकायत केंद्रों पर मोबाइल सेवा समूह को शिकायत संबंधी जानकारी देगा । मोबाइल सेवा समूह उसके बाद शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए पते पर पहुंच कर शिकायत के कारणों की जांच करेगा और समस्या का निवारण करेगा । शिकायत दूर करने पर, केंद्रीयकृत शिकायत प्राप्ति केंद्र के उसकी प्रास्थिति के बारे में जानकारी दी जाएगी जिसे वह उसे अभिलेख में दर्ज करेगा ।

(v) यदि शिकायत उपरोक्त (ङ) - (ञ) में सूचीबद्ध किसी कारण से अधिक गंभीर हो तो मोबाइल सेवासमूह को खराबी की प्रकृति और सर्वर ठीक होने में लगने वाले अपेक्षित संभावित समय के बारे में शिकायतकर्ता और केंद्रीयकृत शिकायत प्राप्ति केंद्र को सूचित करेगा । वह शिकायत को दूर करने हेतु समुचित कार्रवाई करने के लिए अतिरिक्त संसाधन और सामग्री देने के लिए अपने अगले उच्चतर प्राधिकारी को भी सूचित करेगा ।

(vi) केंद्रीय शिकायत प्राप्त केंद्र द्वारा निम्नानुसार अनुबद्ध समय-सीमा के भीतर शिकायत को दूर करने के संबंध में सभी शिकायतों की मानीटरिंग की जाएगी :

सारणी - 8

विद्युत प्रदाय बाधि होने के कारण की प्रकृति	**प्रदाय बहाल करने में लगने वाला अधिकतम समय**
फ्यूज उड़ना/एमसीबी ट्रिप हो जाने	शहरी क्षेत्रों में तीन घंटों के भीतर

	ग्रामीण क्षेत्रों में आठ घंटों के भीतर
मुख्य वितरण लाइन में खराबी वैकल्पिक स्रोत	अस्थायी प्रदाय किसी भी वैकल्पिक स्रोत से, जैसे भी संभव हो, चार घंटों के भीतर बहाल करने खराबी को दूर कर बारह घंटों के भीतर-विद्युत की सामान्य प्रदाय बहाल करने
वितरण ट्रांसफार्मर फेल होने/जल जाने	मोबाइल ट्रांसफार्मर या किसी अन्य बैकअप स्रोत से, आठ घंटे के भीतर अस्थायी विद्युत प्रदाय प्रदान करने । खराब हो चुके ट्रांसफार्मरों को अड़तालीस घंटों के भीतर बदलने
मुख्य एचटी लाइन फेल हो जाने	जैसे भी संभव हो, चार घंटों के भीतर विद्युत की अस्थायी प्रदाय बहाल करने बारह घंटों के भीतर खराबी को दूर करने
ग्रिड (33 केवी या 66 केवी) सब-स्टेशन में समस्या पैदा होने	किसी भी वैकल्पिक स्रोत से, जैसे भी संभव हो छह घंटों के भीतर प्रदाय बहाल करना । वैकल्पिक स्रोत में ओवर लोडिंग होने से बचने के लिए क्रमिक कटौती लागू की जा सकेगी । अड़तालीस घंटों के भीतर मरम्मत करने और प्रदाय बहाल करने
विद्युत ट्रांसफार्मर का फेल होना	किसी भी वैकल्पिक स्रोत से, जैसे भी संभव हो, छह घंटों के अंदर प्रदाय बहाल करना वैकल्पिक स्रोत में ओवरलोडिंग होने से बचने के लिए क्रमिक कटौती की जा सकेगी । आयोग को बदलाव के लिए कार्य-योजना के बारे में बहत्तर घंटों के भीतर सूचित करने और विद्युत ट्रांसफार्मर को 20 दिनों के भीतर बदल देना ।
मीटर जल जाने	जले हुए मीटर को नजरअंदाज करते हुए छह घंटों के भीतर विद्युत प्रदाय बहाल करने तीन दिनों के भीतर जले हुए मीटर को बदलने
स्ट्रीट लाइट संबंधी शिकायत	बहत्तर घंटों के अंदर बहाल करना

(vii) यदि मोबाइल सेवा समूह से शिकायत केंद्र/केंद्रीयकृत कॉल केंद्र को उपरोक्त दिए गए अनुबद्ध समय के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो काल केंद्र/शिकायत केंद्र संबंधित प्राधिकृत अधिकारी, जिला प्रबंधक को शिकायत के संबंध में सूचित करेंगे ।

(viii) शिकायत निवारण प्रक्रिया को तेज करने की प्रक्रिया प्रणाली के अंदर मौजूद होगी और जब तक शिकायत को दूर किया जाना दर्ज नहीं हो जाता है तब तक यह सर्वर आधारित प्रणाली का उपयोग करते हुए प्रत्येक दो घंटों के अंतरालों पर मुख्य प्रबंधक (प्रचालन) के स्तर पर कार्य करेगी, सभी शिकायत निवारण अधिकारियों को शिकायत संबंधी जानकारी देने के लिए संसूचना युक्तियों पर आधारित मोबाइल बायरलेस प्रदान किए जाएंगे ।

(ix) यदि अगला उच्च अधिकारी उपलब्ध नहीं है या अनुबद्ध समय सीमा के भीतर समस्या का समाधान करने में असमर्थ है तो संबंधित खराबी की शिकायत महाप्रबंधक (प्रचालन) तक अपने आप ही पहुंचा दी जाएगी ।

वोल्टेज संबंधी शिकायतें

(x) कम/अधिक वोल्टेज की दशा में, शिकायत उत्पन्न समस्या के संक्षिप्त विवरण के साथ शिकायतकर्ता का नाम, पता, टेलीफोन सं., यदि कोई हो, देते हुए केंद्रीयकृत कॉल केंद्र/शिकायत केंद्र में दर्ज करवानी चाहिए । ड्यूटी पर तैनात ऑपरेटर शिकायत को दर्ज करेगा और प्रत्येक मामले में शिकायत संख्या बताएगा ।

(xi) केंद्रीयकृत कॉल केंद्र/शिकायत केंद्र शिकायत को तुरंत संबंधित सेवा केंद्रों के मोबाइल सेवा समूह के पास पहुंचा देगा । मोबाइल सेवा समूह शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए पते पर जाकर शिकायत की जांच करेगा और समस्याका समाधान करेगा ।

(xii) यदि समस्या स्थानीय है जैसे कि सर्विस लाइन का जोड़ ढीला होना, तो मोबाइल समूह अपने स्तर पर ही खराबी दूर करेगा । यदि वोल्टेज की समस्या किसी अन्य कारण से है जैसे प्रणाली में कमी, तो मोबाइल समूह इसे क्षेत्रीय सहायक प्रबंधक/

पदभिहित अधिकारी की जानकारी में लाएगा ।

(xiii) क्षेत्रीय सहायक प्रबंधक/पदाभिहित अधिकारी यह अभिनिश्चित करेगा कि यदि ट्रांसफार्मर की टैप स्थिति को बदलने या प्रणाली में उचित नियंत्रण क्षमता स्थापित करने से समस्या का समाधान हो सकता है तो, यदि संभव हो, वह वैसा उपाय करेगा । तथापि, यदि सहायक प्रबंधक को यह पता लगता है कि वह समस्या वितरण प्रणाली में कमी के कारण है और वितरण लाइनों, ट्रांसफार्मरों, कैपिस्टर्स को उन्नत करने की आवश्यकता है, तो वह इस संबंध में और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए जिला प्रबंधक को सूचित करेगा ।

(xiv) जब संयोजित भार प्रचालन में नहीं है तो उपभोक्ता को उसके परिसरों में लगे कैपिस्टर्स स्विचिंग चालू करने या बंद करने की आवश्यकता के बारे में भी सूचित किया जाएगा जो उपभोक्ता को यदि कैपिस्टर्स स्वतः अनियंत्रित होते हैं तो अधिक वोल्टेज समस्या से बचने के अलावा कैपिस्टर्स की अवधि को बढ़ाने में उपभोक्ताओं की सहायता करेगा ।

(xv) वोल्टेज समस्या नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर दूर की जाएगी ।

सारणी - 9

क्र. सं.	**वोल्टेज में उतार-चढ़ाव संबंधी समस्या का कारण**	**समस्या को दूर करने के लिए समय-सीमा**	**प्राधिकृत व्यक्ति**	**शिकायत के लिए अगला उच्च स्तर**
1.	स्थानीय समस्या	4 घंटों के भीतर	सहायक प्रबंधक	जिला प्रबंधक
2.	ट्रांसफार्मर टैप	3 घंटों के भीतर	सहायक प्रबंधक	जिला प्रबंधक
3.	वितरण लाइन/ ट्रांसफार्मर/ कैपिस्टर्स की मरम्मत	30 दिनों के भीतर	सहायक प्रबंधक	जिला प्रबंधक
4.	एचटी/एलटी प्रणाली	90 दिनों के	सहायक प्रबंधक	जिला प्रबंधक

	की स्थापना या उन्नयन	भीतर		

(xvi) लाइसेंसधारक आयोग को मासिक एमआईएस रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें प्राप्त शिकायतों की वर्गीकृत संख्या और ऐसी अन्य शिकायतें होंगी जिन्हें अनुबद्ध समय के भीतर दूर नहीं किया जा सकता और उसके कारण होंगे ।

(xvii) **निर्धारित कटौती/लोड शेडिंग :**

निरंतर लोडशेडिंग या बार-बार विद्युत प्रदाय बंद होने के मामले में (निर्धारित बिजली कटौती के अतिरिक्त), दिन में 12 घंटे तक बिजली कटौती की दशा में, शिकायत उपाबंध 13 में दिए गए प्ररूप में संबंधित क्षेत्र के जिला प्रबंधक के पास दर्ज करवाई जा सकती है । जिला प्रबंधक ऐसी सभी शिकायतों को अभिस्वीकार करेगा तथा उन्हें दूर करने की व्यवस्था करेगा ।

मीटरिंग और बिलिंग संबंधी शिकायतें

(xviii) मीटरिंग और बिलिंग संबंधी शिकायतें निम्नलिखित किसी एक कारण से हो सकती हैं :-

(क) नया कनेक्शन प्रदान करने में विलंब

(ख) कनेक्शन को एक से दूसरी जगह बदलने में विलंब

(ग) लोड बढ़ाने या घटाने में विलंब

(घ) खराब या जले हुए मीटर बदलने

(ङ) वर्ग में परिवर्तन

(च) प्रदाय काटने और बहाल करने

(छ) सील गायब होना

(ज) गलत बिलिंग

(झ) परिसर खाली होने या अधिभोग बदलने पर

(xix) मीटरिंग और बिलिंग संबंधी शिकायतों को व्यवसायिक प्रबंधक के पास भेजा

जाएगा । इन्हें इन विनियमों के अनुसार अनुज्ञात समय-सीमा के भीतर दूर किया जाएगा तथा तदनुसार उपभोक्ता को इस संबंध में, सूचित किया जाएगा ।

(xx) **शिकायतों की मानीटरिंग**

(क) दैनिक एमआईएस रिपोर्ट सीईओ, और मुख्य प्रबंधक (प्रचालन) को दी जाएगी जिसमें लंबित शिकायतों की संख्या तथा उनकी प्रास्थिति प्रदान की जाएगी ।

(ख) एमआईएस रिपोर्ट, जिसमें प्राप्त शिकायतों की प्रवर्गवार क्रम संख्या तथाऐसी शिकायतों के ब्यौरे होंगे, जिन्हें अनुबद्ध समय-सीमा के भीतर दूर नहीं किया जा सका और उसके कारणों सहित, ऊर्जा प्रदाय तथा मीटरिंग, बिलिंग और अन्य वाणिज्यिक शिकायतों के लिए मासिक आधार पर आयोग को प्रस्तुत की जाएगी ।

अध्याय - 9

अनुपालन के गारंटीकृत तथा संपूर्ण मानक

64. अनुपालन के गारंटीकृत मानक

(i) अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट मानक, सेवा के न्यूनतम मानक होने के नाते अनुपालन के गारंटीकृत मानक होंगे जिन्हें लाइसेंसधारक को प्राप्त करना होगा तथा अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट मानक अनुपालन के संपूर्ण घटक होंगे जिनकी पूर्ति लाइसेंसधारक, अपनी बाध्यताओं का निर्वहन करके लाइसेंसधारक के रूप में करेगा ।

(ii) आयोग, समय-समय पर, अनुसूची-1 और अनुसूची-2 की अंतर्वस्तु को, आयोग द्वारा पारित साधारण या विशेष आदेश द्वारा, जोड़, परिवर्तन, फेरफार, उपांतरण या उसे संशोधित कर सकेगा ।

65. प्रतिकर

(i) लाइसेंसधारक अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट गारंटीकृत अनुपालन मानकों को पूरा करने में असफल होने पर लाइसेंसधारक प्रभावित उपभोक्ता को अनुसूची-3 में विनिर्दिष्ट

प्रतिकर का संदाय करने का दायी होगा । प्रतिकर लाइसेंसधारक द्वारा अनुसूची-3 में विनिर्दिष्ट रीति से संदत्त कियाजाएगा ।

(क) इस विनियम की अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट मानक के संदर्भ में लाइसेंसधारक द्वारा प्राप्त अनुपालन का स्तर ;

(ख) उन मामलों की संख्या, जिनमें उपरोक्त विनियम 65 के अधीन प्रतिकर संदेय था और लाइसेंसधारक द्वारा संदेय तथा संदत्त प्रतिकर की कुल रकम;

(ग) अनुपालन के गारंटीकृत मानकों को पूरा करने में असफल रहने पर लाइसेंसधारक के विरुद्ध उपभोक्ताओं द्वारा किए गए दावों की संख्या तथा लाइसेंसधारक द्वारा की गई कार्रवाई जिसमें ऐसे दावों के लिए प्रतिकर के संदाय या असंदाय में विलंब के कारण सम्मिलित होंगे ; और

(घ) गारंटीकृत मानकों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में अनुपालन में सुधार करने के लिए लाइसेंसधारक द्वारा किए गए उपाय तथा आगामी वर्ष के लिए अनुपालन के सुधार करने के लिए लाइसेंसधारक का लक्ष्य ।

(ii) उपखंड (i) के अधीन मासिक रिपोर्ट आयोग को मास के समाप्त होने वाले 15 दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी तथा उपखंड (i) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिन के भीतर आयोग को प्रस्तुत की जाएगी ।

(iii) लाइसेंसधारक आयोग को प्रत्येक तिमाही एक रिपोर्ट तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समेकित वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें अनुपालन के संपूर्ण मानक के बारे में निम्नलिखित जानकारी होगी :-

(क) इस विनियम की अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट संदर्भ के प्रति प्राप्त अनुपालन का स्तर ; और

(ख) संपूर्ण अनुपालन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में अनुपालन में सुधार करने के लिए लाइसेंसधारक द्वारा किए गए उपाय तथा आगामी वर्ष के लिए

अनुपालन में सुधार करने के लिए लाइसेंसधारक का लक्ष्य ।

उपखंड (iii) के अधीन तिमाही रिपोर्ट आयोग को तिमाही के समाप्त होने वाले 15 दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी तथा उक्त उपखंड (iii) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट वित्तीय वर्ष के समाप्त होने वाले 30 दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी ।

(vi) आयोग, ऐसे अंतरालों पर, जो वह ठीक समझे और जो अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, इस विनियम के अधीन लाइसेंसधारक द्वारा दी गई जानकारी को प्रकाशित करने की व्यवस्था करेगा ।

अध्याय - 10

प्रकीर्ण

67. साधारण

(i) लाइसेंसधारक नए कनेक्शनों, बिलिंग, मीटरिंग, कनेक्शन काटने, फिर से जोड़ने और चोरी के संबंध में हुई प्रगति का मासिक आधार पर मानीटर करेगा तथा प्रत्येक तिमाही आयोग को एमआईएस रिपोर्ट भेजेगा जिसमें प्राप्त अनुपालन मानकों की मानीटरिंग, प्रत्येक प्रवर्ग में कोड का उल्लंघन, उद्गृहीत शास्ति, समायोजन आदि सम्मिलित होंगे ।

(ii) लाइसेंस धारक क्षेत्रवार सूची तथा नए कनेक्शनों, बिलिंग, मीटरिंग, कनेक्शन काटने, फिर से कनेक्शन जोड़ने तथा चोरी के मामलों की संख्या को वेबसाइट पर डालेगा जिसमें दर्ज किए गए, विनिश्चित तथा लंबित ऐसे मामलों के संपूर्ण आंकड़े होंगे । लाइसेंस धारक इन विनियमों के अनुसार आयोग को भेजी गई सभी रिपोर्टों को अपनी वेबसाइट पर भी डालेगा ।

68. उपभोक्ता को नोटिस

लाइसेंस धारक द्वारा उपभोक्ता को दिए गए किसी आदेश/नोटिस, जिसमें विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56 के अधीन सूचना सम्मिलित है, को लाइसेंस धारक द्वारा सम्यक् रूप से

तामील किया गया समझा जाएगा यदि वह, -

(क) पाने वाले के ठीक डाक पते पर - रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा गया हो ।

(ख) उपभोक्ता द्वारा लाइसेंस धारक के अधिसूचित पते पर निवास करने वाले व्यक्ति के हाथ में परिदत्त किया गया हो ; या

(ग) यदि नोटिस लेने वाला व्यक्ति परिसर में नहीं है तो नोटिस/आदेश को उक्त परिसर के स्पष्ट स्थान पर चिपका दिया गया हो या उसकी फोटो ले ली गई हो ।

69. छूट

(i) इस विनियम में विनिर्दिष्ट अनुपालन मानक युद्ध, विद्रोह, नागरिक विरोध, दंगों, बाढ़, तूफान, बिजली कड़कने, भूकंप, तालबंदी अग्नि आदि जैसे अपरिहार्य घटना, जो लाइसेंसधारक के संस्थापनों तथा गतिविधियों को प्रभावित करती हों, के दौरान निलंबित रहेंगे ।

(ii) इस विनियम में अंतर्विष्ट मानकों के अनुपालन को उल्लंघन के रूप में नहीं समझा जाएगा तथा वितरण लाइसेंसधारक से प्रभावित उपभोक्ता(ओं) को किसी प्रतिकर का संदाय करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी यदि ऐसा उल्लंघन राज्य पारेषण उपयोगिता और/या केंद्रीय पारेषण उपयोगिता, ग्रिड फेल होने, पारेषण लाइसेंसधारक के नेटवर्क पर खराबी होने या राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा दिए गए ऐसे अनुदेशों के कारण हुआ हो जिस पर वितरण लाइसेंसधारक का कोई युक्तियुक्त नियंत्रण न हो ।

70. कठिनाइयों को शिथिल तथा दूर करने की शक्ति

(i) आयोग लोकहित में और लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए इन विनियमों के किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकेगा ।

(ii) यदि इन विनियमों के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आयोग किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसे उपबंध बना सकेगा जो

अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, और कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों ।

71. निरसन और व्यावृत्ति

(i) इन विनियमों में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (अनुपालन मानक मीटरिंग तथा बिलिंग) विनियम, 2002 निरसित किया जाता है ।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी, -

(क) ऐसे निरसित विनियमों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई बात या कार्रवाई, जहां तक वह अधिनियम के उपबंधों के असंगत नहीं है, इन विनियमों के अधीन की गई समझी जाएगी।

(ख) आयोग किसी भी समय तथा ऐसे निबंधनों पर जैसा वह ठीक समझे, इन विनियमों के किसी उपबंध को संशोधित, परिवर्तित या उपांतरित कर सकेगा या इन के विनियमों में किसी गलती या त्रुटि को दूर कर सकेगा ।

(सोमित दासगुप्ता)

सचिव

नोट : यदि इस हिंदी रूपांतर में कोई कमी हो तो इस विनियम का अंग्रेजी रूपांतर पढ़ा जाए ।

अनुसूची - 1

अनुपालन के गारंटीकृत मानक

1. विद्युत प्रदाय की बहाली

विद्युत प्रदाय बाधि होने के कारण की प्रकृति	प्रदाय बहाल करने में लगने वाला अधिकतम समय
1.1 फ्यूज उड़ना या छोटे सर्किट ब्रेकर के ट्रिप होने पर (एमसीबी ट्रिप हो जाना)	शहरी क्षेत्रों में तीन घंटों के भीतर ग्रामीण क्षेत्रों में आठ घंटों के भीतर
1.2 सर्विस लाइन टूटना खंभे से सर्विस लाइन का टूटना	शहरी क्षेत्रों में छह घंटों के भीतर ग्रामीण क्षेत्रों में बारह घंटों के भीतर
1.3 वितरण लाइन/प्रणाली में खराबी	किसी भी वैकल्पिक स्रोत से, जैसे भी संभव हो, चार घंटों के भीतर अस्थायी प्रदाय बहाल करना। खराबी को दूर करना और तत्पश्चात् बारह घंटों के भीतर विद्युत की सामान्य प्रदाय बहाल करना।
1.5 मुख्य हाई टेंशन फेल हो जाना	चार घंटों के भीतर, जैसे भी संभव हो, विद्युत की अस्थायी प्रदाय बहाल करना । बारह घंटों के भीतर खराबी को दूर करना
1.6 ग्रिड (33 केवी या 66 केवी.) सब-स्टेशन में समस्या	किसी भी वैकल्पिक स्रोत से छह घंटों के भीतर प्रदाय बहाल करना वैकल्पिक स्रोत में ओवरलोडिंग होने से बचने के लिए क्रमिक कटौती लागू करना । अड़तालीस घंटों के भीतर खराबी को दूर कर

	प्रदाय बहाल करना ।
1.7 विद्युत ट्रांसफार्मर का फेल होना	किसी भी वैकल्पिक स्रोत से, जैसे भी संभव हो, छह घंटों के अंदर प्रदाय बहाल करना । वैकल्पिक स्रोत में ओवरलोडिंग होने से बचने के लिए क्रमिक कटौती लागू करना । बदलाव के लिए कार्य-योजना के संबंध में आयोग को बहत्तर घंटों के भीतर सूचित करना, विद्युत ट्रांसफार्मर को बीस दिनों के अंदर बदल देना ।
1.8 मीटर जल जाना	जले हुए मीअर को नजरअंदाज कते हुए छह घंटों के अंदर विद्युत प्रदाय बहाल करना । तीन दिनों के अंदर जले हुए मीटर को बदलना
1.9 स्ट्रीट लाइट में खराबी	बहत्तर घंटों के भीतर स्ट्रीट लाइट बहाल करना

2. विद्युत प्रदाय की क्वालिटी

वोल्टेज में उतार-चढ़ाव :

(i) लाइसेंसधारक घोषित वोल्टेज के संबंध में नीचे अनुबद्ध सीमाओं के भीतर उपभोक्ता को प्रदाय आरंभ करने के स्थान पर वोल्टेज को बनाए रखेगा :-

(क) कम वोल्टेज की दशा में, +6% और 6%

(ख) अधिक वोल्टेज की दशा में, + 6% और - 9%

(ग) अत्यधिक उच्च वोल्टेज की दशा में, +10% और - 12.5%

वोल्टेज की समस्या का समाधान नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर दिया जाएगा :

क्र. सं.	**वोल्टेज में उतार-चढ़ाव संबंधी समस्या का कारण**	**समस्या को दूर करने के लिए समय सीमा**
1.	स्थानीय समस्या	चार घंटों के भीतर
2.	ट्रांसफार्मर टैप	तीन घंटों के भीतर
3.	वितरण लाइन/ट्रांसफार्मर/कैपिस्टर्स की मरम्मत	तीन दिनों के भीतर
4.	एचटी/एलटी प्रणाली की स्थापना या उन्नयन	नब्बे दिनों के भीतर

3. विश्लेषण (हार्मोनिकस)

अपेक्षाओं को विस्तृत अध्ययन के बाद एक समुचित समय पर विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

4. मीटर संबंधी शिकायतें

शिकायत की प्रकृति	लाइसेंसधारक द्वारा लिया जाने वाला समय
मीटर की सही गणना की शिकायत दर्ज करना	शिकायत प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर लाइसेंसधारक मीटर की जांच करेगा और अगर जरूरत हुई तो उसके बाद पंद्रह दिनों के अंदर मीटर बदल दिया जाएगा ।
खराब, जाम हुए मीटर की शिकायत दर्ज करने	शिकायत प्राप्त हाने के पंद्रह दिनों के भीतर लाइसेंसधारक मीटर की जांच करेगा और अगर आवश्यकता हुई तो उसके बाद पंद्रह दिनों के अंदर मीटर बदल दिया जाएगा ।
मीटर जल जाने संबंधी शिकायत दर्ज होने पर	लाइसेंसधारक शिकायत प्राप्त होने के छह घंटों के भीतर जले हुए मीटर को अलग रखते हुए विद्युत की प्रदाय बहाल करेगा, उसके बाद तीन दिनों के अंदर नया मीटर प्रदान किया जाएगा ।

5. नए कनेक्शन/अतिरिक्त भार बढ़ाने के लिए आवेदन

(क) ऐसे मामले, जहां विद्यमान नेटवर्क के माध्यम से विद्युत प्रदाय प्रदान की जा सकती है

अधिनियम की धारा 43 और इन विनियमों के अनुसार नियत समय-सीमा के भीतर लाइसेंसधारक द्वारा नए कनेक्शन दिए जाने होंगे ।

(ख) ऐसे मामले, जहां विद्युत प्रदाय करने के लिए वितरण प्रणाली का विस्तार अपेक्षित है ।

(i) लाइसेंसधारक तीन दिन के भीतर आवेदन की प्राप्ति की अभिस्वीकृति देगा तथा उस समय-सीमा के बारे में आवेदक को लिखित में अवगत कराएगा जिस सीमा के भीतर कनेक्शन दिया जा सकता है तथा क्रमशः निम्न टेंशन, उच्च टेंशन (11 केवी.), उच्च टेंशन (33 केवी.) और अत्यधिक

उच्च टेंशन (33 केवी से ऊपर) के लिए आवेदन की प्राप्ति के सात, पंद्रह, तेरह तथा पैंतालीस दिन के भीतर प्रतिभूति की रकम तथा अन्य प्रभार संदेय होंगे ।

(ii) ऐसे मामलों में, लाइसेंसधारक द्वारा नीचे विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर विद्युत का प्रदाय प्रभावित होगी :

1.	विद्युतीय क्षेत्र (जहां पर एलटी लाइन के विस्तार के लिए पांच खंभों से अधिक की आवश्यकता है)	पंद्रह दिन
2.	विद्युतीय क्षेत्र (जहां पर लाइनों के विस्तार के लिए वितरण ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता हो)	साठ दिन
3.	विद्युतीय क्षेत्र (जहां पर नए वितरण ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता हो)	एक सौ बीस दिन
4.	विद्युतीय क्षेत्र (जहां पर विद्यमान 11 केवी. नेटवर्क को मजबूत किए जाने की आवश्यकता हो)	एक सौ अस्सी दिन
5.	विद्युतीय क्षेत्र (जहां विद्यमान 66/33 केवी ग्रिड सब-स्टेशन की क्षमता बढ़ाए जाने की आवश्यकता हो)	दो सौ चालीस दिन

(ग) प्रदाय बढ़ाने के लिए सब-स्टेशन का संनिर्माण

(1) गैर-विद्युतीय क्षेत्र (जहां पर नजदीकी विद्यमान नेटवर्क से प्रदाय का विस्तार संभव हो)	छह मास (संभावित उपभोक्ता आधार के 50% के लिए विद्युत का प्रदाय करने हेतु विद्युतीकरण अपेक्षा को सम्मिलित करने के लिए इन विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट आवश्यक विकास प्रभारों का उपभोक्ता का हिस्सा जमा होने के पश्चात)
(2) गैर-विद्युतीय क्षेत्र/हरित क्षेत्र परियोजना (जहां पर नया नेटवर्क स्थापित किया जाना है या नए ग्रिड स्टेशन की स्थापना किए जाने की आवश्यकता है)	बारह मास (संभावित उपभोक्ता आधार के 50% के लिए विद्युत का प्रदाय करने हेतु तथा राजस्व प्राधिकारियों, भू-स्वामी अभिकरणों से ग्रिड के लिए रास्ते तथा भूमि के अधिकार प्राप्त होने के लिए विद्युतीकरण अपेक्षा को सम्मिलित किए जाने के लिए प्रकीर्ण प्रभारों के अंतर्गत आयोग

	द्वारा यथा अनुमोदित आवश्यक विकास प्रभारों के उपभोक्ता के हिस्से की प्राप्ति के पश्चात)

परंतु यह कि वितरण लाइसेंसधारक उपरोक्त विनिर्दिष्ट समय के विस्तार के लिए उन विनिर्दिष्ट मामलों में आवेदन कर सकेगा जहां विद्युतीकरण कार्य के विस्तार का कार्य ऐसा है कि जिसमें अधिक समय लगने की आवश्यकता हो और विस्तार के लिए ऐसे दावे के समर्थन में सम्यक् रूप से ब्यौरे देने होंगे । ऐसा अनुरोध ऐसे विस्तार के लिए स्कीम की तैयारी करने के पश्चात् शीघ्र किया जाना चाहिए ।

तथापि, लाइसेंसधारक को प्रदाय विस्तारित करने के लिए, विलंब, यदि कोई हो, उत्तरदायी नहीं उठहराया जाएगा यदि विलंब मंजूरी, रास्ताधिकार, भूमि अर्जन से संबंधित समस्याओं के कारण हुआ हो या विलंब सरकार के विद्युत निरीक्षक का अनुमोदन अभिप्राप्त करने के लिए उसके उच्च टेंशन या अधिक उच्च टेंशन के संस्थापन आदि के लिए उपभोक्ता की बाध्यताओं से हुआ हो जिस पर लाइसेंसधारक को कोई युक्तियुक्त नियंत्रण न हो ।

6. उपभोक्ता कनेक्शन का अंतरण तथा सेवाओं में परिवर्तन

लाइसेंसधारक निम्नलिखित सीमाओं के भीतर उपभोक्ता के कनेक्शन का अंतरण, प्रवर्ग में परिवर्तन तथा निम्न टेंशन से उच्च टेंशन या उसके विपरीत विद्यमान सेवाओं में बदलाव करेगा :

अनुरोध की प्रकृति	लाइसेंसधारक द्वारा लिया जाने वाला समय
स्वामित्व/अधिभोग में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता के कनेक्शन में परिवर्तन	परिवर्तन दो बिलिंग चक्रों में प्रभावी होगा
कानूनी वारिस के स्वामित्व का अंतरण	परिवर्तन दो बिलिंग चक्रों में प्रभावी होगा
लोड में कटौती	लाइसेसधारक, सत्यापन के पश्चात् आवेदन की स्वीकृति की तारीख से दस दिन के भीतर कम किए हुए लोड की मंजूरी करेगा तथा ऐसे भार की कटौती अगले बिलिंग चक्रण से विधिमान्य

	होगी ।
वर्ग में परिवर्तन	लाइसेंसधारक परिसर का निरीक्षण करेगा तथा आवेदन की स्वीकृति की तारीख से दस दिन के भीतर प्रवर्ग में परिवर्तन करेगा । प्रवर्ग में ऐसा परिवर्तन निरीक्षण फीस जमा करने की तारीख से प्रभावी होगा ।

7. उपभोक्ता के बिलों के बारे में शिकायत

शिकायत की प्रकृति	लाइसेंसधारक द्वारा लिया जाने वाला समय

बिल संबंधी शिकायत	यदि शिकायत व्यक्तिगत तौर पर प्राप्त की जाती है तो लाइसेंसधारक तुरंत उसकी पुष्टि करेगा या डाक द्वारा प्राप्त होने पर तीन दिन के भीतर उसकी पुष्टि करनी होगी । यदि कोई अतिरिक्त जानकारी अपेक्षित नहीं है तो लाइसेंसधारक शिकायत का निवारण करेगा तथा शिकायत प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर उपभोक्ता को इस संबंध में सूचित करेगा । यदि अतिरिक्त जानकारी अपेक्षित है तो उसे अभिप्राप्त किया जाएगा तथा समस्या का समाधान किया जाएगा तथा शिकायत प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर परिणाम उपभोक्ता को सूचित कर दिया जाएगा ।
परिसर खाली करने/अधिभोगी बदलने के लिए अंतिम बिल	उपभोक्ता परिसर खाली किए जाने या अधिभोगी में परिवर्तन होने से पूर्व कम से कम सात दिन अग्रिम में विशेष रीडिंग करने के लिए लाइसेंसधारक से अनुरोध करेगा तथा लाइसेंसधारक परिसर खाली होने से पूर्व या अधिभोगिता में परिवर्तन होने से कम से कम तीन दिन पूर्व अंतिम बिल, जिसमें बकाया, यदि कोई हो, भी सम्मिलित है, देने की व्यवस्था करेगा ।

8. प्रदाय कनेक्शन काटने, उसे दोबारा से जोड़ने संबंधी मुद्दे

विचाराधीन मुद्दे	लाइसेंसधारक द्वारा लिया जाने वाला समय
उपभोक्ता द्वारा देयों का असंदाय	लाइसेंसधारक देयों का संदाय करने के लिए पंद्रह दिन की सूचना देगा यदि वे संदत्त नहीं किए जाते हैं तो वह सूचना की अवधि की समाप्ति पर उपभोक्ता के संस्थापनों को काट सकेगा ।
कनेक्शन दोबारा से जोड़ने के लिए अनुरोध	लाइसेंसधारक पुनः कनेक्शन जोड़ने संबंधी प्रभारों के साथ पिछले देयों तथा सेवा लाइन

	प्रभारों, जहां लागू हो, के संदाय के दो दिन के भीतर उपभोक्ता के संस्थापन को पुनः जोड़ देगा । सामूहिक कनेक्शन केवल पुनः तभी जोड़े जाएंगे जब नए कनेक्शन जोड़ने के लिए अपेक्षित सभी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया जाएगा ।
कनेक्शन काटे जाने की मांग करने वाले उपभोक्ता	लाइसेंसधारक ऐसा अनुरोध प्राप्त करने के पांच दिन के भीतर विशेष रीडिंग करेगा तथा अंतिम बिल, जिसमें अद्यतन बिलिंग के सभी बकाया सम्मिलित है, तैयार करेगा ।

अनुसूची - 2

संपूर्ण अनुपालन मानक

1.1 **सामान्य फ्यूज ऑफ कॉल्स :** लाइसेंसधारक अनुसूची-1 के उपपैरा 1.1 के अधीन विहित समय-सीमा के भीतर फ्यूज ऑफ कॉल्स को ठीक कर प्रतिशतता बनाए रखेगा और प्राप्त कुल कॉलें 99% से अन्यून हो ।

1.2 **लाइन में खराबी होना :** लाइसेंसधारक अनुसूची-1 के उपपैरा 1.3 में विहित तय समय-सीमा के भीतर विद्युत प्रदाय बहाल करने का सुनिश्चय करेगा । लाइसेंसधारक कम से कम 95% मामलों में इस निष्पादन मानक को प्राप्त करेगा ।

1.3 **वितरण ट्रांसफार्मर फेल होने पर :** लाइसेंसधारक अनुसूची-1 के उपपैरा 1.4 में विहित समय सीमा के भीतर वितरा ट्रांसफार्मर की प्रतिशतता को बनाए रखेगा तथा खराब हुए कुल वितरण ट्रांसफार्मर 95% से अन्यून हो ।

1.4 **अनुसूचित कटौती की अवधि :** लोड शेडिंग से भिन्न, अनुसूचित कटौती के कारण ऊर्जा प्रदाय में रूकावट को अग्रिम में अधिसूचित किया जाना होगा तथा दिन में यह बारह घंटे से अधिक नहीं होगी और ऐसी प्रत्येक दशा में, लाइसेंसधारक को यह सुनिश्चित करना होगा

कि 6 बजे सायं तक प्रदाय बहाल कर दिया जाएगा । लाइसेंसधारक कम से कम 95% मामलों में इन दोनों निष्पादन मानकों को प्राप्त करेगा ।

1.5 **विश्वसनीयता संकेत :** निम्नलिखित विश्वसनीयता, कटौती संकेतों को इंस्टीट्यूट ऑफ इलैक्ट्रिकल एंड इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स (आईईईई) द्वारा वर्ष 1998 के मानक 1366 द्वारा विहित किया गया है । लाइसेंसधारक को 2005-06 से आगे इन संकेतों के मूल्यों की संगणना तथा रिपोर्ट तैयार करनी होगी :

(अ) प्रणाली औसत बाधा आवृत्ति संकेतक (एसएआईएफआई) : लाइसेंसधारक नीचे विनिर्दिष्ट फार्मूले और पद्धति के अनुसार मूल्य की संगणना करेगा ।

(क) प्रणाली औसत बाधा अवधि संकेतक (एसएआईडीआई) : लाइसेंसधारक नीचे विनिर्दिष्ट फार्मूले और पद्धति के अनुसार मूल्य की संगणना करेगा ।

(ख) क्षणिक औसत बाधा आवृत्ति संकेतक(एमएआईएफाआई) : लाइसेंसधारक नीचे विनिर्दिष्ट फार्मूले और पद्धति के अनुसार मूल्य की संगणना करेगा ।

वितरण प्रणाली विश्वसनीयता संकेतक की संगणना की पद्धति : संकेतक की गणना प्रत्येक मास प्रदाय क्षेत्र में सभी 11 केवी./33 केवी. फीडरों के लिए कुल स्टेकिंग के रूप में डिस्कॉम के लिए की जाएगी, जिसमें पहले से प्रभावशाली कृषि भार सम्मिलित नहीं है तथा तब प्रत्येक फीडर के लिए उस समा में सभी बाधाओं की संख्या और अवधि की गणना होगी । संकेतक को निम्नलिखित सूत्रों का उपयोग करते हुए संगणित किया जाएगा :-

1. **एमएआईएफआई** = $\frac{\sum_{i=1}^{n} (\text{ए } i \cdot \text{एन } i)}{\text{एन } t}$ जहां,

Ai = मास के लिए i n फीडर पर निरंतर बाधाओं की कुल संख्या (प्रत्येक पांच मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए)

एन i = प्रत्येक बाधा के कारण प्रभावित i फीडर का संयोजित भार

एन t = वितरण लाइसेंसधारक के प्रदाय क्षेत्र में 11 केवी. पर कुल संयोजित भार

एन = प्रदाय के लाइसेंसशुदा क्षेत्र में कुल 11 केवी. फीडरों की संख्या (प्रभावी तौर पर कृषि क्षेत्र भार वाले फीडरों को छोड़कर)

2. एमएआईडीआई = $$\frac{\sum_{i=1}^{\text{एन}} (\text{बी } i \cdot \text{ एन } i)}{\text{एन } 1}$$ जहां,

बी i = मास के लिए i फीडर पर सभी कुल निरंतर बाधाओं की कुल अवधि

एन i = प्रत्येक बाधा के कारण प्रभावित i फीडर का संयोजित भार

एन t = वितरण लाइसेंसधारक के प्रदाय क्षेत्र में 11 केवी. पर कुल संयोजित भार

एन = प्रदाय के लाइसेंसशुदा क्षेत्र में कुल 11 केवी. फीडरों की संख्या (प्रभावी तौर पर कृषि क्षेत्र भार वाले फीडरों को छोड़कर)

3. एमएआईएफआई = $$\frac{\sum_{i=1}^{\text{एन}} (\text{सी } i \cdot \text{ एन } i)}{\text{एन } t}$$ जहां,

सी i = प्रत्येक मास के लिए i फीडर पर क्षणिक बाधाओं की कुल संख्या (हर कोई पांच मिनट से कम या उसके समान हो)

एन = प्रत्येक बाधा के कारण प्रभावित i फीडर वन का संयोजित भार

एन t = वितरण लाइसेंसधारक के प्रदाय क्षेत्र में 11 केवी. पर कुल संयोजित भार

एन = प्रदाय के लाइसेंसशुदा क्षेत्र में कुल 11 केवी. फीडरों की संख्या (प्रभावी तौर पर कृषि क्षेत्र भार वाले फीडरों को छोड़कर)

टिप्पण : फीडरों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बांटा जाना चाहिए और संकेतकों का मूल्य प्रत्येक माह के लिए पृथक् रूप से रिपोर्ट किया जाएगा ।

4. **लाइसेंसधारक एमआरआर जमा करते समय वार्षिक रूप से इन संकेतकों के लक्ष्य स्तर का प्रस्ताव करेंगे :** तदनुसार आयोग इन संकेतकों को अधिसूचित करेगा ।

1.6 **आवृत्ति फेरकार :** लाइसेंसधारक समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता के अनुसार प्रदाय फ्रिक्वेंसी को बनाए रखने के प्रयास के लिए राज्य पारेषण उपयोगिता, राज्य भार प्रेषण केंद्र, वितरण लाइसेंसधारकों तथा अन्य पारेषण लाइसेंसधारकों जैसे अन्य नेटवर्क संघटकों के साथ समन्वय करेगा । लाइसेंसधारक प्रत्येक दिन प्राप्त/संदेय अननुसूचित विनियम (यूआई) रकम को मासिक आधार पर प्रस्तुत करेगा यदि यूआई स्कीम राज्य में लागू कर दी गई हों ।

1.7 **वोल्टेज में असंतुलन :** लाइसेंसधारक यह सुनिश्चित करेगा कि वोल्टेज असंतुलन प्रदाय के शुरू होने के स्थान से 3% से अधिक नहीं है । वोल्टेज असंतुलन की संगणना आयोग द्वारा पृथक् रूप से विनिर्दिष्ट की जाने वाली रीति या वितरण संहिता या वितरण प्रचालन मानक के भाग रूप की जाएगी ।

1.8 **बिलिंग संबंधी गलतियां :** लाइसेंसधारक जारी किए गए क्रम संख्या, जो 0.2% से अधिक नहीं होंगे, के लिए अगली शिकायतों का उपांतरण करने की अपेक्षा करने वाले बलों की प्रतिशतता को बनाए रखेगा ।

1.9 **खराब मीटर :** लाइसेंसधारक खराब मीटरों की प्रतिशतता को बनाए रखेगा और उनकी क्रम संख्या कार्य कर रहे कुल मीटरों से 3% से अधिक नहीं होगी ।

1.10 **विद्युत दुर्घटनाओं में कमी करना :**

1.11 विद्युत दुर्घटनाओं में एक तय समय के भीतर आने वाली कमी या बढ़ोतरी भी लाइसेंसधारक के अनुपालन का संकेतक होगा ।

1.11 संपूर्ण अनुपालन मानकों का सारांश निम्नलिखित रूप में है :-

कार्य क्षेत्र	अनुपालन का संपूर्ण मानक
सामान्य फ्यूज-ऑफ कालें	प्राप्त होने वाली कम से कम 99% कालों को शहरों, ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में विहित समय सीमा के

	भीतर दूर कर दिया जाना चाहिए ।
लाइन ब्रेक डाउन	कम से कम 95% मामलों का समाधान दोनों शहरों तथा शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के भीतर किया जाना चाहिए ।
वितरण ट्रांसफार्मर फेल होना	डीटीआर के कम से कम 95% विहित समय सीमा के भीतर बदल दिए जाएं ।

अनुसूचित कटौती की अवधि	
एक बारे में अधिकतम अवधि प्रदाय की बहाली सायं 6.00 बजे तक की जाए	कम से कम 95% मामलों का निवारण तय समय सीमा के भीतर किया जाए
स्ट्रीट लाइट में खराबी	
लाइन की खराबी को दूर करना	कम से कम 90% मामलों का निवारण तय समय सीमा के भीतर किया जाए
फ्यूज/खराब हो चुके यूनिट को बदलना	
निरंतरता संकेत	
एसएआईएफआई	लाइसेंसधारक द्वारा प्रस्तावित लक्ष्यों के आधार पर आयोग द्वारा अधिकथित किए जाने हैं ।
एसएआईडीआई	
एमएआईएफआई	
आवृत्ति फेरफार	आईईजीसी के अनुसार रेंज के भीतर प्रदाय आवृत्ति को बनाए रखना ।
वोल्टेज अर्सेतुलन	प्रदाय शुरू होने के स्थान से अधिकतम 3%
बिलिंग में गलती का प्रतिशत	0.2% से अधिक नहीं
खराब मीटरों का प्रतिशत	3% से अधिक नहीं

अनुसूची - 3
गारंटीकृत अनुपालन मानक और चूक की दशा में उपभोक्ताओं को प्रतिकर

सेवा क्षेत्र	मानक	मानक का उल्लंघन होने की दशा में उपभोक्ता को संदेय प्रतिकर (चूक पर उपभोक्ता द्वारा शिकायत किए जाने के समय से विचार किया जाएगा)
1. नए कनेक्शन		
कनेक्शनों को जारी करना	आवेदन की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर (विहित प्रभारों के साथ)	चूक के प्रत्येक दिन के लिए उपभोक्ता द्वारा जमा मांग प्रभारों के 1000 रुपए, या उसके भाग पर 10 रुपए
2. बिलिंग		
पहला बिल	चार बिलिंग चक्रण के भीतर	बिल रकम का 5%
अनंतिम बिलिंग	दो बिलिंग चक्रण से अधिक नहीं	अधीन रहते हुए । बिल रकम का 10% 1.6.2007 के बाद 250 रुपए के अधीन रहते हुए
3. प्रदाय जारी करने के लिए अपेक्षित नेटवर्क विस्तार/वृद्धि		
विद्युतीकरण क्षेत्र (जहां पांच पोलों तक विस्तार अपेक्षित है)	पंद्रह दिन	उपभोक्ता द्वारा चूक के प्रत्येक दिन के लिए जमा मांग प्रभारों के 1000 रुपए (या उसके भाग पर) पर 10 रुपए
विद्युतीकरण क्षेत्र (जहां लाइनों का विस्तार या वितरण ट्रांसफार्मर की वृद्धि अपेक्षित है)	साठ दिन	

विद्युतीकरण क्षेत्र (जहां नया वितरण ट्रांसफार्मर अपेक्षित है)	एक सौ बीस दिन	
विद्युतीकरण क्षेत्र (जहां नया विद्यमान 11 केवी. नेटवर्क को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है)	एक सौ अस्सी दिन	चूक के प्रत्येक दिन के लिए उपभोक्ता द्वारा जमा मांग प्रभारों के 1000 रुपए पर (या उसके भाग पर) 10 रुपए
विद्युतीकरण क्षेत्र (जहां विद्यमान 66/33 केवी. ग्रिड उप-केंद्र में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है)	दो सौ चालीस दिन	चूक के प्रत्येक दिन के लिए उपभोक्ता द्वारा जमा मांग प्रभारों के 1000 रुपए पर (या उसके भाग पर) 10 रुपए
गैर-विद्युतीकरण क्षेत्र (जहां नजदीकी विद्यमान नेटवर्क से वृद्धि की जानी संभव है)	एक सौ बीस दिन	चूक के प्रति सप्ताह विकासकर्ता द्वारा जमा रकम का 10%
गैर-विद्युतीकरण क्षेत्र/हरित क्षेत्र परियोजना (जहां नया नेटवर्क बिछाया जाना है या ग्रिड स्टेशन को स्थापित किए जाने की आवश्यकता है)	बारह मास	चूक के प्रति सप्ताह विकासकर्ता द्वारा जमा रकम का 10%
4. उपभोक्ता के कनेक्शनों का अंतरण और सेवाओं का संपरिवर्तन		
संपत्ति के स्वामित्व/ अधिभोग में परिवर्तन के कारण अंतरण	आवेदन की स्वीकृति के दो बिलिंग चक्रण के भीतर	चूक के प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपए
विधिक वारिस का अंतरण	आवेदन की स्वीकृति के दो बिलिंग चक्रण के भीतर	
भार में कटौती	आवेदन की स्वीकृति के दस के भीतर अगले बिलिंग चक्रण से प्रभावी होगी	

प्रवर्ग में परिवर्तन	आवेदन की स्वीकृति के दस दिन के भीतर निरीक्षण फीस जमा करने की तारीख से प्रभावी होगी	चूक के प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपए
5. मीटर संबंधी शिकायतें		
मीटर का परीक्षण	शिकायत की प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर	चूक के प्रत्येक दिन के लिए 25 रुपए
जले हुए मीटर को बदलना	जले हुए मीटर से बाहर प्रदाय के छह घंटे बहाल करने के भीतर । मीटर तीन दिन के भीतर बदला जाना है ।	चूक के प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपए
खराब मीटर को बदलना	मीटर खराब घोषित करने के पंद्रह दिन के भीतर	चूक के प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपए
6. ऊर्जा प्रदाय बंद हो जाने		
फ्यूज उड़ना या एमसीबी ट्रिप हो जाना	शहरी क्षेत्रों के लिए तीन घंटे के भीतर - ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आठ घंटे के भीतर	चूक के प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपए
सेवा लाइन का टूटना खंबे से सेवा लाइन का उखड़ना	शहरी क्षेत्रों के लिए छह घंटे के भीतर -- ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बारह घंटे के भीतर	
वितरण लाइन/प्रणाली में खराबी	जब कभी संभव हो, वैकल्पिक स्रोत से चार घंटों के भीतर अस्थायी प्रदाय बहाल किया जाना है खराबी को दूर करना और तत्पश्चात् बारह घंटों के भीतर सामान्य ऊर्जा प्रदाय को बहाल करना	चूक के प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपए
वितरण ट्रांसफार्मर में	जब भी संभव हो, आठ घंटों के	चूक के प्रत्येक दिन के लिए 100

खराबी/जलना	भीतर मोबाइल ट्रांसफार्मरों या अन्य बैक अप स्रोतों के माध्यम से अस्थायी प्रदाय बहाल करना अड़तालीस घंटों के भीतर खराब ट्रांसफार्मरों को बदलना	रुपए
एचटी मेन में खराबी	जब संभव हो, चार घंटो के भीतर अस्थायी ऊर्जा प्रदाय बहाल करना	चूक के प्रत्येक दिन के लिए 200 रुपए
ग्रिड (33 केवी. या 66 केवी.) सब-स्टेशन में समस्या	जब संभव हो, छह घंटों के भीतर वैकल्पिक स्रोत से प्रदाय बहाल करना वैकल्पिक स्रोत के अत्यधिक भार से बचने के लिए रोस्टर लोड शेडिंग की जा सकेगी अड़तालीस घंटों के भीतर मरम्मत तथा प्रदाय की बहाली	चूक के प्रत्येक दिन के लिए 200 रुपए
ऊर्जा ट्रांसफार्मर में खराबी	जब संभव हो, छह घंटे के भीतर वैकल्पिक स्रोत से प्रदाय की बहाली वैकल्पिक स्रोत के अधिक भार से बचने के लिए रोस्टर लोड शेडिंग की जा सकेगी बहत्तर घंटों के भीतर आयोग को सुधार कार्रवाई योजना के बारे में सूचित किया जाना होगा । बीस दिनों के भीतर सुधार को पूरा किया जाना है ।	चूक के प्रत्येक दिन के लिए 500 रुपए
स्ट्रीट लाइट में खराबी	बहत्तर घंटों के भीतर सुधार	चूक के प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपए

7. वोल्टेज उतार-चढ़ाव		
स्थानीय समसया	चार घंटों के भीतर	चूक के प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपए
ट्रांसफार्मर में छेद	तीन दिन के भीतर	
वितरण लाइन/ ट्रांसफार्मर/ कैपिस्टरों की मरम्मत	तीस दिन के भीतर	चूक के प्रत्येक दिन के लिए 100 रुपए
एचटी/एलटी प्रणाली का संस्थापन और उन्नयन	नब्बे दिन के भीतर	

टिप्पण : क्रम सं. 1 से क्रम सं. 5 तक के उपबंध 1.6.2007 से प्रवृत्त होंगे । क्रम सं. 6 और 7 के उपबंध छह मास के तत्पश्चात् 1.12.2007 से प्रवृत्त होंगे ।

प्रतिकर रकम के संदाय की रीति

1. लाइसेंसधारक विद्युत प्रदाय बंद होने, ऊर्जा प्रदाय की क्वालिटी, मीटरों, बिलों आदि के बारे में केंद्रीयकृत शिकायत केंद्र या शिकायत केंद्र, वाणिज्यिक प्रबंधक पर उपभोक्ता की प्रत्येक शिकायत को रजिस्टर करेगा तथा उपभोक्ता को शिकायत संख्या के बारे में बताएगा ।

2. लाइसेंसधारक ठीक कार्य करने के लिए गारंटीकृत अनुपालन मानक तथा मानकों के अतिलंघन के बारे में किसी विवाद से बचने के लिए सभी उपभोक्ताओं का उपभोक्ता - वार अभिलेख बनाए रखेगा ।

3. प्रतिकर के सभी संदाय का समायोजन विद्युत प्रदाय के वर्तमान और/या भावी बिलों में किया जाएगा किंतु ऐसा गारंटीकृत मानक के अतिलंघन की तारीख से नब्बे दिन से अन्यून किया जाएगा ।

   तथापि, यदि लाइसेंसधारक उपरोक्त पैरा 3 में यथा अधिकथित प्रतिकर की रकम का संदाय करने में असफल रहता है तो व्यथित उपभोक्ता ऐसा प्रतिकर प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण के लिए अपने-अपने उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच में जा सकता है । ऐसी दशा में, प्रत्येक मामले के आधार पर सद्भावपूर्वक विनियमों को कार्यान्वित न करने के लिए लाइसेंसधारक पर शास्ति उद्गृहीत की जा सकेगी ।

उपाबंध - 1

कंपनी का नाम : मैसर्स ----------

कनेक्शन के लिए आवेदन

आवेदक संख्या								

विद्युत उपयोग का प्रर्वग	घरेलू	आवासीय	होस्टल	शैक्षणिक संस्थान	धार्मिक	पूर्त	अन्य
	अघरेलू	दुकान	बैंक	अस्पताल	आडिटोरियम	होटल	अन्य
	सार्वजनिक लाइट	दिल्ली नगर निगम	पीडब्ल्यूडी	दिल्ली विकास प्राधिकरण	सीजीएचएस	सीपी डब्ल्यूडी	अन्य
	औद्योगिक		कृषि		रेल ट्रेक्शन डीएमआरसी		
	नाम में परिवर्तन			अस्थायी कनेक्शन			

1.	आवेदक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)		
2क.	वह पता जिस पर प्रदाय अपेक्षित है (बिल का पता)	मकान	
		स्ट्रीट	
		कॉलोनी/क्षेत्र	
		पिन	
	टेलीफोन सं. (यदि कोई है)		मोबाइल
	ई- मेल (यदि कोई है)		
2ख.	कार्यालय का पता		
			पिन
2ग.	स्थायी पता		
			पिन
3.	कृपया यह उपदर्शित करें कि क्या आप स्वयं भारतीय मानक ब्यूरो के अनुमोदित मीटर लगाना चाहते हैं	हां/नहीं	

3.	नजदीकी पहचान पोल सं./फीडर पिलर सं./नजदीकी मकान सं. और नया के.सं. (यदि उपलब्ध हो)			
4.	आवेदित भार (किलोवाट में)			
5.	संलग्न दस्तावेजों की सूची	1	आवेदक का पासपोर्ट आकार का फोटो	
		2	आंतरिक वायरिंग के लिए विद्युत ठेकेदार का प्रमाणपत्र (विहित प्ररूप में)	
		3	अग्निशामक/लिफ्ट सुरक्षा प्रमाणपत्र (जहां लागू हो)	
		4	पते का सबूत निम्नलिखित में से कोई एक क. निर्वाचन पहचान-पत्र ख. पासपोर्ट ग. ड्राइविंग लाइसेंस घ. राशन कार्ड ङ. किसी सरकारी अभिकरण द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र	
		5	स्वामित्व/अधिभोग का सबूत (निम्नलिखित में से कोई एक) क. जीपीए ख. आधिपत्य पत्र ग. भू-स्वामी के स्वामित्व के सबूत के साथ किराया प्राप्ति घ. पट्टा करार	
		6	भू-स्वामी के स्वामित्व के सबूत के साथ भू-स्वामी से अनापत्ति पत्र	
		7	अन्य दस्तावेज : चयनित उपभोक्ता प्रवर्ग के लिए लागू क. औद्योगिक वैद्य औद्योगिक लाइसेंस/ग्रामीण क्षेत्र की दशा में लाल डोरा प्रमाणपत्र	
			ख. कृषि उपभोक्ता i. खंड विकास अधिकारी से निवास-प्रमाणपत्र ii. ट्यूबवैल के लिए विकास आयुक्त/ खंड विकास अधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र	

			ग. खोखों तथा अस्थायी संरचना के लिए अघरेलू i. तेह बाजारी प्राप्ति संख्या ii. दिल्ली नगर निगम/दिल्ली विकास प्राधिकरण/भू-स्वामी अभिकरण से खोखा/अस्थायी संरचना के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र	
		तारीख :		**आवेदक के हस्ताक्षर**

दस्तावेजों की सूची

संलग्न दस्तावेजों की सूची	1	आवेदक का पासपोर्ट आकार का फोटो	
	2	आंतरिक वायरिंग के लिए विद्युत ठेकेदार का प्रमाणपत्र (विहित प्ररूप में)	
	3	अग्निशामक/लिफ्ट सुरक्षा प्रमाणपत्र (जहां लागू हो)	
	4	पते का सबूत निम्नलिखित में से कोई एक क. निर्वाचन पहचान-पत्र ख. पासपोर्ट ग. ड्राइविंग लाइसेंस घ. राशन कार्ड ङ. किसी सरकारी अभिकरण द्वारा जारी फोटो पहचानपत्र	
	5	स्वामित्व/अधिभोग का सबूत (निम्नलिखित में से कोई एक) क. जीपीए ख. आधिपत्य पत्र ग. भू-स्वामी के स्वामित्व के सबूत के साथ किराया प्राप्ति घ. पट्टा करार	
	6.	भू-स्वामी के स्वामित्व के सबूत के साथ भू-स्वामी से अनापत्ति पत्र	
	7	अन्य दस्तावेज : चयनित उपभोक्ता प्रवर्ग के लिए लागू क. औद्योगिक वैध औद्योगिक लाइसेंस/ग्रामीण क्षेत्र की दशा में लाल डोरा प्रमाणपत्र	

		ख. कृषि उपभोक्ता i. खंड विकास अधिकारी से निवास- प्रमाणपत्र ii. ट्यूबवैल के लिए विकास आयुक्त/ खंड विकास अधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र ग. खोखों तथा अस्थायी संरचना के लिए अघरेलू i. तेज बाजारी प्राप्ति संख्या ii. दिल्ली नगर निगम/दिल्ली विकास प्राधिकरण/भू-स्वामी अभिकरण से खोखा/अस्थायी संरचना के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र	
	तारीख :		**आवेदक के हस्ताक्षर**

उपाबंध - 1 के साथ संलग्नक

घोषणा/वचनबंध

यह घोषणा/वचनबद्ध निम्नलिखित द्वारा नई दिल्ली में ..... दिन..... मास..... वर्ष को निष्पादित किया गया :

श्री/सुश्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....आयु..... वर्ष..... निवासी ..... द्वारा जब तक कि विषय में अन्यथा उपबंधित न हो, जिसमें उनके वारिस, विधिक वारिस, पदोत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं, तथा आवेदक निम्नानुसार शपथपत्र और/घोषणा करता है ।

कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अधीन सम्यक् रूप से समामेलित कंपनी (आवेदक का नाम) और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ..... पर है (जिसे इसे इसमें पश्चात् आवेदक कहा गया है) जब तक कि विषय में अन्यथा उपबंधित के सिवाय जिसके अंतर्गत उनके विधिक प्रतिनिधि, और समुदेशिती, उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से निम्नानुसार शपथपत्र और घोषणा करते हैं ।

एकमात्र स्वत्वाधारी/भागीदारी फर्म जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय .... पर है, जिसे इसमें इसके पश्चात् आवेदक कहा गया है, जब तक कि विषय में अन्यथा उपबंधित न हो, श्री ..... माध्यम से, जो भागीदार या प्राधिकृत प्रतिनिधि है,

निम्नानुसार शपथपत्र और घोषणा करते हैं :-

कि आवेदक विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों, सभी लागू विधियों, समय-समय पर यथा लागू प्रदाय शर्तों/टैरिफ आदेशों और किन्हीं अन्य नियमों या विनियमों, जो दि. वि. वि. आ. अधिप्रचित किए जाएं, का पालन करेगा ।

* जो लागू न हो उसे काट दें

निम्नलिखित साक्षी को उपस्थिति में हस्ताक्षर तथा परिदान किया गया :

1.

2.

(आवेदक के हस्ताक्षर)

(व्यवसाय-प्रबंधक (वि) के हस्ताक्षर)

निरीक्षण रिपोर्ट

प्रेषक

मैसर्स (वायरिंग ठेकेदार)

संदर्भ सं. .....

मैसर्स

.....

..... (लाइसेंसधारक का नाम)

महोदय,

मैं आपको सूचित करता हूं कि ..... द्वारा अधिभागित सड़क/स्ट्रीट..... पर स्थित सं. ..... वाले परिसर पर विद्युत संस्थापन हमारे द्वारा पूरा कर लिए गए है/हैं तथा आपके इंजीनियर द्वारा परीक्षण के लिए तथा मुख्य लाइन से जोड़ने के लिए तैयार है । संस्थापन की ..... को हमारे द्वारा परीक्षण किया गया था तथा संस्थापन प्रतिरोध ..... मेगा ओएचएमएस था । संस्थापन में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

वितरण पर बांये से दाहिने सर्किटों की सं.	कंडक्टर का आकार	लैम्प		पंखे		प्लग (5 एएमपी)		प्लग (15 एएमपी)		अन्य घरेलू उपकरण		कुल किवा.
		नं.	वाट	नं.	वाट	नं.	वाट	नं.	वाट	नं.	वाट	
सर्किट नं 1												
सर्किट नं 2												
सर्किट नं 3												
सर्किट नं 4												
सर्किट नं 5												
सर्किट नं 6												
											कुल	

1. लाइसेंसशुदा वायरिंग ठेकेदार (नाम)	लाइसेंस सं.										तारीख	दि	दि	मा	मा	व	व	व	व
पता																			
शहर											पिन								

आवेदक का नाम								पुत्र/पुत्री												
वह पता जहां प्रदाय अपेक्षित है																				
शहर															पिन					
पता जहां बिल भेजा जाना है																				
शहर															पिन					

वायरिंग ठेकेदार के हस्ताक्षर **आवेदक के हस्ताक्षर**

तारीख : ....

उपाबंध - 2

कंपनी का नाम : मैसर्स ----------

अस्थायी कनेक्शन के लिए आवेदन

आवेदक संख्या								

1.	आवेदक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) (स्वामी/अन्य)		
2क.	पता	मकान	
		स्ट्रीट	
		कॉलोनी/क्षेत्र	
		पिन	
	टेलीफोन सं. (यदि कोई है)		मोबाइल
	ई- मेल (यदि कोई है)		
2ब.	कार्यालय का पता		
			पिन
2ग.	स्थायी पता		
			पिन
3.	आवेदित भार (किलोवाट में)		
4.	अस्थायी कनेक्शन का प्रयोजन	1. विवाह/समारोह 2. संनिर्माण 3. थ्रेशर 4. अन्य	
5.	कनेक्शन की अवधि	1. 16 दिन से कम के लिए 2. 16 दिन तथा 16 दिन के बाद 3 मास तक	
6.	अस्थायी कनेक्शन अवधि	तारीख मास वर्ष से तक	
		आवेदक के हस्ताक्षर	

उपाबंध - 3

कंपनी का नाम : मैसर्स ----------

रजिस्ट्रीकृत उपभोक्ता के परिवर्तन के लिए आवेदन

आवेदक संख्या								

क.	कनेक्शन विशिष्टियां और विद्यमान कनेक्शन												
1.	विद्यमान उपभोक्ता सं.												
2क.	वह पता जहां प्रदाय किया जाना है (बिलिंग का पता)	मकान											
		स्ट्रीट											
		कॉलोनी/क्षेत्र											
		पिन											
3.	विद्यमान रजिस्ट्रीकृत उपभोक्ता का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)												
4.	स्वामी जिसके नाम नया कनेक्शन परिवर्तित कियाजाना है												
	उस व्यक्ति का नाम जिसके नाम कनेक्शन बदला जाना है (स्पष्ट अक्षरों में)												
5.	संलग्न किए जाने ले दस्तावेजों की सूची	1. सम्यक् रूप से संदत्त नवीनतम बिल की प्रति 2. स्वामी के स्वामित्व का सबूत 3. प्रतिभूति निक्षेप के अंतरण के लिए पूर्व स्वामी का अनापत्ति प्रमाणपत्र											
		आवेदक के हस्ताक्षर											

उपाबंध - 4

कंपनी का नाम : मैसर्स ----------

विधि वारिस के स्वामित्व के अंतरण के लिए आवेदन

आवेदक संख्या								

	घरेलू	आवासीय	होस्टल	शैक्षणिक संस्थान	धार्मिक	पूर्त	अन्य
विद्युत उपयोग का प्रर्वग	अघरेलू	दुकान	बैंक	अस्पताल	आडिटोरियम	होटल	अन्य
	औद्योगिक		कृषि		रेलवे ट्रेक्शन डीएमआरसी		

क.	**पूर्व स्वामी के कनेक्शन की विशिष्टियां**		
1.	विद्यमान उपभोक्ता सं.		
2क.	वह पता जहां प्रदाय किया जाना है (बिलिंग का पता)	मकान	
		स्ट्रीट	
		कॉलोनी/क्षेत्र	
		पिन	
3.	मूल रजिस्ट्रीकृत उपभोक्ता का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)		
	टेलीफोन सं.		मोबाइल
	ई- मेल (यदि कोई है)		
ख.	**नए स्वामी की विशिष्टियां**		
3.	नाम (स्पष्ट अक्षरों में)		
	टेलीफोन सं.		मोबाइल
	ई- मेल (यदि कोई है)		
4.	दस्तावेजों की सूची	1. सम्यक् रूप से संदत्त नवीनतम बिलों की प्रति 2. परिवर्तन पत्र/विधिक वारिस प्रमाणपत्र की प्रति 3. यदि संशोधन किसी एक विधिक वारिस के नाम में परिवर्तित किया जाना है ।	
		आवेदक के हस्ताक्षर	

उपाबंध - 5

कंपनी का नाम : मैसर्स ----------

भार में वृद्धि/कटौती के लिए आवेदन

आवेदक संख्या								

	घरेलू	आवासीय	होस्टल	शैक्षणिक संस्थान	धार्मिक	पूर्त	अन्य
विद्युत उपयोग का प्रवर्ग	अघरेलू	दुकान	बैंक	अस्पताल	आडिटोरियम	होटल	अन्य
	औद्योगिक		कृषि		रेलवे ट्रेक्शन डीएमआरसी		
भार वृद्धि				भार कटौती			
विद्यमान भार ..... किवा.				अतिरिक्त भार अपेक्षित ..... किवा. भार कटौती अपेक्षित ..... किवा.		वृद्धि/कमी के पश्चात् कुल भार ..... किवा.	

1.	**विद्यमान उपभोक्ता सं.**		
2.	आवेदक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) स्वामी/अन्य		
3.	पता जिस पर प्रदाय किया जाना है (बिलिंग का पता)	मकान	
		स्ट्रीट	
		कॉलोनी/क्षेत्र	
		पिन	
	टेलीफोन सं.		मोबाइल
	ई- मेल (यदि कोई है)		
4.	दस्तावेजों की सूची	1. अतिरिक्त वायरिंग करने की संस्थापन परीक्षण रिपोर्ट 2. कोई अन्य दस्तावेज (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	
		आवेदक के हस्ताक्षर	

उपाबंध - 6

कंपनी का नाम : मैसर्स ----------

प्रवर्ग में परिवर्तन करने के लिए आवेदन

आवेदक संख्या								

विद्युत उपयोग का प्रवर्ग	घरेलू	- से परिवर्तित किए जाने के लिए उपयोग का प्रवर्ग	घरेलू
	गैर-घरेलू		गैर-घरेलू
	औद्योगिग-एसआईपी औद्योगिक-एलआईपी		औद्योगिग-एसआईपी औद्योगिक-एलआईपी

1.	आवेदक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)														
2.	पता	मकान													
		स्ट्रीट													
		कॉलोनी/क्षेत्र													
		पिन													
	टेलीफोन सं.										मोबाइल				
	ई- मेल (यदि कोई है)														
3.	(क) विद्यमान उपभोक्ता सं.														
	(ख) विद्युत बिल के अनुसार विद्यमान भार (केडब्ल्यू/एचपी)														
4.	वांछित प्रवर्ग में परिवर्तन														
5.	संलग्न दस्तावेजों की सूची	**1. संस्थापन निरीक्षण रिपोर्ट** **2.** **3.** **4.**													

		आवेदक के हस्ताक्षर

उपाबंध -7

मीटर परीक्षण रिपोर्ट

1. उपभोक्ता विशिष्टियां

उपभोक्ता का नाम .....

पता .....

के. सं. .....

स्वीकृत भार .....

2. मीटर की विशिष्टियां

मीटर सं. ..... आकार .....

डायल सं. .....

आकार .....

प्रकार .....सी.टी. अनुपात.....

ई/एल लेड प्रास्थिति चक्कर लेड प्रास्थिति

सी.टी. अनुपात .....

3. चक्कर/स्पंद परीक्षण

स्थिर मीटर ..... भार

भार .....

परीक्षण से पूर्व रीडिंग ..... परीक्षण के पश्चात् रीडिंग

परीक्षण के पश्चात् रीडिंग .....

चक्कर/स्पंद परीक्षण की संख्या ..... परीक्षण के लिए किया गया वास्तविक समय

.....

मीटर द्वारा अभिलिखित ऊर्जा .....ऐक्यूचैक द्वारा अभिलिखित विद्युत

एक्यूचैक का क्रम सं. .... तक कैलिब्रेशन विधिमान्यता

त्रुटि .....

परिणाम

उपभोक्ता मीटर ..... % से कम/अधिक

खपत अभिलिखित करता है, बदले जाने की आवश्यकता है/परिणाम सीमा के भीतर हैं ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि परीक्षण आयोग द्वारा विहित प्रक्रिया कि अनुसार किया गया है । ..... किलोवाट के बाहरी भार का उपयोग 1 केडब्ल्यूएच हेतु परीक्षण के लिए किया गया था तथा कुल समय ..... मिनट लिया गया । परीक्षण स्पंद/चक्कर कीट संगणना करने के लिए आपटिकल स्कैनर का उपयोग किया गया था । परिसर में प्रवेश करने से पूर्व उपभोक्ता को पहचान पत्र दिखाया था और उसे विजिटिंग कार्ड सौंपा गया था ।

उपभोक्ता के हस्ताक्षर कंपनी के पदाधिकारी के हस्ताक्षर

टिप्पण : विभिन्न बाहरी भार के लिए परीक्षण हेतु लिया गया अधिकतम समय निम्नानुसार है :

किलोवाट में भार	*मिनट में अधिकतम समय*
1 किलोवाट	*60*
2 किलोवाट	*30*
4 किलोवाट	*15*
5 किलोवाट	*12*

उपाबंध - 8

कंपनी का नाम : मैसर्स ----------

स्व-निर्धारित बिल के लिए आवेदन

आवेदक संख्या								

1.	पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) (स्वामी/अन्य)														
2.	पता	मकान													
		स्ट्रीट													
		कॉलोनी/क्षेत्र													
		पिन													
3.	के. सं.														
														तारीख	
4.	रीडिंग पर आधारित		1. पूर्व रीडिंग												
			2.वर्तमान रीडिंग												
			3. कुल खपत												
			रकम												
5.	पिछले 6 मास की औसत खपत पर आधारित		रकम :												
6.	संदाय की पद्धति		चेक डी.डी./पी.ओ. नकद												

	तारीख : आवेदक के हस्ताक्षर

उपाबंध - 9

कंपनी का नाम : मैसर्स ----------

अग्रिम संदाय के लिए आवेदन

आवेदक संख्या													

1.	आवेदक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) (स्वामी/अन्य)													
2.	पता	मकान												
		स्ट्रीट												
		कॉलोनी/क्षेत्र												
		पिन												
3.	के. सं.													
												पिन		
4क.	किया जा रहा अग्रिम संदाय													
4.ख	पूर्व देय (यदि कोई हो)													
4ग.	कुल अग्रिम संदाय	चेक				ब्यौरे								
5.	संदाय की पद्धति	डीडी/पीओ												
		नकद												

	तारीख : आवेदक के हस्ताक्षर

उपाबंध - 10

कंपनी का नाम : मैसर्स ----------------------

कनेक्शन हटाने के लिए आवेदन

आवेदक संख्या								

	विद्यमान स्वामी की विशिष्टियां												
1.	विद्यमान उपभोक्ता सं. (के.सं.)												
2.	नाम (स्पष्ट अक्षरों में)												
3.	पता जहां कनेक्शन हटाए जाने की अपेक्षा की गई है	मकान											
		स्ट्रीट											
		कॉलोनी/क्षेत्र											
		पिन											
	टेलीफोन सं.							मोबाइल					

4.	वह तारीख जिसको कनेक्शन हटाया जाना है	
5.	दस्तावेजों की सूची	1. सम्यक् रूप से संदत्त नवीनतम बिल की प्रति
	तारीख :	**आवेदक के हस्ताक्षर**

उपाबंध -11

निरीक्षण रिपोर्ट

निरीक्षण की तारीख											क्रम सं.									
उपभोक्ता का नाम											जिला									
											जोन									
उपयोक्ता का नाम											के.सं.									
पता											बही सं.									
											भार के ब्योरे									
											स्वीकृत भार									
											बिलिंग भार									
											कुल									
											संयोजित भार प्रवर्ग/ टैरिफ कोड									
अनियमितता का प्रकार											निरीक्षण अभिकरण		ई एन एप		जेन					
दुरुपयोग/अप्राधिकृत उपयोग											अधिभार									

सीधे चोरी	डीएई	एल पी फ

...

मीटर सं. (रंग किया हुआ).....	सीटी नं. .....बॉक्स..... सील	.... पाया गया
मीटर सं. (डायल).....	मीटर सील ..... बॉक्स	.... पाया गया
रीडिंग (के.डब्ल्यू.एच).....	मीटर सं. टर्मिनल सील सं.	.... **..... पाया गया**
रीडिंग	आधा सील सं.	.... **..... पाया गया**
रीडिंग (केवीएआरएच).....	कार्य कर रहा मीटर	
एमडीआई	तार की प्रास्थिति	
ऊर्जा कारक		
आकार		
प्रकार		
सीटी अनुपात		

..... शंट कैपिस्टर के शंट कैपिस्टर .....सं. ऊर्जा कारक को बनाए रखने के लिए कार्य करने की स्थिति में पाया गया, कोई भी शंट कैपिस्टर संस्थापित नहीं पाया गया । ऊर्जा

कारक ..... परिवेष्टन पर मापे गए ।

जनरेटर : ..... केवीए अनुज्ञा/बिना अनुज्ञा के संस्थापित पाया गया । चिपकाए गए पेपर सील (जॉनसन) के ब्यौरे

.....

.....

.....

.....

निरीक्षण दल द्वारा की गई अन्य टीका-टिप्पणियां .....

.....

.....

.....

उपभोक्ता को सलाह : - आपसे कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित समय तथा तारीख पर ईएसी के समक्ष उपस्थित होने का अनुरोध किया जाता है, निरीक्षण दल सदस्य/पुलिस कार्मिक

उपभोक्ता के हस्ताक्षर

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम 1.....2.....3.....4.....

पदनाम ....

कर्मचारी सं. ....

उपाबंध 12

लोड शेडिंग के बारे में शिकायत दर्ज करने का प्ररूप

4. उपभोक्ता का नाम
5. पता तथा संपर्क सं.
6. लोड शेडिंग के कारण प्रभावित क्षेत्र
7. लोड शेडिंग की तारीख
8. लोड शेडिंग की अवधि

आवेदक के हस्ताक्षर

उपाबंध - 13

चोरी/मूषण की दशा में ऊर्जा का निर्धारण

चोरी/मूषण की दशा में ऊर्जा का निर्धारण निम्नलिखित सूत्र के आधार पर किया जाएगा :

निर्धारित यूनिट : एल × डी × एच × एफ, जहां

जहां एल किलोवाट में भार है (संयोजित/स्वीकृत भार जो भी उच्चतर हो) जहां केडब्ल्यूएच रेट लागू है तथा केवीए जहां केवीएएच दर लागू हैं ।

डी से प्रतिमास दिनों की संख्या है जिसके दौरान चोरी/मूषण का संदेह है और जिसे उपयोग के विभिन्न प्रवर्गों के लिए लिया जाएगा जो निम्नानुसार है :

(क)	चालू उद्योग	30 दिन
(ख)	बंद उद्योग	25 दिन
(ग)	घरेलू उद्योग	30 दिन
(घ)	कृषि	30 दिन
(ङ)	गैर घरेलू (निरंतर) जैसे विश्राम गृह, नर्सिंग होम, पैट्रोल पंप	30 दिन
(च)	गैर घरेलू (साधारण) अर्थात (ङ) को छोड़ कर	25 दिन

एच प्रतिदिन प्रदाय घंटों का उपयोग है जिसका उपयोग विभिन्न प्रवर्गों के लिए किया जाएगा, जो निम्नानुसार है :

(क)	एकल शिफ्ट उद्योग (दिन/रात्री केवल)	10 घंटे
(ख)	अविरत प्रक्रिया उद्योग (दिन तथा रात्रि)	20 घंटे
(ग)	विरत प्रक्रिया उद्योग	24 घंटे
(घ)	गैर-घरेलू (साधारण) जिसमें रेस्टोरेंट होटल अस्पताल, नर्सिंग होम, विश्राम गृह, पैट्रोल पम्प भी है	20 घंटे

(ङ)	घरेलू	8 घंटे
(च)	कृषि	10 घंटे

च. भार कारक है जिसका उपयोग विभिन्न प्रवर्गों के लिए किया जाएगा जो निम्नलिखत हैं :

(क)	औद्योगिक	60 %
(ख)	गैर-घरेलू	60 %
(ग)	घरेलू	40%
(घ)	कृषि	100%
(ङ)	प्रत्यक्ष चोरी	100 %

घरेलू जल पम्प, माइक्रोवेव ओवन्स, धुलाई मशीन तथा छोटे-छोटे घरेलू उपकरणों के प्रचालन के लिए सद्भाविक घरेलू उपयोग की दशा में निर्धारण के प्रयोजन के लिए कार्य घंटों को 100% भार कारक पर प्रतिदिन एक घंटे कार्य करने वाले से अधिक नहीं समझा जाएगा ।

अस्थायी कनेक्शन की दशा में, ऊर्जा की चोरी का निर्धारण निम्नलिखित सूत्र के अनुसार किया जाएगा :-

निर्धारित यूनिट = एल × डी × एच, जहां

एल = किलोवाट में / भार (संयोजित/घोषित संयोजित/स्वीकृत भार, जो भी उच्चतर हो)

जहां केडब्ल्यूएच दर लागू है और केवीए में जहां के.वी.एच.एच दर लागू है ।

डी = दिनों की संख्या जिनके लिए प्रदाय का उपयोग किया जाता है ।

एच = 12 घंटे